खण्ड-140, अंक-6
गुरूवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(16 सितम्बर, 1954 ई0)

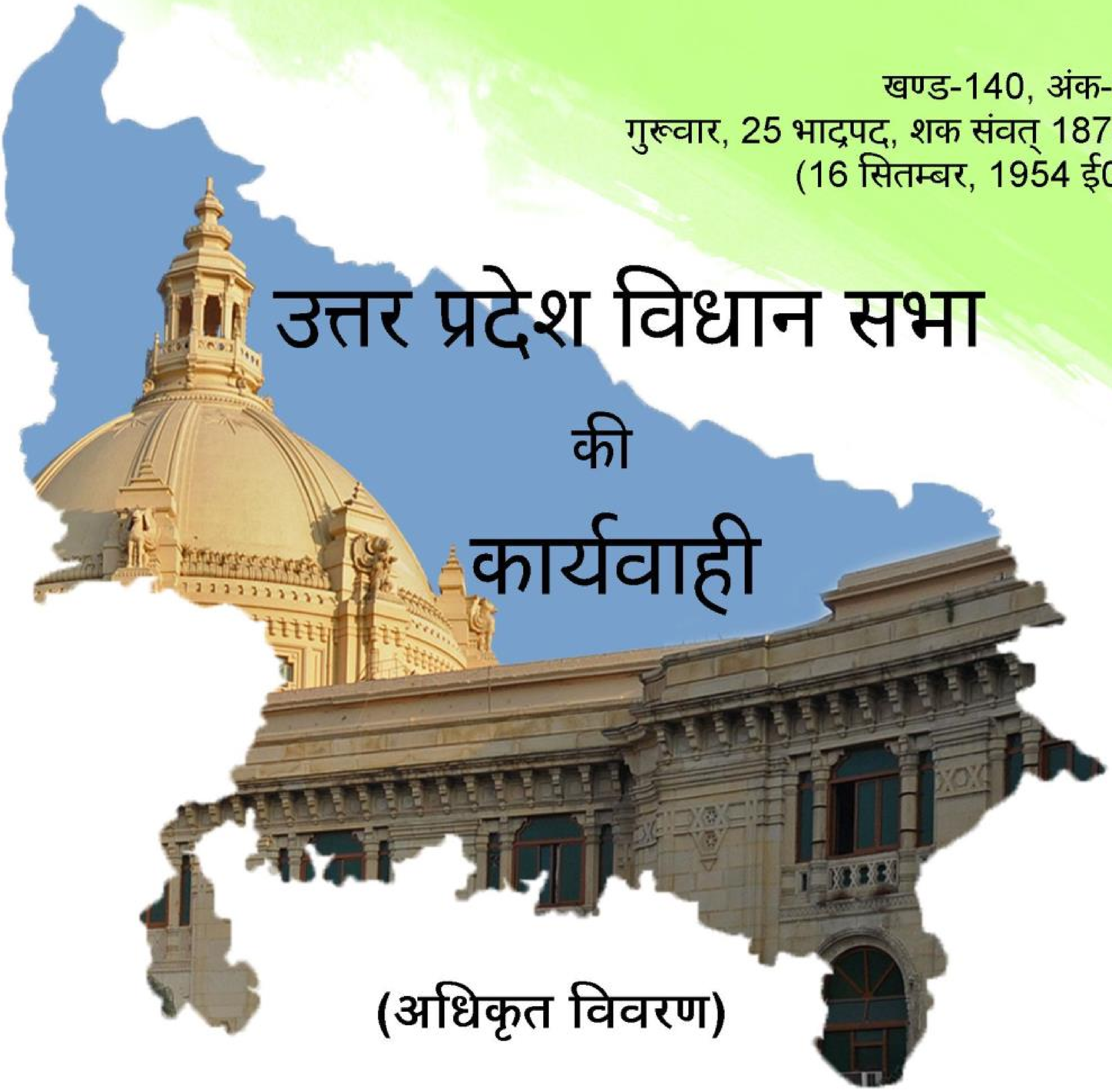

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदय भान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबह दुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मौसल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर श्री,
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह राज, श्री
व्रजभूषण मिश्र श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ कटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनेहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्री नाथराम, श्री
श्रीनिवास श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखदूम शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महरोत्र, श्रीमती
सत्य नारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द डाक्टर, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीता राम डाक्टर,
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सुन्दरदास, श्रीदीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

राज्य सचिवालय के गजटेड कर्मचारियों को एक्सटेंशन

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों में कितने गजटेड कर्मचारी एक्सटेंशन पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—दो ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखे प्रश्न से संबंधित विभागवार कितने कर्मचारियों को इस साल एक्सटेंशन दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) व्यवस्थापक विभाग १

(ख) सचिवालय प्रशासन विभाग (स्थापना) १।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आफीसर्स को ऐक्सटेंशन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिद्धान्तः एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई खास वजह न हो अथवा पब्लिक इंटरेस्ट में उसका काम करते रहना ही मुनासिब न हो।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी उन कर्मचारियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको एक्सटेंशन दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(१) श्री कैलासचन्द्र भटनागर, सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली, (२) श्री रमेशचन्द्र, पी०ए० टु शिक्षा मंत्री ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो राज्य सचिवालय के सम्बन्ध में था, विधान सभा से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तब एक ही नाम श्री रमेशचन्द्र का होगा ।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही नहीं है कि इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी किसी गजटेड आफिसर को ऐक्सटेंशन दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस साल एक जनवरी से अब तक इन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिया गया है जिनके नाम ऊपर बताये गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक्सटेंशन देने के बाद इन कर्मचारियों को वेतन वही मिलता है या कम मिलता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वही मिलता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी श्री कैलास चन्द्र भटनागर को जो ऐक्सटेंशन दिया गया है .....

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में मूल सवाल नहीं है। इस बात को अभी-अभी मैंने माननीय मंत्री जी को बता दिया है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आफिसरों को एक्सटेंशन कब से दिया गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री रमेशचन्द्र को ११-६-५४ से एक साल के लिये ऐक्सटेंशन दिया गया है।

तहसील बाह, जिला आगरा में पीतल और कसकुट के बटुये के उद्योग को सरकारी सहायता

*३---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)---क्या सरकार को विदित है कि तहसील बाह, जिला आगरा में पीतल और कसकुट के बटुये बनाने का उद्योग दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---जी हां, कुछ समय से गिर रहा है।

*४---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या सरकार इनको पुनर्जीवित करने के लिये कुछ उपाय करने का विचार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इस विषय में जो भी सहायता सरकार से मांगी जायगी, सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि यह उद्योग क्यों गिरा और किन कारणों से इस माल की बिक्री नहीं हुयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---जांच कराने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास इसकी इत्तिला है। वहां पर बड़े-बड़े बटुये बनते हैं उनकी कीमत ज्यादा है और हमारे भूमिधर उनको खरीद नहीं सकते। इसलिये उनकी मांग कम है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--किस प्रकार की सहायता देने का सरकार ने उनको आश्वासन दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--दरख्वास्त आने पर उस पर विचार किया जायगा और निर्णय किया जायगा। जहां तक होगा जो जरूरी होगा उसकी सहायता करने की भरसक कोशिश की जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अगर जांच से यह पता चलता है कि वह उद्योग पनप नहीं सकता तब तो सहायता का प्रश्न नहीं उठता है इसलिये मैंने पूछा था कि सरकार जांच करके बतायेगी कि वह पनप सकता है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--नये प्रकार के बटुये बनाना वह सीख लें तो वह काम चलने लगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतायेंगे कि उन्होंने नये ढंग का बटुआ बनाना सिखाने के लिये कोई इंतजाम अभी तक किया है ?

श्री हुकुम सिंह--कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि उसके पास बारबार शिकायतें आयीं कि उनको तालीम देनेवाला और उनको काम सिखाने वाला आदमी कोई भी नहीं पहुंच सका जिससे वह अच्छा काम बना सकें ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सरकार को दुबारा सूचना दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्स्ट्रक्टर वहां नहीं पहुंच सका जिससे वह बटुआ बनाने का काम सीखते ?

श्री हुकुम सिंह--किसी ने मांग नहीं की है और न गवर्नमेंट के पास कोई दरख्वास्त भेजी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतायेंगे कि जब उनको इत्तिला खुद मिल चुकी है कि जांच की जरूरत नहीं है तो क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि उनकी कोई मदद करे ?

श्री अध्यक्ष--आप बहस कर रहे हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसा बटुये का नमूना है जो आगरा में बन सके ?

श्री हुकुम सिंह--अलमोड़े से मंगा रहा हूं।

जिला अल्मोड़ा के पट्टी मल्ली सालम के खांकड़ आदि गांवों के किसानों को भवन निर्माणार्थ हक हकूक की लकड़ी का दिया जाना

*५--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के पट्टी मल्ली सालम के खांकड़ पुड़ैनी निरे वगैरह लगभग ५० गांवों के किसानों के मकान वगैरह बनाने के लिये हक हकूक की लकड़ी का हक किस जंगल, किस रेंज तथा ब्लाक में है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--ग्राम खांकड़ पट्टी मल्ला सालम में नहीं है। शेष ग्रामों में से कुछ को मोरनौला ब्लाक लोहाघाट रेंज, पूर्वी अल्मोड़ा डिवीजन और कुछ को मोरपलयूड़ी ब्लाक, उलर गोला रेंज, नैनीताल डिवीजन में ये अधिकार प्राप्त हैं।

*६—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोरनौला के सारे जंगल में कितने ब्लाक हैं? उनमें कितने अल्मोड़ा डिवीजन में हैं और कितने नैनीताल में हैं और यह कौन-कौन नम्बर के ब्लाक हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मारनौला के जंगल में २ ब्लाक हैं। पूर्वी मारनौला अल्मोड़ा डिवीजन में है और पश्चिमी मारनौला नैनीताल डिवीजन में है। इन ब्लाक्स का कोई नम्बर नहीं है।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मल्ली सालम के कितने गांव जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट में है और कितने गांव जिला नैनीताल के मोर पट्यूर उत्तर गोला रेंज में हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मोरनौला ब्लाक में कुल ४२ गांव हैं, जिनमें २५ मल्लीसालम में और १७ गांव मौर पट्यूरी रेंज में हैं।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी इन गांवों की सूची कि कौन-कौन गांव किस-किस तरफ हैं देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं इतनी लम्बी सूची पढ़ने की इजाजत नहीं देता, माननीय मुख्य मंत्री उनको अपने दफ्तर से दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।]

'सेल्फ हेल्प' योजना के अन्तर्गत नैनीताल जिले में सड़कों के निर्माणार्थ सहायता

*८—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 'सेल्फ हेल्प' योजना के अनुसार नैनीताल जिले में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माणार्थ सहायता दी गई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये मत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६३ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची के अनुसार बतलायी हुई सड़कों में से किस सड़क को कितनी सहायता दी गई है?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप अलग से दूसरा प्रश्न पूछें, अगर हर एक सड़क की सहायता के सम्बन्ध में अलग-अलग जानना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आइडल पाथ के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कालाआगर खानसुई रोड जो ४ मील की है २०० रु०, चामा धर्म गढ़ रोड जो २ मील की है १५० रु०, कुन्टा पटलोट रोड जो ३ मील की है क़रीब १०० रु०, दालकन्या अमझर रोड जो ४ मील की है ३०० रु०, कोन्टा लुगार रोड जो ६ मील की है २०० रु० और अनुयो धहना रोड जो ३ मील की है १०० रु० सहायता दी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को सूचना मिली है कि पहाड़ी रास्ते के अत्यन्त दुर्गम होने के कारण यह जो रुपया ग्रान्ट किया जा रहा है वह बहुत ही कम है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो एक सबसिडी है । जो १/३ या २/३ के बेसिस पर अलग अलग इलाके में दी गई है । जहां अर्थ कटिंग ज्यादा है । उसका और एस्टिमेट यहां नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है कि यह जो दो या तीन मील की सड़कों के लिये रुपया दिया गया है यह १/३ सबसिडी के हिसाब से भी भी बहुत कम है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी यहां पर कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सेल्फ हेल्प की योजना क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कुछ यह श्रमदान जैसा कार्य है जहां लोग अपने आप काम करते हैं और उसमें सरकार थोड़े से रुपये से इमदाद करती है और जितने वैसे काम होते हैं उनको सारी जनता स्वयं करती है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री महोदय ने नैनीताल जिले के अतिरिक्त किसी और पहाड़ी जिले को इस सेल्फ हेल्प योजना के मातहत सहायता देने का आश्वासन दिया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मेरा ख्याल है कि यह तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को ग्रांट दिया गया है । किसी को एक लाख , किसी को ५० हजार ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में उल्लिखित सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क बन चुकी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें जहां तक कि मैंने देखा है क़रीब-क़रीब आधा काम हो चुका है । खासतौर पर जैसे मोटर रोड्स हैं उनका बहुत काम हो चुका है और बाक़ी इस जाड़े में होने वाला है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन सभी सड़कों पर जनता की ओर से श्रमदान होने पर २/३ काम हो चुका है लेकिन १/३ [सब-सिडी न मिलने के कारण रुका हुआ है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जहां तक मेरी इत्तिला है प्लानिंग के अनुसार बहुत काम हो चुका है और इसी जाड़े तक लगभग सब काम पूरा हो जायगा ।

प्रौढ़ महिला शिक्षण शिविर, घोसी पर व्यय

*९--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि "प्रौढ़ महिला शिक्षण शिविर घोसी" के संचालन और समाप्ति में कुल कितना खर्च पड़ा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--५५० रु० १४ आने ६ पाई खर्च हुआ है ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

*१०—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या सरकार २४ दिसम्बर, ५३ के प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों के पत्र-व्यवहार के लिये भी वह कोई ऐसा दिनांक नियत करने जा रही है जब से देवनागरी लिपि में हिन्दी पत्र-व्यवहार के लिये भी उपयुक्त होने लग जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक संभव है पत्र व्यवहार भी सरकारी दफ्तरों में हिन्दी में हो रहा है। इस बारे में अभी तक कुछ दिक्कतें रही हैं जैसे कि उपयुक्त हिन्दी टाइप राइटर्स का अभाव, कानूनी (legal) और पारिभाषिक (technical) शब्दों का सही उल्था बनाना, आदि। अभी हाल ही में नागरी लिपि के संशोधित रूप को अपनाया गया है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानूनी और पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद का काम जो अनुवाद विभाग को दिया गया था उसमें कहां तक सफलता मिली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत से शब्दों के अनुवाद का काम पूरा हो चुका है और इस काम के लिये अभी हाल में एक कमेटी बिठाई गई है जिसका मैं ही सभापति हूं और उस कमेटी के सुपुर्द यह काम किया गया है कि जो शब्दावली बनी थी उसको भी देख ले और जो शब्द बचे हैं उनका भी अनुवाद तैयार कर लिया जाय।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सही उल्था नहीं बन जाय तब तक वह क्या कानूनी और पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग में लाने का वह विचार रखते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो बिना हमारे विचार के आप से आप प्रयोग में आ रहे हैं लेकिन चूंकि अलग-अलग विभागों में कई शब्दों का अलग अलग अनुवाद चलता है इसलिये प्रमाणित शब्दों की जरूरत पड़ी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्यों नहीं दिया गया? सवाल यह था कि कितने दिनों में यह दिक्कत दूर होगी.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना सवाल पूछें।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सवाल कुछ और होता है और जवाब कुछ दिया जाता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने दिनों या महीनों या सालों में यह दिक्कत दूर हो जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शायद माननीय मेम्बर ने प्रश्न पढ़ा नहीं है, उसमें पूछा गया है कि क्या सरकार कोई तारीख निश्चित करने जा रही है और जो रूप माननीय सदस्य ने बताया वह प्रश्न का रूप नहीं है और दिनांक नियत करने में जो मुश्किल है उस का दिग्दर्शन उत्तर में है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अच्छी तरह से हिन्दी जानने वाले और जिनके यहां हिन्दी के टाइपराइटर भी मौजूद हैं उनके यहां से अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार क्यों होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा इसलिये होता है कि अगर एक आदमी भेजने वाला हिन्दी जानता है तो उत्तर पाने वाला हिन्दी नहीं जानता और उसकी सुविधा के लिये भेजना पड़ता है। दूसरे जो टाइपराइटर्स हिन्दी के हैं वे अलग-अलग ढंग के हैं, बहुत जगह उनकी कमी भी है और उनकी खरीद भी इसलिये अभी रोक दी गयी है कि एक प्रमाणित लिपि हो जाय, तब उसके अनुसार नए हिन्दी टाइपराइटर लिए जायं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यू० पी० में नेकटाई का अनुवाद कंठलंगोट किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश में ऐसे भोंडे शब्दों का इस्तेमाल तो होता नहीं और नेकटाई शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से कोई संबंध भी नहीं रखता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अब भी अधिकतर पत्र अंग्रेजी भाषा ही में भेजे जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह को भेजे जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा ही होता है।

श्री रामचन्द्र विकल—हिन्दी के टाइपराइटर्स की कमी बाजारों में न मिलने के कारण से है या सरकार के धनाभाव के कारण?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर काम में धनाभाव तो रहता ही है लेकिन जैसे कि हम नई सुधरी हुई नागरी लिपि सब जगह ला रहे हैं तो कुछ टाइपराइटर्स पुराने रहें और कुछ नये हो जायं यह अच्छा न होगा। खरीदना बिलकुल बन्द तो नहीं किया गया लेकिन आशा की जाती है कि अब जल्द सुधरी हुई लिपि के टाइपराइटर्स मिल सकेंगे और जितना धन हम दे सकेंगे वह देकर टाइपराइटर्स के काम को पूरा किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि सही उल्था बनाने का प्रयास सरकार का कब तक हो जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जितनी व्यग्रता माननीय सदस्यों को है कम से कम उतनी ही मुझको भी है और उस कमेटी के सदस्यों को भी है और जितनी जल्दी सम्भव होगा इस काम को करने की कोशिश करेंगे।

*११—**श्री भगवान सहाय**—[स्थगित किया गया।]

राज्य की चीनी मिलों का स्थानान्तरण

*१२—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या उद्योग मंत्री का ध्यान केन्द्रीय सरकार के रसद मंत्री के बयान की ओर गया है जिसमें उन्होंने इस प्रदेश से ४० शक्कर की मीलों के हटाये जाने की बात कही है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर उसके परिणाम को समझते हुये केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिरोध प्रकट किया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रदेश सरकार को इस विषय में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिली है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रतिरोध करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि केन्द्री सरकार ने यह सुविधा देने की बात कही थी कि जो मिलें यहां से जायेंगी उनको यातायात में कुछ सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यू० पी० सरकार को सूचना मिली है कि यू० पी० की कुछ चीनी मिलों ने उत्तर प्रदेश से बाहर मिलें ले जाने के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने की अर्जियां दी हैं ?

श्री हुकुम सिंह--एक मिल ने दी है वह इसी सूबे में दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं और अगर इजाजत मिल जाय तो बाहर भी ले जाना चाहते हैं। किसी दूसरी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि जब माननीय रफी साहब ने यह कहा था कि ४० मिलें उठाये जाने को हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका विरोध किया था ?

श्री हुकुम सिंह--उनसे कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यह खबर ग़लतफहमी पर मुबनी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यू० पी० सरकार को सूचना मिली है कि जो दिल्ली में गन्ना ऐडवाइजरी बोर्ड बैठा था उसने यह सिफारिश की है कि ऐसी जो चीनी की मिलें हैं वह यहां यू० पी० से बाहर ट्रान्सफर की जायं ?

श्री हुकुम सिंह--अभी तक मुझे कोई इत्तिला नहीं मिली है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या राज्य सरकार ने इन चीनी मिलों के हटाये जाने के सम्बन्ध में या डोईवाला मिल के हटाये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है ?

श्री हुकुम सिंह--मैंने विरोध किया है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह दो मिलें कौन कौन सी हैं जो इधर से उधर हटाई जा रही हैं ? दो मिलें ऐसी हैं यह कहा गया।

श्री अध्यक्ष--जवाब में केवल एक डोईवाला मिल ही ऐसी कही गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि चीनी की मिलों के प्रान्त से बाहर हटाये जाने की संभावना के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुम सिंह--कोई अपना घर उजाड़ना नहीं चाहता।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यहां की कौन-कौन मिलों ने इस बात की दरख्वास्त राज्य सरकार के पास की है कि वह यहां से हटना चाहती है और अगर हटना चाहती है तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब तो दिया जा चुका है। उन्होंने नाम तक दे दिया।

गन्ने की क्वालिटी सुधारने और चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयत्न

*१३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की क्वालिटी सुधारने और गन्ने से चीनी उत्पादन के औसत अंश को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—गन्ने की क्वालिटी सुधारने और गन्ने से चीनी उत्पादन के औसत् अंश को बढ़ाने के लिये संचालक, शुगरकेन रिसर्च शाहजहांपुर, गन्ने की उन क़िस्मों को निकालते रहते हैं जिनमें कि चीनी का औसत अंश अधिक होता है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने के उत्पादन में दिनोंदिन कमी होती जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जहां-जहां सेलाब आया, वहां जरूर कमी है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि गत ५ वर्षों में यह शुगर का परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्वालिटी सुधारने और गन्ने से चीनी उत्पादन के औसत अंश को बढ़ाने के लिये कब से प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—हमेशा इस बात का उद्योग हुआ करता है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या मिलों में बचे शीरे से अतिरिक्त चीनी बनाने का अनुसंधान सरकार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर, गोंडा तथा बहराइच के सरकारी बनों में साखू के वृक्षों का तेजी से सूखना

*१४—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, गोंडा और बहराइच के सरकारी बनों में साखू के पेड़ काफी तेजी के साथ सूख रहे हैं ? क्या सरकार ने इसकी Experts द्वारा जांच करायी है ? यदि हां, तो उसका क्या फल रहा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गोंडा के बारे में तो कोई सूचना नहीं मिली परन्तु बहराइच और गोरखपुर में साल के वृक्षों के अधिक मात्रा में सूखने की सरकार को सूचना मिली है। इस विषय में जांच करने के लिये एक कमेटी बनायी गयी है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह कमेटी कौन सी है और उसमें कौन कौन सदस्य हैं और वह किस विभाग के एक्सपर्ट्स हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसमें सात आठ बातों को मालूम करने के लिये कि यह पेड़ किस तरह से सूख रहे हैं, इनको क्या बीमारी है, इसके लिये यह कमेटी नियुक्त की गयी है। इसमें एक चीफ़ कंजरवेटर आफ फारेस्ट, यू० पी० हैं, दूसरे हैं कंजरवेटर आफ फारेस्ट कुमायूं सर्किल, तीसरे श्री जे० आर० सिंह, कंजरवेटर आफ़ फारेस्ट, वेस्टर्न

सर्किल, चौथे आर० के० तिवारी, जियोलोजिस्ट, गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री प्रोजेक्ट, मिर्जापुर, पांचवें मि० अजीज दुल्ला खां, डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, स्वायल कंजरवेशन, छठें राधेरमण अग्रवाल, एम० एस-सी०, पी० एच० डी०, एग्रीकल्चरल केमिस्ट टु गवर्नमेंट यू० पी०, कानपुर, सातवें सिल्वी, कल्चरिस्ट, फारेस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, आठवें सिल्वी कल्चरिस्ट, उत्तर प्रदेश, नवें श्री दीवान सुन्दर दास, एम० एल० ए० और दसवां मैं हूंगा।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह बहराइच और गोरखपुर डिवीजन के जो जंगलात सूख रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसके लिये तो यह है कि सारे जंगलों में कुछ यहां सूख रहे हैं, कुछ वहां सूख रहे हैं, कोई खास स्थान ऐसा नहीं है कि जिसे बताया जा सके। सारे डिवीजन में सूख रहे हैं और काफी तादाद में सूख रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सूखे हुए पेड़ों के संबंध में कमेटी की तरफ से कोई कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वैसे तो पिछले साल शिम्पोजियम आया था फारेस्ट स्वायल का, सारे इंडिया का और उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत उसके बचाव के लिये बातें की थीं, उन पर अमल हो रहा है। मगर यह एक बिलकुल नयी कमेटी बनी है और यह शायद जाड़ों में अपना कार्य आरम्भ करेगी, क्योंकि बरसात में उन जंगलों को देखना सम्भव नहीं होता।

ए० डी० एम्स जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव हरिजनों की संख्या

*१५—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने ए० डी० एम्स० हैं और उनमें कितने ए० डी० एम० (Judicial) और कितने ए० डी० एम० (Executive) हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—प्रदेश में इस समय कुल २८ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिनमें ११ एडीशनल मैजिस्ट्रेट (Executive) हैं और १७ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (Judicial) हैं।

*१६—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ए० डी० एम० 'E' और ए० डी० एम० 'J' में हरिजनों की क्या संख्या है।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (Judicial) में एक हरिजन है।

१९५२-५३ और १९५३-५४ में डिप्टी कलेक्टरों का डिपार्टमेंटल सेलेक्शन में लिया जाना तथा उनमें हरिजन

*१७—**श्री जोरावर वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५२-५३ और ५३-५४ में कितने Deputy Collectors Departmental Selection में लिये गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—क्रमशः ८ और ३। इनमें कोई भी हरिजन नहीं है।

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२० सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

घोसी सामुदायिक विकास केन्द्र में भवन निर्माणार्थ व्यय

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत घोसी सामुदायिक विकास केन्द्र पर कितने-कितने रुपये के लागत के कितने भवन बन रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—घोसी सामुदायिक विकास केन्द्र में २४ भवन बन रहे हैं । प्रत्येक भवन की व्याख्या सहित लागत की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भवन किसकी निगरानी में बन रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह जहां तक मेरा ख्याल है वहीं के प्रोजेक्ट आफिसर की मातहती में बन रहे होंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २४ भवन जो बनाये जा रहे हैं यह कितने क्षेत्रफल में बनाये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कारखाने जो बनाये जा रहे हैं जो भवनों की सूची में दिये हुये हैं किस-किस चीज के कारखाने हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि खाली लिस्ट दी हुई है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मकान कच्चे बन रहे हैं या पक्के ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो इसकी सूची से मालूम हो जायगा कि ५ हजार, ४ हजार, दो हजार इस तरह से है । तो इससे मालूम होता है कि ये सस्ते हैं मगर पक्के हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि सरकार ने इन बिल्डिंग्स को बनाने का काम इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर को सौंपा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी सूचना विशेष-तौर पर तो यहां है नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब घोसी में अस्पताल है, सरकार घोसी अस्पताल के आस-पास मकान का निर्माण करा रही है यह आपरेशन थियेटर वगैरह तो इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अस्पताल की क्या आवश्यकता थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो उस विशेष क्षेत्र, जो सामुदायिक योजना के अन्तर्गत है, उसके लिये बन रहा है ।

घोसी अस्पताल के विकास के लिए भवनों के निर्माण पर व्यय

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी अस्पताल के विकास के लिये कितने रुपये की लागत के कितने भवन बन रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पांच भवन २३४५० रुपये की लागत के बन रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पांच भवन किन किन कामों के लिये बन रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुदर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स जहां कि पशु चिकित्सालय वगैरह बन रहे हैं वह घोसी अस्पताल से केवल एक फर्लांग की दूरी पर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जो यह प्रश्न पूछा था कि यह भवन किस किस काम के लिये बन रहे हैं तो वह इससे पता चल सकता है कि आपरेशन थियेटर के लिये २४७५ रुपया, लैबोरेटरी ऐण्ड हेल्थ सेंटर के लिये ६१२५ रु०, १५ बेड वार्ड विजिटर्स के लिये ६८५० रुपया, रेजीडेंशियल क्वार्टर्स फार सैनेटरी इंस्पेक्टर्स के लिये ४,००० रुपया, रेजीडेंशियल क्वार्टर्स फार हेल्थ विजिटर्स के लिये भी ४,००० रुपया, इस प्रकार २३,४५० रुपया है। दूरी तो मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५ भवन बनने जा रहे हैं वह क्या बन कर तैयार हो गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वे आजकल बन रहे हैं।

भुवाली नोटीफाइड एरिया द्वारा भुवाली नगर के विकास के लिये सुझाव

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास भुवाली नोटीफाइड एरिया द्वारा भुवाली नगर के विकास के बारे में कुछ सुझाव आये हैं ? अगर हां, तो क्या ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला नियोजन समिति के पास सुझाव आये हैं। सूची माननीय सदस्य की मेज पर है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६५ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहली बात तो यह कि यहां पर जानवरों के लिये भीमताल के पास एक अस्पताल है और यहां पर इतने जानवर नहीं हैं कि एक और अस्पताल खोला जाय। जहां तक दूसरा मनुष्यों के अस्पताल का सवाल है तो वहां पर एक सैनीटोरियम भी है और सिविल सर्जन से भी बातचीत हो रही है। और जहां तक जमीन का सवाल है उसके लिये डिप्टी कमिश्नर नैनीताल को लिखा है कि जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जाय, इस पर बातचीत हो रही है और जो जमीन जिस पर आप चाहते हैं कि नये उद्योग धंधे खोले जायं उस पर भी लिखा पढ़ी कीजा रही है लेकिन इतनी मैं आपको सूचना दे दूं कि वहां पर आलुओं को बचाने के लिये एक योजना बनायी जा रही है, जिससे आलू जो खराब हो जाते हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज के तौर पर इंतजाम हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि भुवाली में पहले टरपेंटाइन फैक्टरी थी जो बाद में हटा दी गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, बहुत पहले थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भुवाली नोटिफाइड एरिया में कोई उद्योग धंधा शुरू कर देने की बात कही गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नोटिफाइड एरिया में तो गोल तरीके पर एक प्रस्ताव हुआ था कि उद्योग खोले जायं, वैसे निजी तौर पर भी कई लोगों ने कहा और गवर्नमेंट उन सब बातों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम है कि भुवाली के आस पास ऐसे जंगल भी हैं जहां स्पोर्ट्स गुड्स का सामान मिल सकता है और क्या सरकार वहां पर स्पोर्ट्स गुड्स की फ़ैक्टरी खोलेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुझे जहां तक मालूम है एक स्पोर्ट्स गुड्स की फ़ैक्टरी नैनीताल शहर में ही बनाने का कुछ आयोजन हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी भुवाली नगर के आस-पास एक चीड़ का जंगल होने के कारण वहां एक भुवाली टरपेंटाइन फ़ैक्टरी उच्च पैमाने पर खोलने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अगर कोआपरेटिव लाइंस पर लोग आयें तो रेज़िन हम कंसेशनल रेट्स पर दे सकते हैं।

*२२--**श्री देवकीनन्दन विभव**--[स्थगित किया गया।]

जिला गोरखपुर में निचलोल नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक तथा भटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट द्वारा कार्य तथा उस पर व्यय

*२३--**श्री इस्तफा हुसैन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर जिले का निचलोल नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक कब से चालू हुआ ? अब तक उस पर कितना रुपया व्यय हुआ और क्या क्या-काम हुए ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--गोरखपुर जिले का निचलौल राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र २ अक्तूबर, सन् १९५३ को चालू हुआ। ३१ जुलाई, १९५४ ई० तक इस ब्लाक पर कुल ६१०१७ रुपये २ आने खर्च हो चुके हैं और इसी तारीख तक इस ब्लाक में जो कार्य हुआ है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

*२४--**श्री इस्तफा हुसैन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर अब तक कितना रुपया लग चुका है और क्या क्या काम हुये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--भटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर ३१ जुलाई, १९५४ तक कुल ९,१६,००० रुपया व्यय हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में जो जो काम हुये हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६७ पर)

घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेंटर द्वारा किये गये कार्य

*२५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर में क्या क्या और कितना काम हुआ है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर में ३१ जुलाई, सन् १९५४ तक किये गये मुख्य कामों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६८ पर)

*२६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नियोजन कमिश्नर तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के प्रयोगार्थ खरीदी गई मोटर गाड़ियों पर व्यय

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन कमिश्नर व उनके अधीनस्थ अधिकारियों के लिये जुलाई, सन् ५२ से जून सन्, १९५४ तक कितनी मोटरें, पिकअपें, जीपें आदि खरीदी गईं और उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नियोजन कमिश्नर व उनके अधीनस्थ अधिकारियों के लिये जुलाई, १९५३ से जून, सन् १९५४ तक ५ मोटरें, १५, पिकअपें खरीदी गई हैं और इस मद पर उपर्युक्त काल में २,९६,४२४ रुपया व्यय हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गाड़ियों के रख-रखाव में वार्षिक कितना रुपया व्यय होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि नियोजन कमिश्नर और उनके विभाग के पास कुल कितनी पिक-अप और जीपें आदि हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कुछ तो टी० सी० ए० स्कीम के अन्दर मिली थीं, उन पर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और वह ६ जीपें थीं और कुछ जीपें, जो ४५ हैं, वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हैं, उन पर भी रुपया काफी लगा, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ १५–२० जीपें जो हैं, जिनका जिक्र मैंने किया। उनकी क़ीमत दर्शायी हुई है। बाक़ी, अन्य जो स्कीमें हैं, उनके अन्दर आयी हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि प्लानिंग कमिश्नरों को जो जीप और पिक-अप दी गयी है उस पर माहवार कितना रुपया खर्च हो रहा है, पेट्रोल वगैरह और मरम्मत में।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह पहले ही कह दिया गया कि रख-रखाव में सब चीज आ जाती हैं। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि जैसा आपने कहा कि इस पर गवर्नमेंट का रुपया खर्च नहीं हुआ तो किस मद से और कहां से रुपया आया जो इन मोटरों पर खर्च किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—५ पिक-अप और ४५ जीप और सिनेमा वैन कम्युनिटी प्रोजक्ट प्रोग्राम के मुताबिक डालर एरिया से आयी थीं। अब यह नहीं कहा जा सकता कि उसका पैसा लिया भी जायगा या नहीं, लेकिन अभी तक कोई बिल डालर एरिया से आया नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि वह इस बात पर गौर कर रही है कि इन जीप और पिक-अप के इस्तेमाल के मुताल्लिक अफसरों को हिदायत की जाय कि इनमें जाती जरूरत का सामान न खरीद कर लाया करें?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो एक मूल सिद्धांत की बात है। गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही ऐसा आदेश है। अब कोई नया आदेश भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये जो मोटरें और पिक अप्स हैं इनमें जो खराब हो जाती हैं वे किसी प्राइवेट कम्पनी में मरम्मत के लिये भेजी जाती हैं या सरकार की तरफ से कोई कारखाना खुला है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मामूली मरम्मत तो कहीं से भी करा ली जाती है मगर मेजर रिपेयर्स गवर्नमेंट रोडवेज की जो वर्क शाप्स हैं उनमें होती हैं।

*२८—३०—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २९-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सचिवालय के अपर और लोअर डिवीजन के परीक्षा-पत्रों में हिन्दी को प्राथमिकता

*३१—**श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सचिवालय के अपर और लोअर डिवीजन के क्लर्कों के परीक्षा-पत्र गत परीक्षा में कितने हिन्दी और कितने अंग्रेजी में आये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोअर डिवीजन की परीक्षा में ४ प्रश्न पत्रों में से १ हिन्दी में था। अपर डिवीजन की परीक्षा में बाहरी उम्मीदवारों के ६ और डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों के ४ प्रश्न पत्रों में एक एक हिन्दी में आये थे पर इनके अलावा जनरल नालेज के पर्चे को भी हिन्दी में किया जा सकता था।

*३२—**श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या सरकार आगामी परीक्षा में हिन्दी को ही प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक परीक्षा-पत्र हिंदी में ही रखेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वर्ष होने वाली परीक्षा के लिये तब्दीली करने का समय नहीं रहा।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि कुछ ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गयी है जो अच्छी तरह से हिन्दी नहीं जानते?

श्री अध्यक्ष—यह तो गोल-मोल सवाल है। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जिन लोगों को अभी हाल में नौकरियां दी गयी हैं क्या उनकी फिर से परीक्षा होगी और जो हिन्दी नहीं जानते हैं उन्हें निकाल कर उनकी जगह हिन्दी जानने वालों को दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—यह शर्तिया सवाल है, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो परीक्षा-पत्र हिन्दी में थे उनके उत्तर भी हिन्दी में लिखे गये थे या अन्य किसी भाषा में लिखे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हिन्दी में लिखे गये थे ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हिन्दी में पर्चा लिखने वालों को कुछ प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे संबंधित है नहीं। प्रश्न केवल इतना पूछा गया था कि गत परीक्षा में कितने परीक्षा-पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में। अब उसका परिणाम क्या होगा यह प्रश्न इससे उठता नहीं ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि एक से अधिक पत्र क्यों नहीं हिन्दी में रखे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस किस्म का काम अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों को करना पड़ता है उसको माननीय सदस्य देखें तो इस वक्त की परिस्थिति देखते हुए शुरू शुरू में यह सम्भव नहीं था कि एक से अधिक पर्चे हिन्दी के लिये रखें । फिर भी जैसा मैंने निवेदन किया है जो अपर डिवीजन वाला था उसमें एक से अधिक पर्चे हिन्दी में थे, एक तो अनिवार्य था और दूसरा पर्चा जनरल नालेज वाला ऐच्छिक था । फिर अभी तो श्री गणेश हुआ है, आशा की जाती है कि बहुत जल्द और भी पर्चे हिन्दी में किये जा सकेंगे ।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स का चुनाव

*३३—**श्री महाराज सिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० के चुनाव के लिये जो आवश्यकता समाचार-पत्रों में हाल में प्रकाशित की गयी थी, उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के चुनाव के सिलसिले में ३२४४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

*३४—**श्री महाराज सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० के इन्टरव्यू के लिये कुल कितने प्रार्थियों को आमंत्रित किया गया था ?

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—इस सिलसिले में २११६ प्रार्थियों को आमंत्रित किया गया ।

*३५—**श्री महाराज सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलेवार कितने बी० डी० ओ० चुनाव में लिये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का चुनाव जिलेवार नहीं किया गया ।

इटावा जिले की प्लानिंग कमेटी द्वारा भरथना से उसराहार की कच्ची सड़क को सुधारने के संबंध में प्रस्ताव

*३६—**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की प्लानिंग कमेटी ने यह प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा था कि भरथना तहसील में भरथना से ऊसराहार सड़क जो कच्ची है उसकी हालत बहुत खराब है और

उसकी आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि उसे सरकार अपने अधिकार में लेकर पक्की बनवा दे? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, परन्तु आर्थिक परिमितता के कारण सरकार इस सड़क को अपने अधिकार में लेने से असमर्थ है। इसकी सूचना जिलाधीश को भी भेज दी गयी है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले के स्थानीय हितों को देखते हुए वहां की कुछ आवश्यकीय सड़कों को पक्का बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब किसी जिले का नम्बर आयेगा और जिलों के मुताबिक प्लान बनेगा तो अगली पचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

गोंडा की नियोजन समिति द्वारा जिले के ट्रांस राप्ती भाग में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू करने की मांग

*३७—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला गोंडा की नियोजन समिति ने सर्वसम्मति से पिछले दो ढाई साल के अन्दर कई बार सरकार से मांग की है कि जिले के ट्रांस राप्ती भाग में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू की जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सामुहिक विकास केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जिन जिला नियोजन समितियों के विचार मांगे गये थे उनमें गोंडा भी एक जिला था। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ चन्द ऐसे केन्द्र खोलने की अनुमति दी थी, इसलिये इस इलाके में सामूहिक विकास केन्द्र न खोला जा सका।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला नियोजन समिति, गोंडा को कम्युनिटी प्रोजेक्ट चुनने तथा प्लान भेजने के लिये उसको प्लानिंग कमिश्नर ने कब आदेश दिया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिस समय पहले पहले सब जगह कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुले तो सभी नियोजन समितियों को इस प्रकार के आदेश भेजे गये थे। लेकिन चूंकि ब्लाक प्रोजेक्ट कम थे इसलिये कुछ खास खास जिलों को मिल गये।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि गोंडा के ट्रांस राप्ती भाग में कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एन०ई०ए स० की नितान्त आवश्यकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक एन०ई० एस० ब्लाक तो खुल चुका है और इस ओर ब्लाक खोलने का भी भविष्य में विचार किया जायगा जब कभी वह आयेगा।

विभिन्न स्थानों पर खोले गये कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजनाएं तथा नेशनल इक्सटेंशन सर्विस ब्लाक

*३८—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि १ जुलाई, सन् ५२ से ३१ जुलाई, सन् ५४ तक कितने कितने और कहां कहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजनाएं और एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१ जुलाई, सन् १९५२ से ३१ जुलाई, सन् १९५४ तक जो जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल इक्सटेंन्शन सर्विस ब्लाक्स खोले गये हैं उनकी जिलेवार सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६९-४७१ पर)

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त दो सालों के भीतर कितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेंटर्स खोले गये तथा कितने एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो सूची में मय तारीख सभी कुछ दिया हुआ है।

*३९—**श्री रामचन्द्र विकल**—[स्थगित किया गया।]

परगना दादरी और दनकोर जिला बुलन्दशहर में जंगलात वाली भूमि

*४०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि परगना दादरी व दनकौर जिला बुलन्दशहर में कितनी भूमि जंगलात की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—परगना दादरी में १६७४ एकड़ और परगना दनकौर में ४१२३ एकड़।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कितनी भूमि बंजर है और कितनी चालू जमीन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्योंकि इस जिले में पहले कोई रिजर्व फारेस्ट तो था नहीं, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जितनी वेस्ट लैंड थी वह सरकार में निहित हुई है, इसलिये यह वेस्ट लैंड ही माना जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह भमि एक ही स्थान पर है या विभिन्न गांवों में बटी हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक यह नियम था कि १०० एकड़ के ऊपर जितना वेस्ट लैंड था या थोड़े बहुत पेड़ होते थे वे फारेस्ट डिपार्टमेंट में आ जाते थे उसके नीचे जो कुछ होता था वह गांव समाज में आ जाता था। इसलिये एक स्थान पर न हो कर सारे जिले के अन्दर यह बटी हुई है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन परगनों में जंगलात लगाने की आवश्यकता क्यों सरकार समझती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बहुत सी गांव पंचायतों से ऐसे प्रार्थना पत्र सरकार के पास आये हैं कि हम खुद जंगलात लगा लेंगे इसलिये हमें भूमि वापस दे दी जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह भी हो सकता है और ऐसा भी है कि बहुत सी जगहों से ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं कि हमारी जमीन ले ली जाय।

श्री शिवनारायण—अगर इस जमीन पर गांव वाले खुद पेड़ लगाना चाहें तो सरकार बिना किसी रुकावट के उनको पर्मिशन दे देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गांव समाज के पास जो बंजर भूमि है उस पर पहले वह लगा कर दिखा दें तो हमें इत्मीनान हो जायगा कि वह लगा सकता है और उसके पश्चात् दे दी जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—जंगलात की भूमि में जो भूमि किसान के कब्जे में थी और सरकार ने उसे ले ली है क्या सरकार उसे उसका मुआविजा देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—असल बात यह है कि जब वह भूमि सरकार में निहित हुई तो नकली पट्टे बना कर किसानों ने ले ली। वहां पर जुताई बिलकुल नहीं हुई, केवल जंगल खड़ा है।

श्री शिवनारायण—मैंने पूछा था कि जो बंजर भूमि सरकार के क़ब्जे में है उस पर अगर गांव समाज खुद जंगल लगाना चाहे तो सरकार उसके लिये इजाज़त दे देगी ?

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब दे दिया गया है, उसे आप समझ लें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां अब तक कितने पेड़ लगे हैं और अगर नहीं, तो कब तक सरकार पेड़ लगाने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले ५०० एकड़ भूमि में पेड़ लग पाते थे वे बढ़ कर ५,००० एकड़ में हो गये और उसका आज का रक़बा २० हजार एकड़ हो गया है। अगर किसी तरह से प्रगति रही तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार सारे वेस्ट लैण्ड में पेड़ लगा लेंगे।

* ४१–४२—**श्री शिवप्रसाद** (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये।]

* ४३–४५—**श्री वीरेंद्र वर्मा** (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला हमीरपुर के कुरी ग्राम में श्रमदान द्वारा बनाये गये पुल पर व्यय

*४६—**श्री श्रीपतिसहाय** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर तहसील राठ में जो कुरी ग्राम में श्रमदान से पुल बनाया गया है वह कितना लम्बा-चौड़ा है और उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—पुल ५५ फुट लम्बा और १६ फुट चौड़ा है और उसका अनुमानित मूल्य तीस हजार है।

पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री अध्यक्ष—पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति में दो स्थान श्रीमती महादेवी वर्मा और श्री मुकुट विहारी लाल का समय समाप्त होने के कारण रिक्त हैं। मैं उनमें एक पर श्रीमती महादेवी वर्मा को पुनः नामांकित करता हूं और दूसरे स्थान पर श्री शिवकुमार लाल श्रीवास्तव, जो अभी सदस्य निर्वाचित हुये हैं, उनको नामांकित करता हूं।

अभिलेख संशोधन सम्बंधी परिपत्र की प्रतिलिपि देने के लिए प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, जब इस सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई २३ तारीख को तो हमने सरकार से रिकार्ड दुरुस्ती के परिपत्र की नक़ल मांगी थी और सरकार ने बतलाया था कि वह उसको सदन में रखेगी, लेकिन वह आज तक नहीं रखी गयी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनको आज रख दिया जाय तो उसके मुताबिक हमको अपने संशोधनों पर रोशनी डालने में बहुत मदद मिल सकेगी।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---किस रिकार्ड की नक़ल माननीय मित्र चाहते हैं? रूल्स और नियमों की एक कंसोलिडेटेड किताब तो सब लोगों को मिल चुकी है।

श्री राजनारायण---इन काग़ज़ात की दुरुस्ती का कोई जी० ओ० गया है। रिकार्ड दुरुस्त होने के लिये सरकार की तरफ से जी० ओ० गया है जिसके लिये उत्तर में कहा गया था, उसी जी० ओ० की प्रतिलिपि २४ तारीख को मांगी गयी थी। उसके उत्तर में कहा गया था कि प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रख दी जायगी, लेकिन वह आज तक नहीं रक्खी गई।

श्री अध्यक्ष---कोई समझ में बात आ नहीं रही है कि आप का कौन से परिपत्र से मतलब है। आप उसके बारे में लिख कर भेज दें जिसमें मैं भी समझ लूं कि आप क्या चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १२२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन की मेज़ पर रखता हूं।

(विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४७२-४७३ पर।)

*उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ४ (क्रमागत)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---इस संशोधन विधेयक में खंड ४ के उप-खंड (२) में इस बात का प्रावीजन किया गया है कि अगर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के जो काश्तकार हैं उनके नाम पर अगर अध्यासी लिख दिया गया है तो ऐसे अध्यासी को कोई हक़ नहीं मिलेगा यानी ऐसे अध्यासी को उसमें से निकाल दिया गया है जो उपर्युक्त टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार काश्तकार थे। जो प्रस्तुत विधेयक का संशोधन है वह इस प्रकार है लेकिन उसमें लिख दिया गया है कि "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक से" यह जो बात स्पष्टीकरण के लिये रख दी गयी है वह भ्रम पैदा करती है, क्योंकि सन् १३५६ फसली के आकुपेंट को अधिकार दिया गया है। सन् १३५६ के खसरे या खतौनी में क़ब्जा होने की बात है इस संशोधन में उसमें लिख दिया गया था निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर अध्यासी हो। मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि स्पष्टीकरण में १३५६ फसली होना चाहिये। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९४७ की धारा २७ (३) वाला काश्तकार तो वही काश्तकार है जिसकी जमीन पर अगर कोई तीन वर्ष तक शिकमी रहा हो तो उसको बेदखल करके असली काश्तकार

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है

†१५ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

को उसे वापस कर दिया जाय। ऐसे केसेज नोटिस में आये हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि अपनी जमीन वापस पा जानी चाहिये, लेकिन चूंकि शिकमी होने की वजह से अध्यासी लिख दिया गया है तो उसको जमीन वापस दिलाना आवश्यक है। उसमें १३५६ फसली लिखा जाना चाहिये लेकिन ग़लती से ऐसा नहीं लिखा गया है। जो कुछ थोड़ा सा भ्रम था उसकी मैंने सफाई कर दी। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

†श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, परेशानी यह है कि यह विधेयक जो है वह हम लोगों के समझने के लिये शायद नहीं है। वह कुछ एक्सपर्ट लोगों के समझने के लिये आया है। मैंने उसे समझने की बड़ी कोशिश की और माननीय मौर्य जी ने संशोधन रखा है उसको भी मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यों ज्यों मैं समझने की कोशिश करता हूं त्यों त्यों मैं उलझन में पड़ता जाता हूं। मैं यह जानता हूं कि सन् १३५६ में यह सवाल बहुत मुश्किल था भी नहीं, जैसा कि वे कहते हैं। आप उस काश्तकार के फायदे की बात करते हैं, जिसकी जमीन पर कोई तीन वर्ष तक शिकमी रहा हो, लेकिन उस वक्त तो तीन वर्ष का सवाल ही नहीं था। यह तो सन् १९४७ में तय हुआ कि धारा १७१ और १८० के अनुसार जो काश्तकार बेदखल हैं उनको उनकी जमीन वापस की जा सकती है। उसमें यह था कि सन् ४७ के ऐक्ट के अनुसार वह मुकदमा दायर करे और मुकदमा दायर करने में ६ महीने या एक साल का मौक़ा होता है और फिर उसके फैसले में एक साल दो साल लग सकता है। तो इस तरह से अगर तीन वर्ष की बात मानी जाय तो यह फिर सन् १३५९ तक पहुंचता है। सन् १३५६ में अगर कोई आकुपेंट दर्ज है उसने अध्यासी में अपना नाम नहीं लिखाया है तो इसका मतलब यह होता है कि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर निकाल दिया गया तो वह निश्चित होने के दिनांक पर अपने को आकुपेंट दर्ज करावे। आप कानून पास कर रहे हैं और उधर दो वर्ष तीन वर्ष की मियाद भी खत्म हो गयी और इस बीच में वह मौरूसी काश्तकार हो गया, उसको निकाल देने के बाद यह होगा कि सन् ५६ फसली में आकूपेण्ट दर्ज रहा तो ऐसी हालतें में वह अधिकारी नहीं होगा, अगर निहित होने के दिनांक पर उसे ट्रेसपासर दर्ज करा दिया या जो बेदखल होने वाला था उसने अपने रिश्तेदार को दर्ज करा दिया। नतीजा यह होगा कि २ साल के बाद वह हक़दार नहीं रहेगा असल काश्तकार जो वापस देने वाला था। तो यह संशोधन तो उल्टा असर डालता है। इसलिये मैं कहता हूं कि वह इसको समझें। मैं समझता हूं, वह माफ करेंगे कि अगर मैं कहूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं समझा है और वह बगैर समझे हुये ही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होता यह है कि गुरू का पढ़ाया हुआ होता है चेला और चेल का पढ़ाया हुआ होता है लंठ। मालूम नहीं कि यहां कौन गुरू है। हम कहें कुछ तो भेद की बात हो जायगी लेकिन यहां मौर्य जी हमको सिखा रहे हैं हमको लंठई सिखा रहे हैं। वह समझते हैं कि इससे फायदा होने वाला है, लेकिन मैं इनका वह शक दूर करना चाहता हूं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह कुछ करना चाहते हैं तो वह ऐसा करें कि अगर कोई सन् ५६ फसली में या उसके बाद कभी भी आकुपेण्ट लिखाये हो तो उसको अधिकार न रहे। वर्ना होगा यह कि वह सन् ५६ में ट्रेसपासर लिखायेगा और उसके बाद आप और हम लाचार हो जायंगे और उसे बेदखल नहीं कर पायेंगे।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य के संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन का विरोध करते हुये मुझे दिक्क़त यह महसूस हो रही है कि इस सदन को एक सेलेक्ट कमेटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जो काम सेलेक्ट कमेटी को करना चाहिये था वह यहां किया जा रहा है जैसे भाषा और संशोधन को ठीक करने का काम भी सदन को

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करना पड़ रहा है । मैं विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आज ठीक प्रकार से इन चीजों को ठीक न किया गया तो निश्चय ही चतुर्थ संशोधन बिल लाना पड़ेगा। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप अगर गौर से इस संशोधन को जो उपस्थित किया गया है देखें तो वह बिल्कुल अनावश्यक और निरर्थक है क्योंकि यह चीज खंड ४ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में है। जिस बात के सम्बन्ध में यह है वह बात ही यहां निरर्थक है । वह तो महज एक्स-प्लेनेटरी है और अगर उसको पढ़ दूं तो वह यह है कि "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक (प्राविज़ों) में अभिदिष्ट भूमि के अधिवासी के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त उपखंड में कोष्ठक में आये शब्द "लागू होती है" के पश्चात् शब्द "अथवा जो यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि-से भिन्न हो," बढ़ा दिये जायं। दरअसल उपखंड तो नीचे आता है, वह तो खाली समझाने के लिये है, अगर वह बजाय उसको छापने में अपने भाषण में कह दिये होते तो समझ में आ जाता, लेकिन ऐसे वाक्यों से क्या लाभ जो निरर्थक है। हमारे मौर्य जी फरमाते हैं कि वह अधिवासी नहीं हो सकेगा। जिस धारा का वह संशोधन करने जा रहे हैं अगर वह देखें तो उसके अधीन जो आकुपेण्ट होगा, सन् ५६ में भी हो जाय तब वह भी अधिवासी नहीं हो सकता । यह बिल्कुल रिडण्डडेण्ट और अनावश्यक है और क्योंकि यह एक एक्सप्लेनेटरी वाक्य हैं, इसलिये अनावश्यक है। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी का समर्थन करता हूं, और भाषा, ड्राफ्ट पर्याय और अर्थ चारों प्रकार से मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से आज्ञा चाहता हूं कि इसके बाद आगे आने वाला जो १९ नम्बर पर मेरा संशोधन है उस को पेश करूं, क्योंकि वह भी इसी से संबंधित है और जैसा श्री नारायणदत्त तिवारी ने बताया है कि मैं भी समझता हूं कि यह आवश्यक है और यही नहीं कि यह आवश्यक है, बल्कि जो विधेयक में आया है वह भी अनावश्यक है। इसलिये यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं १९ वें नम्बर पर जो मेरा संशोधन है उसको पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---आप पेश कर दीजिये।

श्री केशभान राय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के आरम्भिक शब्द "निहित" से ले कर पंक्ति ६ के शब्द "उक्त उपखंड" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं।

विधेयक के इस खंड के दूसरे उपखंड में है "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यू० पी० टेनेसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट भूमि के अधिवासी (occupant) के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त....." उक्त के आगे जो बात कही गयी है उतना ही यदि रखा जाय तो इस विधेयक में रखने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है और इसलिये यह चीज जो रखी गयी है वह तो केवल समझाने के लिये है, क्योंकि ऐसी बात रख दी जाती है । यदि मूल अधिनियम को देखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय तो उसमें हमारे संशोधन के साथ यह हो जाता है। "मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त खंड में कोष्ठक में आये शब्द "लागू होती है" के पश्चात् "अथवा जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंटमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न हो"। हमारे पास हिन्दी का वर्जन नहीं है अंग्रेजी का वर्जन है मूल अधिनियम काइसलिये मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें है "any land other than grove-land" etc. etc के बाद आ जाता है "अथवा जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंटमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न हो" इतना रख देने से वह अधिवासी के अधिकारों से वंचित हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने १८वें नम्बर पर जो संशोधन रखा है उस संशोधन को वापस ले लें और मेरे संशोधन को मंजूर कर लें। उससे उनका मतलब भी सिद्ध हो जाता है और इस धारा में अनावश्यक अंग आ जाने से जो गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने की आशंका है वह भी दूर हो जायेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो चौथे नम्बर पर जो स्पष्टीकरण है उसके बाद यह शुरू हो जाता है कि "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर.....आदि आदि" तो फिर यह मूल अधिनियम में कहां स्थान पायेगा यह आप नहीं बता सकते। और इसके बाद "उक्त उपखंड" के स्थान पर यदि पूरा ब्योरा जहां "कोष्ठक में आये शब्द" आये हैं यदि लिख दें तो यह संशोधन मूल अधिनियम में ठीक स्थान पर आ जायगा और आप का मतलब भी पूरा हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मान लिया जायगा ताकि जो अनावश्यक बात है वह न आने पाये और संशोधन मूल अधिनियम में ठीक बैठ जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय केशभान राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां मैं माननीय केशभान राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम वाक्यों का समर्थन करता हूं कि प्रथम के वाक्यांशों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह समझाने के लिये हैं वहां मैं उनके संशोधन का विरोध भी करता हूं इसलिए कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यहां इस समय अंग्रेजी का है, इसको पढ़ दूं, इससे इंटरप्रेटेशन करने में आसानी हो जायगी। उपखंड २ अंग्रेजी में लिखा हुआ है वह इस प्रकार है --

"(2) A person recorded as occupant on the date immediately preceding the date of vesting of land referred to in the proviso to sub-section (3) of section 27 of the U. P. Tenancy (Amendment) Act, 1947 shall not become an adhivasi of such land under sub-clause (i) of clause (b) of section 20 of the Principal Act.....".

तो श्रीमन्, इसका अर्थ यह है कि धारा २० जिसका संशोधन सन् १९५२ में हुआ था उसकी उपधारा (१) के अनुसार आकूपेंट कभी भी अधिवासी नहीं हो सकता। इस उपखंड में श्रीमन्, यह बात लिखी हुयी है। जब यह बात धारा २० के क्लाज बी के उपखंड में पहले से है तो इस बात को चाहे कोई भी धारा क्यों न हो, उसमें दोहराना बिल्कुल अनावश्यक है। जबकि माननीय मंत्री जी और श्री केशभान राय जी दोनों मानते हैं कि धारा २० में यह बात लिखी हुयी है तो इसको दुबारा दोहराने की क्या जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह खंड और माननीय केशभान राय जी का संशोधन दोनों अनावश्यक हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय गेंदा सिंह जी उस समय मेरी बातों को समझने में असमर्थ रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

हूं आपके द्वारा कि इसमें मेरे मित्रों को बड़ा भ्रम हो रहा है। यह सही बात है कि जो विधेयक में यह प्रस्ताव है मूल, तो उसमें जो असली संशोधन है उसके पहले के तमाम वाक्य स्पष्टीकरण के लिये ही हैं, जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा और स्पष्टीकरण को निकाल कर जैसा कि माननीय केशभान राय जी ने कहा कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसको निकाल करके जैसे और संशोधन रखे जाते हैं उसी प्रकार से रख दिया जाय। तो अगर स्पष्टीकरण को निकालना होता, या स्पष्टीकरण रखने की आवश्यकता न समझी जाती तो यह बात सही थी कि केशभान राय जी का संशोधन मैं स्वीकार कर लेता। लेकिन असल में स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हुई, इसलिये जब स्पष्टीकरण और समझाने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो उस स्पष्टीकरण को रख देने से समझने में आसानी हो जायगी। अब मैं यह निवेदन कर दूं कि धारा २० के "ख" की उपधारा (१) इस प्रकार है--"किसी ऐसी भूमि के, जो बाग भूमि से या ऐसी भूमि से भिन्न हो जिस पर धारा १६ लागू होती हो, सम्बन्ध में यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के क्रमशः धारा २८ और ३२ के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के खसरे या खतौनी में उपलिखित रहा हो। यानी यह व्यक्ति अधिवासी हो जायगा या वह व्यक्ति भी अधिवासी हो सकता है जिसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड "सी" के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार रहा हो। तो यह जो दूसरा खंड 'सी' है, इसके अनुसार उसे कब्जा वापस हो जाना चाहिये। अब चूंकि यह झगड़ा केवल १३५६ फसली का है तो उसमें वहां पर वह शिकमी तो है ही और शिकमी से उसे मिल जायगी, लेकिन शिकमी के अलावा अगर उसका कब्जा लिख गया तो अब असली शिकमी तो उससे निकल जाय और इसको मिल जाय २७ वाले को लेकिन वह काबिज वाला उस शिकमी से भी बढ़कर के अधिकार पा जाय यानी असली शिकमी को तो वापस हो और जो काबिज है वह अधिवासी बनकर के ले ले। तो सीधी सी बात यही है कि जो हमने दिया है अधिकार इस २० के (ख) के उपखंड (१) के दूसरे भाग वाले व्यक्ति को, वह अधिकार उसका सुरक्षित रहे और किसी ने अगर १३५६ फसली में उस शिकमी के ही हाथ से अपने को काबिज भी लिखाया, चाहे शिकमी की रजामंदी से लिखाया चाहे शिकमी के बैक में लिखाया लेकिन उसको तो निकल जाना ही चाहिये। तो यह भ्रम होना कि हमने किसी ऐसे अधिवासी को निकाल दिया यह बात नहीं है। यह तो १३५६ फसली के कागज में इस यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) वाले व्यक्ति की जमीन पर जिस पर एक शिकमी था पहले, उससे वापस लेने का हक था उस जमीन पर कोई अधिवासी बन गया है, तो वह अधिवासी नहीं माना जायगा और इस तरह जब संशोधन स्वीकार हो जायगा तो इस रूप में धारा हो जायगी ·····

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा विधेयक कहा जाने वाला अंग जो न तो मूल अधिनियम का हिस्सा बनने वाला हो और न वह मूल अधिनियम की किसी धारा में फिट इन होता हो और न वह वर्तमान विधेयक में फिट इन होता हो, क्या ऐसा वाक्य विधेयक का हिस्सा हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--यही मैं सोच रहा था बैठे बैठे, इसी को बहुत बारीकी से देख रहा था कि आखिर नतीजा क्या है। अगर सिर्फ आर्गूमेंट है और उसका कांक्लूजन शब्द "अतएव" से निकाला गया है और उसका कोई असर इस संशोधन पर नहीं है तो यह बात तो उसमें बीच में नहीं आ सकती। ऐसी बात मुझे मालूम होती है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, प्रस्ताव के भाषण को सुनकर और मैं यह बात स्वयं ही उठाना चाहता था।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं तो निवेदन करूंगा कि जो टाइम लिमिट है, उसे खत्म करके जरा अच्छी तरह से समझा दिया जाय। हम लोग समझना चाहते

हैं श्रीमन्, और इसमें मुश्किल हो रही है। हमने इसीलिये माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य को चिट्ठी भी लिखी थी कि हम लोग जरा बैठ करके समझें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह वैधानिक प्रश्न आपको पहिले ही मेरे पास भेज देना था।

श्री राजनारायण--कुछ जनहित की व्यवस्था जो आप दे दें वह हम सब लोगों को स्वीकार है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना ख्याल है कि पहले भी संशोधनों में इस तरह के स्पष्टीकरण की बातें आ चुकी हैं। ऐसा मेरा अपना ख्याल है।

श्री अध्यक्ष--नहीं, स्पष्टीकरण तो हो सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो यह बिलकुल स्पष्टीकरण ही है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन स्पष्टीकरण आप कहें तो। आपने तो शब्द "अतएव" लगा दिया जिससे आप नतीजा निकाल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं यह कह रहा था कि जो मौजूदा विधेयक है उसमें यह....

श्री अध्यक्ष--मैं पूछना चाहता हूं कि शब्द "अतएव" के पहले का हिस्सा जो है यह हिस्सा कहीं चस्पां होगा ? यानी जो संशोधित विधेयक होगा उसमें कहीं चस्पां हो जायगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां। उसमें यह इस तरह हो जायगा। यानी एक भ्रम वह रहा है, स्पष्टीकरण में ही एक ऐसा भ्रम रहा है कि उससे गलतफहमी हो जाती है। तो उसमें इस जगह लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--"अतएव" शब्द कायम रहेगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं, वह तो मैंने कहा कि जहां इस तरह है कि निहित होने के दिनांक.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसको इस समय स्थगित करके आगे के संशोधन को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--हां, अच्छा तो यही निश्चय रहेगा कि इसको इस समय स्थगित करके आगे के संशोधनों को ले लें। मैं समझता हूं कि बीच में जब एक घंटे के लिये उठेंगे उस समय इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं निवेदन करदूं कि ऐसे ही आगे स्थगित करने की नौबत आयगी।

श्री अध्यक्ष--यदि ऐसा हो तो उस समय देखा जायगा। अभी से भविष्य की संभावना पर क्यों विचार किया जाय।

श्री चरण सिंह--मेरी तजवीज यह है कि खंड ५ को फिलहाल छोड़ दिया जाय और आगे ले लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, सुनने में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि खंड पर विवाद बाद में हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं। ठीक है।

खंड ६

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३ खंड (ख) का निकाला जाना।

६--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) का खंड (ख) निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नए अध्याय २-क का रखा जाना।

७--मूल अधिनियम के अध्याय २ के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय २-क के रूप में रख दिया जाय।

अध्याय २-क

इवैकुई प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति)

"२६-क--इस अध्याय तथा अनुसूची ५ में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, शब्द और पद "कस्टोडियन" "इवैकुई" और "इवैकुई प्रापर्टी" का वही अर्थ होगा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट १९५० में क्रम से custodian evacuee और evacuee property का है।

अधिनियम की इवैकुई प्रापर्टी पर प्रवृत्ति।

२६-ख--इस अधिनियम के निदेश इवैकुई प्रापर्टी की अनुसूची ५ में दिये गये संशोधनों के अधीन प्रवृत्त होंगे।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-क

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७-क निम्नलिखित तौर पर बढ़ा दिया जाय--

"मूल अधिनियम की धारा ५७ (२) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" के बाद जोड़ दिया जाय कि

"जोकि उस अपील का निर्णय स्वयं देगा या किसी अफसर के पास ....."

इसमें जवाब वाला यह गुजारिश है कि इसमें इसका फैसला होगा कि कम्पेसेशन जो होगा.....

श्री अध्यक्ष--आप अपने संशोधन को पूरा तो पढ़ दें। सदन समझेगा क्या? बहस आपने शुरू कर दी।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जी वह तो पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष--वह तो इस तरह है, 'जोकि उस अपील का निर्णय स्वयं देगा या किसी ऐसे जुडीशियल अफसर के पास जिसका पद सिविल जज से कम न हो निर्णय करने के लिये हस्तांतरित करेगा।'

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जी हां, यही मेरा मतलब है।

श्री अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि रोमनलिपि में, या जिस लिपि में आप पढ़ सक हैं उसमें लिखकर आप अपने पढ़ने के लिये ले आते तो उचित होता ।

श्री अताहर हुसेन ख्वाजा--मैं यह समझता था कि शायद यह बहुत देर में आयेगा उस वक्त तक मैं लिख लूंगा लेकिन चूंकि दो खंड बीच में से हट गये, वह फौरी आ गया, इसलिये मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं कि मैंने उसे पहले नहीं लिखा था, इसलिये मुझे पढ़ने में दिक्कत हुयी ।

बहरहाल, इसमें अपोर्शनमेंट कम्पेंसेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज को हक दिया गया है अपील का । तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस कदर काम है, हर जिले में कि यह अपील सालहा साल, कई बरस का इमकान है कि वह न हो सके और अपने जिले के मुताल्लिक खुद मैं अर्ज करता हूं कि ऐसी हालत है । इसमें कोई डेलीगेशन के पावर डिस्ट्रिक्ट जज को डेलीगेट नहीं किये गये कि वह चाहे तो इसको ट्रांसफर करा सके दूसरी अदालत में भी, जहां कि उसका फैसला जल्दी हो सके । कम्पेंसेशन के मामले को ज्यादा देर तक लटकाये रखना मुनासिब नहीं होगा, इसलिये कि बांड्स नहीं तकसीम किये जा सकेंगे और यह किसी के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि बांड्स ज्यादा अर्से तक तकसीम न हों और वह चीज आखरी तौर पर तो न पाये कि कौन शख्स किस कदर रकम पाने का मुस्तहक है । इसलिये इस दिक्कत को रफा करने के लिये और इसलिये कि इन केसेज का जल्दी डिस्पोजल हो जाय, मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि वह चाहे तो किसी ऐसे अफसर को जिसका कि रैन्क सिविल जज से कम न हो, मुन्तकिल कर दे, ताकि इस किस्म के मुकदमात जल्दी-जल्दी तय हो जायं । मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर इसको मंजूर फरमायेंगे ।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, जो मंशा माननीय मित्र का है, उससे मैं मुत्तफिक हूं । ऐसा होना चाहिये, लेकिन जो संशोधन के शब्द हैं उनके मुताल्लिक मैं अभी कुछ कह नहीं सकता । मैंने अपने गवर्नमेंट के लीगल ऐडवाइजर से कहा हुआ है और वह एक अमेंडमेंट इस सिलसिले में तैयार कर रहे हैं । या तो इसे अगर मंजूर कर लिया तो यह रह जायगा और अगर दूसरा हुआ तो उस अमेंडमेंट को मैं पेश कर दूं या वह कर दें । वैसे मुझे मंजूर है । तो फिलहाल इसे छोड़ दिया जाय और आगे चला जाय ।

श्री अध्यक्ष--तो आप इसको छोड़ने के लिये कह रहे हैं ।

श्री चरण सिंह--जी हां ।

नया खण्ड ७-ख

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाब वाला, दूसरा सशोधन मेरा यह है कि खंड ७-ख निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय--

"७-ख--मूल अधिनियम की धारा ५८ में से शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी" निकाल दिये जायं ।

यह कांसिक्वेंश्यल अमेंडमेंट है । अगर पहला मंजूर हो जाता है तो दूसरा खुद बखुद हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--तो इसको भी आप छोड़ दीजिये । यह तो नया खंड है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, इस प्रकार से कितने खंड छोड़े जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बड़ा ही अव्यवस्थित तरीका होगा और एक गलत परम्परा सरकार प्रस्तुत करने जा रही है कि खंड के बाद खंड छोड़े जा रहे हैं कि ड्राफ्ट ठीक नहीं है । हम इस पर क्या विचार करें ? यह बहुत अनप्रिसिडेंटेड चीज हो रही है और शायद ही ऐसा हुआ हो कि एक एक खंड तीन तीन बार बदला जा कर भी ठीक न हो तो इस पर क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? अगर आप आज हाउस ऐजर्न कर दें तो बाद में कल इस पर विचार हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन ने जो यह निश्चय कर लिया है कि कल यह समाप्त होना चाहिये, तो अगर अभी हम ऐसा कर दें कि इसी सदन की बैठक स्थगित हो जाय तो इसका मतलब यह होगा कि बहुत से संशोधन ऐसे रह जायेंगे जिनके ऊपर विचार नहीं हो सकेगा। विवाद हो सके इसके लिये सदन ने समय भी कम किया है हर एक के बोलने का और कल दिन भर बैठने पर भी यह काम हो नहीं सकेगा अगर आज विवाद करना हम स्थगित कर दें।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। मैंने सिर्फ यह दरख्वास्त की थी कि मैं अतहर हुसेन साहब के आशय को मंजूर करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज को यह भी अख्तियार हो कि कम्पेन्सेशन की अपीलों को वह सिविल जज के पास भेज सकें। देर यह हुयी कि ५ वां जो क्लाज है उसमें बहुत से अमेंडमेंट हैं। मैंने अपने लीगल एडवाइजर को उनकी लैंगुएज देखने के लिये कहा है। जो वह कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं तो उनका तजुर्बा ही कितना बड़ा लम्बा है जो अनप्रेसीडेंटेड की बात कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—आपको जवाब देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने स्वयं उत्तर दे दिया था।

श्री चरण सिंह—हां जी, वह तो ठीक है। मैंने तो केवल जो उन्होंने कहा कि अन-प्रेसीडेंटेड है उसका जवाब दे दिया।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की तमाम किताबें पढ़ी लेकिन किसी विधेयक में इतने संशोधन एक ही वक्त आये हों ऐसा मुझे मिला नहीं। श्रीमन्, हम संतुष्ट हो जायेंगे अगर आप यह रूलिंग दे दें कि यह व्यवस्था जनतांत्रिक प्रणाली के लिये स्वस्थ्य है। इतना महत्वपूर्ण विधेयक कल तक हमको बाध्य किया जा रहा है कि हम पास करें। श्रीमन्, मेरा तो यही निवेदन है कि आज दिन भर के लिये यह स्थगित कर दिया जाय और हम लोग बैठें द्वारका प्रसाद जी मौर्य के कमरे में और उनसे अपनी शंका का समाधान करा लें।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये एक निर्णय सदन का हो चुका है और वह इस प्रकार बदला नहीं जा सकता। आप सरकारी पक्ष से अपील कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्हीं से अपील कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह मान नहीं रहे हैं।

खंड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ८२ क संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ८२ की उपधारा (२) से शब्द "अधिकार अभिलेख (record of rights) के संगत उद्धरण (relevant extracts) और" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ११७ में :

(क) मद (४) निकाल दी जाय, और

(ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपर्युक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गयी विज्ञप्ति को चाहे सामान्यतः

या किसी गांव समाज के सम्बन्ध में किसी भी समय इसी प्रकार से संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है और ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (resume) और जब भी राज्य सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले, तो गांव समाज को ऐसे भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास के निमित्त ही, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(कक) मद ६ में शब्द "लागू होते हों" और शब्द "लगने वाले हाटों" के बीच में शब्द "या ऐसी भूमि पर जो धारा ९ में अभिदिष्ट है" रख दिये जायं।"

धारा ९ में जो भूमि है उसके भी स्वामी होते हैं। इसमें कोई ऐसी पेंचपांच की बात नहीं है और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

†**श्री गेंदा सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो माननीय मौर्य जी ने कहा कि इसमें कोई पेंचपांच की बात नहीं है तो मेरे खयाल में इसमें सोलहों आने पेंचपांच की बात है और यह हाट बाजार वाला मामला जो है वह तो इतनी उलझन वाला मामला है कि जिस हाट और बाजार का संशोधन माननीय मौर्य जी रख रहे हैं इससे गांव समाज की एक बड़ी भारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचेगा। कम से कम मौर्य जी को हमें नहीं तो इस सदन को समझाने की कोशिश तो करनी चाहिये कि आखिर इस संशोधन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि जो हाट बाजार पहले गांव समाज के थे वे उन व्यक्तियों को देने जा रहे हैं जिनको हम कभी देना नहीं चाहते थे और न ऐसी बात इस विधेयक की कभी मंशा थी। मैं समझता हूं कि इस तरह के संशोधनों को ला करके मौर्य जी अपना और हम लोगों का वक्त खराब कर रहे हैं। वह कम से कम इतना जरूर किया करें कि जिस संशोधन को लायें वह मैं अगर न समझ पाऊं तो उनके मित्रों को तो उसे समझने का कम से कम पूरा अवसर मिल सके। हमको वह भले ही रेडीक्यूल कर दें कि तुम्हारी समझ में बड़ी गलत है, लेकिन जो और माननीय सदस्य हैं कम से कम उनकी समझ में तो आ जाय कि जो कानून वह बना रहे हैं वह साधारण जनता के लिये है और जनता को उससे लाभ उठाना है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत अनावश्यक है और माननीय मौर्य जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक की धारा ९ में वह इमारतें जो कि मध्यवर्ती की थीं वह सब उन्हें दे दी गयीं। जो काश्तकार की इमारतें थीं वह सब उन्हें दे दी गयीं। भूमिधर की भूमि में जो हाट बाजार लगते हों वह तो मध्यवर्ती के रहे और अगर किसी काश्तकार को आबादी जो मिल गयी है वह काश्तकार की है। लेकिन अगर कोई मध्यवर्ती की इमारत है और उसके अन्दर कोई बाजार लगता हो और वह पहले से लगता चला आ रहा हो तो उस हाट बाजार का वही मालिक है न कि गांव समाज या गांव सभा। जिस तरह सीर की भूमि के बाजार उसकी मिल्कियत हैं उसी तरह से इमारत के अन्दर के बाजार भी इमारत वालों के होंगे। ऐसे केसेज आये हैं जिनमें उनकी इमारत के घेरे में ही बाजार लगता है। न भी लगते हों लेकिन कानून की दृष्टि में जो इमारत के अन्दर बाजार लगें वह उन्हीं की सम्पत्ति होती है। न्याय यही कहता है कि उनकी इमारत के अन्दर की चीज हम कभी नहीं ले सकते। और इसी आशय से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया और यह बहुत न्याय की बात है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

(कक) मद ६ में शब्द "लागू होते हों" और शब्द "लगने वाले हाटों" के बीच में शब्द "या ऐसी भूमि पर जो धारा ९ में अभिदिष्ट है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशभान राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (ख) में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ७ में शब्द "केवल" हटा दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है "निमित्त" शब्द के बाद आया "ही" आया है। "केवल" शब्द "ही" का ही द्योतक है। इसलिये "केवल" हटा दिया जाय। "केवल" और "ही" में से एक ही रहना चाहिये। एक से काम चल जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे इसका विरोध है। "केवल" शब्द जो लिखा है वह जोर दिया गया है कि "केवल विकास ही" और कोई इसके अन्तर्गत चीज नहीं हो सकती। इसलिये "केवल" रहना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसे वापस लेंगे।

श्री केशभान राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि शायद आपने सुना नहीं। मैं "केवल" को अनावश्यक नहीं समझता। "केवल" और "ही" दोनों का रहना जरूरी नहीं है। "ही" से काम चल जाता है। अगर "केवल" रखना है तो "ही" निकल जाना चाहिये। चूंकि दोनों का अर्थ एक ही है इसलिये "केवल" को अनावश्यक समझता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भाषा को देख लें अगर उससे अर्थ निकलता हो तो वैसा कर दें।

श्री अध्यक्ष—भाषा मैं बदल नहीं सकता हूं। केवल शाब्दिक संशोधन हो और उसके किसी शब्द को हटा लेने से कोई उसके अर्थ पर असर न पड़ता हो तब मैं कर सकता हूं। लेकिन यह शाब्दिक नहीं है। शब्द वह जोर देने के लिये वहां पर रखा गया है और सहेतुक रक्खा गया है।

श्री केशभान राय—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ९ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय। श्रीमन्, इस धारा ११७ का जो दूसरा प्रतिबन्धात्मक वाक्य है उसको पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि वह ज्यादा स्पष्ट है। उसमें लिखा है "और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गये किसी विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा" तो श्रीमन्, इस खंड को बदल कर नये प्रतिबन्धात्मक वाक्य को बढ़ा कर राज्य सरकार इस धारा को बढ़ा रही है। आप यह देखेंगे कि इस प्रतिबन्ध को बदल कर जो नया प्रतिबन्ध रक्खा जा रहा है उसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक भूमि या वस्तु के विषय में सामान्यतः किसी भी विज्ञप्ति को हटा सकती है। यह गांव समाज के नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि "जनरली" जो वर्ड अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है "सामान्यतः प्रत्येक नोटीफिकेशन को और प्रत्येक विज्ञप्ति को सरकार निरस्त कर सकती है" इतनी अधिक ताक़त इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा लेना उचित नहीं है। इसमें यह भी लिखा है "जब भी राज्य सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले, तो गांव समाज को ऐसी भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास के निमित्त हो, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा।" लेकिन सामान्यतः जहां पर नोटीफिकेशन कैंसिल किया जायगा वहां पर प्रतिकर के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। तो दो प्रकार के नोटीफिकेशन आते हैं। एक तो गांव समाज की भूमि या वस्तु के सम्बन्ध में और दूसरा जनरली जो निकाला जाता है दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य में सामान्यतः किसी वस्तु या भूमि पर प्रतिकर लगाने के सम्बन्ध में, जनरली जो नोटीफिकेशन निकाले जायेंगे उनके सम्बन्ध में प्रतिकर नहीं मिलेगा। इसलिये मैं इन दो कारणों से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह नया प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय और पुराना प्रतिबन्धात्मक वाक्य ही रक्खा जाय।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधक अंश की सख्त मुखालिफत करता हूं और मैं यह समझता हूं कि गांव समाज को अब तक जो ताकत मिली थी उसको एक गैरमामूली तरीके पर सरकार छीनना चाहती है। यह बात ठीक है कि अगर सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिये आवश्यकता हो तो उनसे जमीन ले और वह उनको कोई प्रतिकर न दे यह बात ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी तो कोई पाबन्दी है नहीं कि सरकार स्वयं ही कह दे कि वही सार्वजनिक है। कभी कभी सरकार ऐसे कामों के लिये भी जमीन लेती है जो बिल्कुल व्यक्तिगत कार्य होते हैं। हमारे पास इसके लिए प्रमाण हैं। गांव समाज की सम्पत्तियों को छीना गया इसलिये कि कुछ व्यक्तियों को जमीन देनी थी। सरकार ने समझा हो या न समझा हो कि यह उन पर जुल्म होगा और दो दो साल से १०७ और ११७ के मुकदमें गांव वालों पर चल रहे हैं और सरकार बदनाम हो रही है। इसके पीछे कौन है? एक या दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार को राजी करके गांव की सम्पत्ति को हड़प लिया। तो इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को बहुत सोच समझ कर इस तरह के अख्तयारात को अपने हाथ में लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसकी शब्दावली की तरफ दिलाऊंगा कि जिसमें यह शब्द हैं कि "और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपयुक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गयी विज्ञप्ति को चाहे सामान्यतः या किसी गांव समाज के सम्बन्ध में किसी भी समय इसी प्रकार से संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है और ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (resume) और जब भी सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले, तो गांव समाज को ऐसी भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास के निमित्त ही, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा" तो मैं समझता हूं कि इसमें तो कहीं सरकार के हाथ से बचता नहीं है। सरकार तो खाली हाथ रखना चाहती है। जहां के लिये जिस तरह से चाहे गांव समाज की जमीन ले ले और उसके बदले में उसको एक पैसा भी न दे। सरकार कहती है कि विकास के लिये हम कुछ देंगे लेकिन मैं समझता हूं कि दरख्त उसमें है तो वह प्रकृतिक विकास में उसको मिला हुआ है और उसको लेकर सरकार ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जिसको हम क्या कहें! इस काम को सरकार अपने हाथ में लेकर अपने ऊपर बदनामी ले रही है। इस तरह की बदनामी लेकर सिवाय इसके कि सरकार की बदनामी हो और दूसरे का हित नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को यह अख्तयारात नहीं लेने चाहिये। इसमें अगर सरकार यह कम से कम मान लेने के लिये तैयार हो कि वह सार्वजनिक कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

के लिये लेना चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न यह कहा गया है कि वह सार्वजनिक हित के लिये लेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको निकाल कर ही इस संशोधन को पास करना चाहिये।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने मित्र श्री गेंदासिंह जी जैसे संजीदा आदमी से ऐसी बातें सुनीं जो उनको नहीं कहनी चाहिये थीं। पेश्तर इसके कि मैं, उनका जो इशारा है, संकेत है उसका जवाब दूं, यह संशोधन क्यों किया जा रहा है इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आज जैसा कानून है उसमें यह लिखा हुआ है; आप धारा ११७ के प्रतिबन्ध को देखें उसमें यह है कि "और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गये किसी विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा।" अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है कि "और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपर्युक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गई विज्ञप्ति को चाहे सामान्यतः या किसी गांव समाज के सम्बन्ध में किसी भी समय इसी प्रकार से संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है और ऐसी भूमि अथवा वस्तु को अपने अधिकार में वापस ले सकती है (resume) और जब भी राज्य सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले, तो गांव समाज को ऐसी भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये इम्प्रूवमेंट्स के लिये जो केवल विकास के निमित्त प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा" आज जैसा कि मौजूदा कानून है उसके अनुसार अगर गवर्नमेंट उस जमीन को, जो कि किसी गांव समाज को दे दी गयी है या उसमें वेस्ट कर दी गयी है, वापिस लेना चाहे किसी काम के लिये तो उसके लिये उसम शब्द "एक्वायर" आया है, अब इसके लिये कानूनी मशविरा यह है कि हमें उसको एक्वायर करने के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, लेकिन इसमें देर लगती है। आज गवर्नमेंट आफिसेज में आधे दर्जन से अधिक ऐसी फाइलें होंगी कि गवर्नमेंट को सार्वजनिक काम के लिये जमीन की जरूरत है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कानूनी मशविरा यह है कि हम किसी नोटीफिकेशन या आर्डर के जरिये से उसको ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें लफ्ज एक्वायर आया है और एक्वायर करने का एक ही तरीका है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत उसकी कार्यवाही हो। इसमें कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट का संशोधन पेश किया गया था उसकी भी मंशा यही थी कि जल्दी से जल्दी हस्तगत होने की कार्यवाही पूरी हो जाय लेकिन उसमें भी ८–९ महीने से कम नहीं लगते हैं, इसलिये गवर्नमेंट के सार्वजनिक काम रुके पड़े रहते हैं। इससे यह होगा कि गवर्नमेंट ने जिस नोटीफिकेशन के द्वारा गांव समाज को जमीन दी है, उसको संशोधित कर देगी या उसको निरस्त कर देगी। वह नोटीफिकेशन गजट में तो छपेगा ही और गजट सब के पास जाता ही है, सिर्फ सहूलियत यह होगी कि उससे जल्दी काम हो जायगा।

जहां तक इस बात का संबंध है कि सिर्फ पब्लिक परपज के लिये ही ऐसा किया जा सके तो इसमें पब्लिक परपज लफ्ज न तो पहले था और न अब है। लेकिन माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं कि अब पब्लिक परपज लफ्ज रख दिया जाय तो उनको तसल्ली हो जायगी। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि अब तक उनकी तसल्ली थी या नहीं। अगर पब्लिक परपज शब्द रख दिया जाय तो भी उनकी मंशा पूरी नहीं होगी क्योंकि पब्लिक परपज के माने तो यह है कि जिसको गवर्नमेंट कहती है कि यह पब्लिक परपज है। इसीलिये पब्लिक परपज कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अतः उसका रखा जाना भी बिल्कुल बेकार होगा,

क्योंकि जिसको गवर्नमेंट पब्लिक परपज़ कहेगी वही पब्लिक परपज़ होगा। यही कारण है कि लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट में भी पब्लिक परपज़ डिफाइन करने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ ३–४ चीजें रख दी हैं कि "पब्लिक परपज़ इन्क्लूड्स"। यह चीजें उसमें शामिल नहीं हैं, यह भी उसमें दिया हुआ नहीं है। ब्रिटिस हाईकोर्ट, अमेरिका और हमारे यहां भी जिसको गवर्नमेंट पब्लिक परपज़ कहे वही पब्लिक परपज़ होता है। इसलिये जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा, पब्लिक परपज़ शब्द के रखने से कोई फर्क़ नहीं पड़ता।

गेंदा सिंह जी ने लांछन लगाया कि मैं ऐसी बातें बता सकता हूं। उनके सामने केवल एक ही बात है लेकिन उन्होंने कही अनेक हैं जिनमें गवर्नमेंट ने गांव समाज की जमीन को वापिस ले कर व्यक्तियों को किन्हीं कारणों से दे दीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह तो लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के मुताबिक कार्यवाही होती थी न यह कि केवल नोटिफिकेशन हो जाय। तो अगर गवर्नमेंट ने जमीन गांव समाज की ली होगी किसी भी व्यक्ति को देने के लिये तो लैंड एक्विजीशन ऐक्ट की कार्यवाही हुई होगी, एतराज हुआ होगा। लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के सेक्शन ४,५,६ और १७ के अनुसार उसकी प्रोसीडिंग्स हुई होगी। लेकिन सारे सूबे में ऐसी एक भी मिसाल नहीं है। हां, जिसकी बाबत मेरे मित्र को गलतफहमी है वह देवरिया की एक मिसाल है, लेकिन वह जमीन गवर्नमेंट ने वापस नहीं ली, गांव समाज से वह जमीन एक्वायर नहीं की गयी है, वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने जमीन नहीं ली, बल्कि वह इस प्रकार का है कि जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू हुआ उससे पहले वह शख्स लीज ले चुका था। तो प्रश्न यह है कि वह जमीन जो उस शख्स को पट्टे से मिली, आया उस पर उसी का अधिकार रहना चाहिये या वह लीज इनवैलिड है और गांव समाज को वह जमीन मिल जानी चाहिये। यह नहीं है कि गवर्नमेंट में जमीन वेस्ट हो कर गांव समाज को दी गयी हो और गांव समाज को एक्वायर करने का टाइटिल हो। ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि डिस्प्यूट तो यहां पर यह है कि उस शख्स का यह कहना है कि जमींदारी एबालिशन के पहले मैंने फलां कोर्ट आफ वार्ड्स के मैनेजर से यह लीज पर ली है और मेरी लीज वैलिड है। वह शख्स इस मामले को लेकर गवर्नमेंट के पास आया, अदालत में वह नहीं गया। हमने कहा कि हम तो कानूनन इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम अदालत में जा कर दावा दायर करो। इसी तरह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जमींदारों के बीच में केस चल रहे हैं। जमींदार कहते हैं कि फलां हाट मेरा है चूंकि यह मेरी भूमिधरी की जमीन पर लगता है।

श्री अध्यक्ष—अब तो आप का वक्त हो चुका।

श्री राजनारायण—मैं यह पूंछना चाहता हूं कि इनके लिये कितना समय नियत है।

श्री अध्यक्ष—मैं भी तो वही कह रहा था।

श्री चरण सिंह—मैं अभी दो मिनट में खत्म करता हूं। तो मैं यह अर्ज़ कह रहा था कि कोई ऐसा केस नहीं है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक परपज़ के नाम पर कहीं किसी गांव समाज की जमीन ले कर किसी व्यक्ति को दी हो। अध्यक्ष महोदय, जब कोई ऐसा केस नहीं है तो फिर किसी शख्स का इस तरह की बात कहना कहां तक जायज़ हो सकता है। खास तौर पर मेरी माननीय गेंदा सिंह जी से आप के जरिये सख्त शिकायत है कि अगर उनके सिवा किसी और ने या और दो चार शख्सों ने कुछ कहा होता तो मैं इस किस्म की शिकायत नहीं करता और जवाब भी नहीं देता।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री महोदय को सुनता

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

रहा हूं। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ यह सुन कर, जो उन्होंने कहा कि पब्लिक परपज, जनहित की कोई परिभाषा नहीं है जो कि सरकार कर दे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह कहां का कंस्टीट्यूशन है, वह किस देश का संविधान है, जहां कि सरकार पब्लिक परपज की परिभाषा को नहीं मानती है। श्रीमन्, मैं उनको यह भी बतलाना चाहता हूं कि कम से कम भारतीय संविधान में तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसको सरकार पब्लिक परपज के लिये मान सके। जहां तक दूसरे देशों की बात है अमेरिकन जुडिशियरी ने पब्लिक परपज को देखते हुये और बहुत सी चीजों के सम्बन्ध में विचार विनिमय करते हुए बहुत से नियमों और बहुत से कानूनों को वहां अवैध करार दिया है और मान लिया है कि जिसको सरकार पब्लिक परपज समझती है वह पब्लिक परपज नहीं है। श्रीमन्, एक माननीय मंत्री महोदय के लिये इस सदन में यह कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। मैं मानता हूं कि अगर उधर के कोई दूसरे सदस्य कहे होते परन्तु कहने को चाहे वह कह दें कि यह पब्लिक परपज है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जमींदारी टूटी और जितनी जमीनें थीं वह ११७ में सरकार में वेस्ट हुईं और बाद में वह गांव समाजों को दी गईं। अगर वह उस आधार पर समझते हैं कि हमने उनको ट्रान्सफर किया है तो मैं बताऊंगा कि वह पंचायतें जिनके द्वारा काटजू साहब इस देश में और इस प्रदेश में रामराज्य स्थापित करने का स्वप्न देखते थे और जिनके अधीन आप देश का भाग्य सौंप रहे थे और भारतीय संविधान में आब्जेक्टिव्ज के रिजोल्यूशन में जिसको स्थान दिया जाता है और जहां जमींदारों से अपहरण करके क़ब्ज़ा करने का प्रश्न उठता है वहाँ नीति दूसरी होती है वह सुप्रबन्ध कहा जाता है, लेकिन जहां सरकार का प्रश्न उठता है वहां उन पर आसानी से कुप्रबन्ध का दोषारोपण हो सकता है। सरकार अपने पास अधिकार रखना चाहती है और समयानुसार अंकुश लगा कर अधिकारों को चाहे जब संकीर्ण कर सके यह विचार रखती है। आज लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट में माननीय मंत्री महोदय को क्यों आपत्ति है? जहां तक विभाग पर हावी होने का प्रश्न है और जहां तक उनके वाक्य-चातुर्य का प्रश्न है मैं माननीय मौर्य जी की सराहना करता हूं। वह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट से इसलिये भागते हैं कि विकास के लिये आपको प्रतिकर देना होगा और वह सोचते हैं कि उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। वह पब्लिक परपज की बात करते हैं। आसानी से लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत वह कर सकते थे, लेकिन उनकी परिभाषा समझ में नहीं आती, वह उसको बदलना चाहते हैं बाग के लिये, खर के लिये या पेड़ के लिये तो मैं किसी हद तक मान सकता था, लेकिन किसी भी विकास के लिये चाहे प्रतिकर सरकार दे या न दे यह प्रिन्सिपल समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि देवरिया का प्रश्न माननीय मौर्य जी समझते हों, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि वहां की वास्तविकता क्या है। मैं नहीं कहता कि उनके अधिकार इस रूप में बढ़ा दिये जायं जो कि पब्लिक हित के विरुद्ध हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि यह विरोधाभास क्यों है कि जब जमींदारों से लेने का सवाल था, छीनने का सवाल था तब तो गांव समाज पब्लिक हित में थे, लेकिन अब जब अपनी बात आती है तो सरकार की नीति बदल रही है। मेरी समझ में इस सम्बन्ध में समाजवादियों की क्या नीति है, यह भी नहीं आया। वह कहते हैं कि मौका लगे तो हाट-बाजार, मेले भी बिना मुआविजा ले लो। आज गांव समाज का और सरकार का सवाल है तो दूसरी दलीलें दी जाती हैं। मेरी समझ में ये दलीलें नहीं आतीं और समझना कठिन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---अब बाद में श्री राज नारायण बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो संशोधन है उस पर कुछ कहने के पूर्व में यह निवेदन कर दूं कि यह बड़ा इम्पार्टेन्ट है और १७ मिनट तक माननीय मंत्री जी इस पर बोल चुके हैं, इसलिये मेरे लिये भी थोड़ी सी कृपा कीजियेगा ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना । उनकी दो शंकायें और दो स्पष्टीकरण हैं । उनको गेंदासिंह जी के विरोध को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । लेकिन जरा मैं उसको जो मूल ऐक्ट में है पढ़ दूं तो उनका आश्चर्य दूर हो जायगा । मूल ऐक्ट में वह प्रतिबन्ध यह है ---

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले तो गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गये किसी विकास-कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा ।"

अब इसके मुताबिक श्रीमन्, राज्य सरकार के लिये लाजिमी हो जाता है कि जो विकास के लिये काम किये गये हों उन पर सरकार अवश्य उसको प्रतिकर दे । यह साफ है । अब, श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसे विशेष शख्स हैं जिनको बारबार समझाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन समझा नहीं पाते और इसीलिये बोलना पड़ता है । जो उनका अब संशोधन है और जो मूल ऐक्ट में है उनमें फर्क है , क्या फर्क है वह जानते नहीं हैं । उनका कहना था कि मूल में यही बात थी और सरकार जमीन ले सकती थी और जो विकास के लिये उसमें कोई उन्नति की गयी है उसका प्रतिकर उसको देना पड़ता लेकिन अबकी जो भाषा है वह यह है :---

"जब भी राज्य सरकार ऐसी भूमि अथवा वस्तु को इस प्रकार अपने अधिकार में वापस ले तो गांव समाज को ऐसी भूमि में अथवा वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास के निमित्त हो, यदि कोई हो,"

इसमें है "विकास के निमित्त हो, यदि कोई हो," और मूल ऐक्ट में है "विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो"। क्या इस भाषा में माननीय राजस्व मंत्री जी कोई फर्क नहीं समझते ? अब जो संशोधन ला रहे हैं उसके मुताबिक अगर गांव समाज कहे कि हमने यह कार्य विकास के निमित्त किया है तो सरकार कह सकती है कि तुम गलत कहते हो और तुमने विकास के निमित्त नहीं किया है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दोनों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है । इसमें सरकार अपने हाथ में पावर ले रही है । सरकार और गांव समाज में यह झगड़ा पड़ सकता है कि फलां काम विकास के निमित्त है या नहीं , क्योंकि बहुत ही जोर दिया गया "विकास के निमित्त हो, यदि कोई हो" कौन जांच करेगा कि यह विकास के निमित्त है या नहीं ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक बात उठायी कि पब्लिक वर्क क्या है और पब्लिक आर्डर क्या है और ऐसी एक सिद्धांत की बात कही कि सरकार जो काम करे वही पब्लिक वर्क है । श्रीमन्, बड़े आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि चारोंखाने चित्त गिरी है यह सरकार पब्लिक आर्डर के मामले में । अभी माननीय हाईकोर्ट ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट के सम्बन्ध में अपना फैसला किया है कि पब्लिक आर्डर जिसको सरकार समझे वही पब्लिक आर्डर नहीं होता । सरकार की ओर से माननीय एडवोकेट जनरल महोदय ने बड़ी-बड़ी दलीलें दीं लेकिन किसी भी सम्मानित जज ने नहीं माना कि पब्लिक आर्डर कैसे इससे भंग होता है । अब माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि जो सरकार पब्लिक वर्क समझ ले वह पब्लिक वर्क है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट समझ ले वह पब्लिक इंटरेस्ट है, जिसे पब्लिक परपज समझ ले वह पब्लिक परपज है, ऐसी बात नहीं हुआ करती । इस पर बहुत सी साधु सम्मतियां प्रकट हो चुकी हैं कि सरकार कभी-कभी ऐसे काम करती है कि जो पब्लिक परपज के नहीं कहे जा सकते । मैं माननीय राजस्व मंत्री को बता दूं कि उन्होंने बनारस, मिर्जापुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

बार्डर पर एक फार्म बनाने के लिये १,३०० एकड़ जमीन ले ली और हमने उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। वहां उन्होंने कहा कि यह पब्लिक परपज नहीं है और जब हमारा रिट हाईकोर्ट में पास हो गया तो सरकार को झख मार करके समझौता करना पड़ा और इसके बाद सारी की सारी जमीन किसानों को छोड़ देनी पड़ी। तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और उसे माननीय राजस्व मंत्री खुद ही कहते हैं कि मूल ऐक्ट में और इस संशोधन से जो भाव टपक रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, तो आप उसे मूल ही रहने दें। संशोधन का मंशा यह है कि मूल ऐक्ट रहने दिया जाय और माननीय राजस्व मंत्री जी भी यही चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह मूल ऐक्ट को ही रहने दें। यह जो संशोधन ला कर गांव समाज को पंगु करना चाहते हैं वह उसको पंगु न होने दें। मैं समझता हूं कि इसमें हमारा और मंत्री जी का मतभेद है। योंतो मंत्री जी को अधिकार है कि जिसको चाहें उसको रखें लेकिन क्या यह मनमानी करने का द्योतक नहीं है कि आपने ३ खंड निकाल दिये और इसके बाद ३ दिन के अन्दर ही हमको झख मार कर इस विधेयक को पास करना पड़ रहा है? मेरी इस आपत्ति और विपत्ति को आप देखें और अपनी इस आपत्ति और विपत्ति के बीच में मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जब आप खुद ही यह स्वीकार करते हैं कि इस संशोधन में और मूल ऐक्ट में कोई फर्क नहीं है तो क्यों न मूल ऐक्ट को ही रहने दें। संशोधन को आप छोड़ दें। राजस्व मंत्री जी जैसा कि मुझको इशारा कर रहे हैं उससे मालूम होता है कि शायद उनके दिमाग में मेरी बात धंस गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान मूल अधिनियम की धारा ११७ के पहले प्रतिबन्ध की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसी में यह लिखा हुआ है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल जिसमें खेती न होती हो, गांव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव समाज में निहित हो जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक (incidental and consequential) आज्ञायें दे, जो आवश्यक हों।" पहला प्रतिबन्ध जो मूल अधिनियम में है उसमें लिखा है कि राज्य सरकार धारा ४ में किसी सार्वजनिक भूमि को गांव समाज को देने में आज्ञा दे तो वह जमीन के किसी भाग को वह अलग रखे या रख सकती है और दूसरे प्रतिबन्ध में उस अलग रखी जाने वाली जमीन के संबन्ध में बात कही गयी है कि जो जमीन अलग रक्खी गयी है उस पर गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त जो उस पर किये गये किसी विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा। तो उसको वापस लेने का क्या अधिकार है? दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि हम लैन्ड एक्वीजीशन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप कोई जमीन गांव समाज को दे देते हैं तो वह उसकी प्रापर्टी हो जाती है। उसको वापस लेने के लिये सरकार को संविधान की धाराओं के अनुसार कंपेनशेसन देना पड़ेगा। सरकार तो यह कहती है कि केवल विकास कार्यों के लिये ही कम्पनशेसन देना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि यह किसी न्यायालय में एलाऊ नहीं किया जा सकेगा। तो फिर, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का एतराज खास तौर पर यह है कि गांव समाज की हालत आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही खराब है। हमने बार-बार इस सरकार से कहा कि रेवेन्यू का २५ फीसदी ग्राम पंचायतों को दिया जाय ताकि वह गांवों का पुनर्निर्माण कर सकें, गांवों का पुनस्संगठन कर सकें। अब इस संशोधन विधेयक में और इस धारा के लाने का मकसद राज्य सरकार का केवल यही है कि जो उनको दिया गया है, छीना जा रहा है जो अब जूनियर हाई स्कूलों में और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कृषि के अध्यापन के लिये जमीन की आवश्यकता है। अनियमित ढंग से पहले विद्यालयों के लिये ले ली गयी, उसको अब नियमित किया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं माननीय राजस्व

मंत्री जी से कि जो खेत दिये गये हैं गांव समाजों के जरिये से कृषि पढ़ाने के लिये स्कूलों को वह किस कानून या नियम के मुताबिक दिये गये हैं। जल्दी-जल्दी में सरकार इसी किस्म के काम करती है। अब रहा यह कि राज्य सरकार किन-किन कामों को पब्लिक पर्पज समझती है। अभी एक देवरिया का किस्सा माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया। बरवा जंगल का किस्सा उन्होंने बताया। लेकिन देवरिया का एक दूसरा जंगल है सिसवां जंगल। उसका भी इसी तरह का किस्सा है कि एक व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया है ४० एकड़ का। राजस्व मंत्री जी के सामने यह मामला आया है। उस पट्टे में एक नुक्स है कि ४० एकड़ उक्त भूमि किस तरफ की होगी, यह नहीं बताया गया है। राजस्व मंत्री जी ने इस बात को उचित समझा और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को लिखा कि जिस तरफ समझौता हो जाता है उसी तरफ दे दिया जाय। उसके बावजूद भी वहां के जिले के अधिकारियों ने एस०डी०एम० वगैरह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब तक गांव वालों का उस व्यक्ति से मुकदमा चल रहा है। इस तरह से पब्लिक पर्पज के लिये आवश्यकता अगर है जमीन लेने के लिये तो जिला के अधिकारी ही तो रिपोर्ट देंगे। तो इस तरह से कितनी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसलिये इसमें हमें घोर आपत्ति है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों को जो कि विरोधी दल में बैठते हैं, सुना। मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ कि उनके दिमाग में एक दो घटनायें कहीं कहीं की हैं। मैं यद्यपि उन घटनाओं को स्वयं नहीं जानता और जहां तक मैं आशा करता हूं वे घटनायें केवल भ्रम हैं। तो एक दो घटनायें उनके मस्तिष्क में हैं और उन्हीं के आधार पर किसी सिद्धांत का विरोध करना यह कहां तक उचित बात है, यह कुछ मेरी समझ में आता नहीं है। इस संशोधन के द्वारा यह बात निश्चित है कि लैन्ड एक्वीजीशन के जरिये किसी जमीन को लेने में चाहे जिस काम के लिये वह हो जिसके लिये आप और हम दोनों सहमत हों कि इसे लेना जरूरी है पब्लिक इन्टरेस्ट में, तो उसमें बहुत देर होती है, समय लगता है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिस काम को करना होता है वह समय से बहुत पीछे हो जाया करता है। उसमें जाब्ते से सब चीजें होती हैं। तारीखें होती हैं, मुकदमें होते हैं, जवाब होता है, मालूम नहीं कितना-कितना तूफान होता है। जिन्होंने किया है वह सब जानते हैं, भुगते हुए हैं। तो जब यह चीज अपनी जगह पर निश्चित हो कि गांव समाज की जमीन इसलिये ली जाय कि पब्लिक के इंटरेस्ट में उसकी जरूरत है तो मूल सिद्धांत में माननीय राजनारायण जी को क्या आपत्ति हो सकती है, यह समझ में बात आती नहीं है। एक-दो घटनायें उनके पास हों या और उनको आशा हो कि इस तरह से इस्तेमाल होगा तो वह तो मतभेद हो सकता है। लेकिन सिद्धांततः इस संशोधन से यही बात सिद्ध होती है कि एक गांव समाज की जमीन जल्दी से जल्दी मिल जाय और जब पब्लिक के हित में ली जा रही है तो उसका कम्पेन्सेशन देने की क्या बात है?

श्री राजनारायण—उसमें लिख दीजिये 'पब्लिक पर्पज'।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय नेता विरोधी दल से बता देना चाहता हूं कि चाहे लिख भी दिया जाय, वह जिस स्याही में कहें उसमें लिख दिया जाय, स्वर्णाक्षरों में लिख दिया जाय, लेकिन आप भी उस समय इतनी उदारता नहीं दिखायेंगे और अगर कोई काम होगा तो कहेंगे कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो लिखना न लिखना बेमतलब हो जाता है। जहां तक विरोधी दल का सम्बन्ध है लिखने तक भी पब्लिक इंटरेस्ट में ही रहता है क्योंकि पबलिक इंटरेस्ट की आपकी क्या परिभाषा होगी और अपनी क्या परिभाषा होगी। लेकिन यह बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट के जितने कार्य होते हैं वे सब पब्लिक इंटरेस्ट में ही होते हैं। इसके सिवाय गवर्नमेंट का और कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता है कि वह जनता की भलाई करे और रिक्वीजीशन के झंझट से बचने के लिये यह है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

प्रतिकर देने की तो कोई बात रहती नहीं है। गांव समाज में वही जमीनें हैं जो खाली पड़ी हैं, यानी जो जमीन जरा भी काम की थीं वह सब पुराने जमींदारों की कृपा से उठा दी गयी हैं। अब जो जमीनें अगर कोई हैं और उनमें विकास का कार्य किया गया तो उसको कम्पेन्सेशन देकर देंगे ताकि पैसा जमा कर के गांव समाज अन्य कार्यों में लगाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना अच्छा संशोधन है लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब है कि जाने किस हठवादिता में इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करना है इसीलिये विरोध किया जा रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक क्षण तो हठवादिता को छोड़ दीजिये और एक रीजन के ऊपर, एक संतुलन के ऊपर इस संशोधन पर विचार करें और अपने मत का प्रदर्शन करें और इस चीज को अब छोड़ दें।

†श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह खंड ९ सरकार की ढुलमुलयकीनी नीति का एक बहुत बड़ा नमूना है। पहले तो सरकार ने यह निश्चय किया और यह सिद्धांत बनाया कि गांव समाज को बाजार, हाट, पब्लिक वैल्स तथा अन्य चीजें जो इस दफा में हैं वे सब दे दी जायं और क्योंकि वह एक पब्लिक संस्था है इनका इंतजाम करे और इनमें से किसी चीज को वापस लेने के लिये सरकार ने कानून बनाया कि अदालत के जरिये से बाकायदा वापस लिया जाय। अदालत जो मुआवजा तय करे उसे देकर बाकायदा लिया जाय। अब सरकार को शुबहा है कि गांव समाज ठीक प्रबन्ध नहीं करेगा तो अब सरकार एक डिक्टेटरशिप की तरह से यह अख्तियार लेना चाहती है कि जब चाहे नोटीफिकेशन के जरिये जिसके जरिये यह चीजें गांव समाज में गयी हैं वापस ले या मौडीफाई करे या कैंसिल करे तो यह सरकार ने मूल नीति में परिवर्तन किया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसी ढुलमुल यकीनी नीति का परिचय ऐसे संशोधन लाकर न दिया करे और जो मूल सिद्धांत अधिनियम में मौजूद हैं उसी पर कायम रहे।

†श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो श्री नारायणदत्त तिवारी ने संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मूल अधिनियम की धारा ११७ यदि पढ़ी जाय तो उसमें दिया हुआ है कि धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा।)

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या न हो,

(२) गांव की सीमा के भीतर स्थित सब जंगल..... ; इस तरह से ये सात चीजें हैं। ये चीजें जरिये नोटीफिकेशन स्टेट में वैस्ट हुईं और उसी नोटीफिकेशन के जरिये गांव समाज को दे दी और यह चीजें नोटीफिकेशन के जरिये गांव समाज में वेस्ट हो गयीं और अभी तक जो संशोधन था वह सही था। अगर इन चीजों में से जो गांव समाज को दी गयी हैं अगर सरकार इनमें से किसी चीज को लेना चाहती है तो एक्वीजीशन प्रोसीडिंग करके उसको वापस ले ले, यह तो ठीक है और वह भी खास परपज है जिसके लिये जमीन एक्वायर हो सकती है, तो वहां पर अगर किसी चीज के लिये डिस्टिंक्शन है कि पब्लिक परपज के लिये यह चीज एक्वायर नहीं की जायगी तो यह बहुत बुरा होगा। क्योंकि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में साफ दिया हुआ है कि इन-इन परपजेज के लिये चीजें एक्वायर की जा सकती हैं। लेकिन अब सरकार ने यह किया है कि हम सिर्फ नोटीफिकेशन करके उस चीज को अमेंड कर लें, कैंसिल कर लें नोटिफिकेशन के जरिये तो यह सही चीज नहीं होगी। यू०पी० भर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फिशरीज (मीनाशय) हैं

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बाग हैं और चीजें हैं, तो उन सब को धीरे-धीरे नोटिफिकेशन के जरिये ले लेना तो वह पब्लिक परपज का जहां तक ताल्लुक है उससे हल नहीं होगा। क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि पब्लिक परपज के लिये यह चीज ली गयी है। लेकिन अगर एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग होगी तो उसमें यह तय हो सकेगा कि पब्लिक परपेज के लिये है। और गांव सभाओं का जहां तक सवाल है, गांव समाज किसी भी आदमी के वास्ते या किसी भी परपज के लिये अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वह उसे बड़ी उदारता के साथ कर सकती है। हमारे माननीय सदस्य जो उस साइड में बैठे हुए हैं, उन्होंने यह बतलाया खास तौर से शुक्ल जी ने कि अगर एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स की जायंगी तो लोग एतराज करेंगे। मैं नहीं समझता कि गांव समाज कभी ऐसा कर सकता है। वह तो इसी सरकार की चीज है, अगर गवर्नमेंट आदेश देगी तो वहां का प्रेसीडेंट पहले ही सरेंडर कर देगा और मैं समझता हूं कि यह जो प्रोसीडिंग होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जो जमीन सरकार चाहे उसको एक्वायर कर सकती है। इस तरीके पर मैं समझता हूं कि हर जगह इस बात को ले आना कि पब्लिक परपज के लिये यह चीज ली गयी है, तो वह ठीक नहीं होगा और पहले का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह बहुत ही उचित है। मैं समझता हूं कि उसमें किसी तरह का खतरा भी नहीं है, न कोई शुबहा ही कर सकता है, क्यों कि हर चीज बगैर पब्लिक परपज के एक्वायर नहीं की जा सकती। इसलिये साफ करने के लिये भी यह जरूरी है कि जो चीजें गांव समाज को दी गयी हैं, जो उनकी इनकम की चीजें हैं और जिनसे गांव समाज की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, इन चीजों को जब चाहें ले लेना और जब चाहे दे देना, वह ठीक नहीं होगा। जो इसमें प्रतिबन्ध है अगर उसी पर अटल रहें तो उससे हमारा ज्यादा फायदा होगा, स्टेट का फायदा होगा और गांव समाज का होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहस बन्द की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो क्लोजर के सम्बन्ध में हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जब तक रीजनेबिल देर न हो जाय और पूरी बहस न हो जाय तब तक आप उसको स्थगित कर सकते हैं। श्रीमन्, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि गांव समाज की जो जमीन है, अगर वह उसमें निहित हो गयी है और गांव समाज ने उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर लिया है तो उसको भी एक्वायर करने के बारे में यह संशोधन है। तो इस सम्बन्ध में अगर पूरा वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं होगी तो यह बहुत बड़ा अन्याय सदन की भावनाओं पर होगा।

दूसरी बात यह कह दूं कि बार-बार जो क्लोजर मोशन सरकार की तरफ से आते हैं यह कहां तक उचित है, जबकि एक गिलोटिन रेजोल्यूशन पहले ही पास हो चुका है और ५ मिनट सदस्यों को बोलने का अधिकार है। अगर इतने क्लोजर मूव के बाद भी ऐसे क्लोजर मूव हों तो वह सारी परम्पराओं के विपरीत होगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन के ऊपर अभी तक ७ भाषण हो चुके हैं चूंकि श्री रामसुभग वर्मा कई बार खड़े हो चुके हैं, इसलिये मैं इनको और मौका देता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बिल में जो संशोधन पेश किया है उससे गांव समाज के हकों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। सरकार ने एक पालिसी निर्धारित की है कि किसी की सम्पत्ति अगर ली जायगी तो उसको प्रतिकर दिया जायगा। तो किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति लेने पर तो प्रतिकर देते हैं लेकिन गांव समाज की सम्पत्ति जिससे कि उस गांव के हजारों आदमियों के फायदे और नुक्सान का सम्बन्ध है वह लेने पर सरकार कहती है कि हम प्रतिकर नहीं देंगे। यह कहां का न्याय है? माननीय गेंदासिंह जी ने जो देवरिया में बरवा जंगल का जिक्र किया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि

[श्री रामसुभग वर्मा]

वह सरकार ने नहीं किया बल्कि कोर्ट आफ वार्ड्स ने लिया। लेकिन कब दिया और किसको दिया, यह मंत्री जी ने साफ नहीं किया। उसी प्रकार सिसवा गांव सभा की सम्पत्ति को एक व्यक्ति को दिया गया जिसके बारे में मंत्री जी ने खुद जाकर वहां आश्वासन दिया कि यह संपत्ति गांव समाज की ही रहेगी लेकिन आज भी उस पर झगड़े चल रहे हैं और वहां का किसान उस व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा है।

श्री चरणसिंह--उस व्यक्ति को किसने दिया, मैंने दिया, गवर्नमेंट ने दिया ?

श्री रामसुभग वर्मा--इसको कानून के द्वारा आपने ही दिया। गांव सभा ने तो दिया नहीं, अगर वह देती तो वह लड़ती क्यों? और फिर आपने अपनी तरफ से यह सुझाव रखा कि समझौता कर लो और जितनी जमीन दी गयी है उसमें से इतनी जमीन किसी तरफ से देकर समझौता कर लो। लेकिन वह व्यक्ति इस समझौते को नहीं मानता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन ऐसी है जिसमें इतना फूस पैदा होता है कि उससे सैकड़ों गांवों के लोगों के घर छाये जाते हैं और उसमें इतनी लकड़ी होती है कि गरीब लोग उसको बेंच कर अपना गुजारा करते हैं। ऐसी सम्पत्ति एक व्यक्ति को दे दी गयी। बरवा जंगल और सिसवा जंगल जैसे इस प्रान्त में न मालूम कितने केसेज हैं। तो उस ग्राम सभा के हक को सरकार लेना चाहती है। अगर लेना ही चाहती है तो अगर किसी सार्वजनिक काम के लिये ले जैसे स्कूल, अस्पताल इत्यादि, और प्रतिकर न दे तब तो एक तरह से उचित हो सकता है और ग्राम सभा के लोग उस काम के लिये खुशी से दे देंगे। लेकिन अगर सरकार किसी एक व्यक्ति को वह सम्पत्ति देती है तो यह गांव सभा के हक पर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मूल अधिनियम में है उसको अगर सरकार मान ले तो ये सारी दिक्कतें रफा हो सकती हैं।

(इसके बाद श्री उपाध्यक्ष ने श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे काहे को आप कह रहे हैं ? मैंने विरोध किया है क्लोजर मोशन का।

श्री शिवनारायण--मेरा क्लोजर है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि श्री नारायणदत्त ने जो आब्जेक्शन किया था उसको आपने रूल आउट कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने केवल एक माननीय सदस्य को मौका दिया है। मैंने यह समझा था कि अगर क्लोजर बाजाब्ता मूव न किया जाय तो समय बच जायगा। अब जिन्होंने संशोधन पेश किया है, उनको बोलना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने क्लोजर का विरोध किया है। नियम १७६ के अनुसार यह मोशन भी किया जाय हाउस के सामने।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कहा था कि सात भाषण हो चुके हैं। आठवें भाषण का मौका दिया है। यदि यह सदन चाहता है तो मैं राय ले लेता हूं।

श्री शिवनारायण--मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि क्लोजर हमारा ऐक्सेप्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब वादानुवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

पक्ष में--१०१

विपक्ष में--१८।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब किसी क्लोजर मोशन के बारे में विभाजन मांगा जाय और आप कहते हैं कि जो हां के पक्ष में हों वे हाथ उठाएं, उस वक्त जितने लोग हाथ उठा लें उतने ही हाथ गिने जायं या जैसे-जैसे हाथ गिनने वाले सज्जन आगे बढ़ते जायं और हाथ उठते जायं और उन हाथों को भी गिना जाय। मैं समझता हूं कि बाद के उठे हुए हाथों को गिनना अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दरवाजा बन्द होने पर जितने लोग अन्दर बैठे हों उनके जितने हाथ उठते हैं वे सब गिने जायंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं शायद अपने को स्पष्ट नहीं कर पाया। जब आप यह आदेश देते हैं कि जो हां के पक्ष में हों वे हाथ उठायें। आपकी आज्ञा के पश्चात् जितने हाथ उठ जायं वे ही गिने जायं या जो लोग बाद में भी उठाते जायं उनको भी गिन लिया जाय। मैं समझता हूं कि बाद वाले हाथ नहीं गिने जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसा कोई नियम नहीं है। जितने लोग अन्दर बैठे हैं उनके हाथ गिने ही जायेंगे जब भी वे उठें।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--मुझे अत्यन्त दुख है कि माननीय राजस्व मंत्री ने मेरे संशोधन के पर्याय को समझने की चेष्टा ही नहीं की अथवा वह समझे भी तो उन्होंने उसे इधर-उधर उलझनों में डालने का प्रयत्न किया। इस विधेयक का जो अंग्रेजी का अनुवाद है, उसकी ओर माननीय राजस्व मंत्री ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें स्पष्टतया लिखा है: "Provided further that if any land or things aforesaid are acquired by the State Government at any time, the Gaon Samaj shall not be entitled to receive or be paid any compensation on account of such acquisition except for the development, if any, effected in or over the land." अंग्रेजी के भी जो वाक्यांश हैं उनसे स्पष्ट है कि लैन्ड एक्वीजीशन के मातहत ही जमीन को एक्वायर किया जा सकता है, लेकिन अब वर्तमान धारा के अनुसार सरकार लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट को तिलांजलि दे रही है और जमीन को ग्रहण करने की ताकत इस नये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के द्वारा स्वयं लेना चाहती है। सिद्धांततः जैसा कि माननीय रामसुभग वर्मा ने बड़े सुन्दर रूप से कहा, जहां एक ओर किसी व्यक्ति की जमीन को पब्लिक पर्पजेज के लिये लेना होता है तो सरकार लैन्ड एक्वीजीशन के मातहत उसे ले लेती है, लेकिन उसे कम्पेनसेशन भी देती है। वहीं पर व्यक्तियों का जो एक संगठन है, जो व्यक्तियों की भलाई के लिये बनाया गया है, जो डेवलपमेंट किया है उसके लिये आप कम्पेनसेशन भी न दें और साथ ही आप लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट को फालो भी न करना चाहें तो यह इतना बड़ा परस्पर विरोध है, जिसको मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य हृदय में यह स्वीकार करता होगा कि यह गलत है। दूसरी बात जो मैंने कही थी उस ओर भी माननीय मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह शायद माननीय गेंदासिंह के आवेशपूर्ण भाषण में उलझ गये। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि यह 'सामान्यतः' जो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका क्या अर्थ है। इसमें यह लिखा है "और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपर्युक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गयी विज्ञप्ति को चाहे सामान्यतः या किसी गांव समाज के सम्बन्ध में" तो यह सामान्यतः किस सम्बन्ध में आता है, जबकि ११७ केवल गांव में निहित होने वाली भूमि के बारे में है। श्रीमन्, आप देखें कि धारा ११७ में यह लिखा हुआ है कि "धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से....." इसमें जो यह सात चीजें बतलायी गयी हैं वे..... जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों उस मंडल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के लिये स्थापित गांव समाज निहित हो जायेंगे" जब इस ११७ में केवल गांव समाज में निहित होने की बात है तो जो यह सामान्यतः की बात आयी वह किस धारा से सम्बन्ध रखती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जबकि प्रतिबन्ध केवल ११७ का है तो यह सामान्यतः शब्द इसमें नहीं होना चाहिये। यह सामान्यतः ११७ धारा में सारे विधेयक के लिये लागू होता है। तो मैं यह समझता हूं कि यह एक जनरल प्रक्रिया साबित होगी, क्योंकि सरकार इस तरह से किसी भी नोटीफिकेशन के जरिये से यह इरादा कर सकती है चाहे वह निहित भूमि पर हो या किसी भी प्रकार की वह भूमि हो। तो यह एक तरफ तो ११७ के खिलाफ पड़ता है और दूसरी तरफ जो एक्वीजीशन की परम्परा चली आयी है यह उसके खिलाफ है। इस प्रकार की नयी बात इसमें कहीं पर भी नहीं लिखी हुयी है। आपने ऐक्ट में संशोधन किया है और उसके जरिये से रिजम्पशन की ताकत अपने हाथ में ले रहे हैं कि जो न्याय की मर्यादा के विरुद्ध है।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि गांव समाज के सम्बन्ध में जो भूमि राज्य सरकार अपने लिये ले, उसके लिये कम्पेन्सेशन की व्यवस्था हो, इसमें कहीं पर प्रतिकर की व्यवस्था नहीं है। उस ऐसी भूमि के बारे में जिसके बारे में नोटीफिकेशन निकाला गया हो कोई व्यवस्था नहीं है। इस गांव समाज के नोटीफिकेशन और सामान्यतः के सम्बन्ध में गांव समाज को प्रतिकर देने की व्यवस्था होनी चाहिये या माननीय मंत्री जी कहें कि मुआविजा मिलेगा या कहें कि नहीं मिलेगा या यह जो नोटीफिकेशन होगा वह पब्लिक परपज के लिये होगा ही, लेकिन उसका कितना मुआविजा दिया जायगा। इन तीन बातों के आधार पर माननीय मंत्री जी इसको फिर स्पष्ट करने की कृपा करें और अगर उनको खुद स्पष्ट नहीं है तो इसको वापस लेने की कृपा करें और इस खंड के उपखंड के प्रतिबन्ध को यहां से निकाल दें।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, मैं कही हुयी बातों को फिर से यहां पर दोहराऊं जो कि मैं कह चुका तो इसके लिये अफसोस होता है। बहस मुबाहसे में अगर मुताल्लिक बातें कही जायं और उसका माकूल जवाब दिया गया हो या जो मुताल्लिक बातें कही जायं और उनका जवाब जो दिया गया हो उसकी उपेक्षा करके फिर गैरमुताल्लिक बातें कहीं जायं तो फिर भी अफसोस होता है। उसके बहस मुबाहसे में लुत्फ नहीं आता है और न उसमें दिल ही लगता है। मसलन् मैंने अर्ज किया था कि आज जैसा कानून है उसमें वह पब्लिक परपज का सवाल नहीं है। इसमें फिर पब्लिक परपज को घसीटा जाता है तो मैं इसका क्या जवाब दूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी गवर्नमेंट जब जमीन एक्वायर करना चाहे तो वह कर सकती है, किसी भी गर्ज के लिये वह ले सकती है जिसको वह पब्लिक परपज समझती है। पब्लिक परपज को जज करने वाली भी गवर्नमेंट होती है। इसके खिलाफ कोई नजीर दिखला दी जाती तो मैं मानता लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि ऐसी वैसी बातें कह दी जाती हैं। मिसालन नेता जी विरोधी दल ने यह कहा कि गवर्नमेंट फार्म बनाने के लिये जमीन ले रही है हमने एतराज किया, कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुई, गवर्नमेंट को कुछ घबराहट हुयी और उसने फैसला कर लिया। मेरा कहना यह है कि चाहे रिट हो, अपील हो, सूट हो या एप्लीकेशन हो पब्लिक परपज हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) खैर आता हो या न आता हो। इसके लिये मैं लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की कमेंट्री मे दिखलाऊंगा और मैं आपको चुनौती देता हूं कि उसके खिलाफ कोई बात आप अब से साल भर तक दिखा देंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा गो कि आपका फर्ज तो यह है कि जिस वक्त मैं एजर्ट करता हूं उसी वक्त मुझे आप दिखा दें। वह रूलिंग इस प्रकार है --

"Hence it has been held now that where a declaration has been issued under section 6 of the Act stating that land is required for a public purposes a Court is debarred from enquiring into the question whether the purpose for which the land in respect of which such a declaration has been issued is required for a public purpose or not.

The Indian Legislature has power to frame laws for the acquisition of private lands and has power to frame provisions in the Act for the purpose of carrying out the provisions of enactment. One of such provisions is that contained in section 3 (f) of the Act, which declares the doing of a certain act for public purpose. It is not open to the Court to go behind the Act and say that it is not a public purpose. The Government has been constituted proper authority for deciding what a Public purpose is."

यह वह रूलिंग है। अब मैं कहता हूं कि इसके पहले या बाद की कोई रूलिंग दिखा दीजिये जो इसके खिलाफ हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब कानून पर बहस हो तो कानूनी ढंग से होनी चाहिये। कानूनी दलायल से होनी चाहिये। जहां तक उस लैन्ड के बारे में फैसला करने की बात है, एक शरीफ हस्ती के बीच में पड़ने से, उनके कहने से जमीन छोड़ी गयी थी, इसलिये नहीं कि उसमें अदालत की कोई कमजोरी थी और न इस लिये कि उसमें कोई कानूनी नुक्स था। गवर्नमेंट रोज ऐसी जमीन ऐक्वायर करती है लेकिन किसी में कुछ नहीं होता।

जहां तक कंपेन्सेशन की बात है वह न तो पहले दिया जाता था और न अब देने की बात है। कंपेन्सेशन जो दिया जायगा वह केवल इम्प्रूवमेंट्स के लिये दिया जायगा। माननीय रामसुभग वर्मा जी ने कहा कि प्राइवेट आदमियों की जमीन तो गवर्नमेंट मुआवजा देकर लेगी लेकिन पब्लिक बाडीज को वह कुछ भी नहीं देना चाहती। लेकिन पब्लिक बाडीज को जो जमीन दी गयी है वह मुआविजा देकर ही उनको दी गयी है। अब गवर्नमेंट उसको किसी कार्य के लिये लेती है तो वह पब्लिक का ही कार्य होता है। इसलिये उनको मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि इसमें केवल एक बात है वह यह कि क्योंकि लैन्ड एक्वीजीशन के द्वारा एक्वायर करने में देर लगती इसलिये हमें यह करना पड़ा, अब इससे वह देर न लगेगी। अगर पहले मुआविजे की बात होती और अब मुआवजा न दिया जाता तब तो एक बात थी भी। ऐक्ट में यही लिखा है कि मुआविजा तभी दिया जायगा जबकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इसी तरह से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के दूसरे प्राविजन में भी लिखा है कि मुआविजा नहीं दिया जायगा। मैं क्या अर्ज करूं, बात होती है कानून की और बहस होती है बिना पढ़े हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी परम्पराओं की बातें कहीं। जुमा-जुमा ८ दिन और बात करें परम्पराओं की हमेशा। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो फर्स्ट प्रोविजो है उसमें गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह जमीन को अलग रखे। तो फर्स्ट प्राविजो तो यह है कि जहां गैरमजरुआ आराजी का रकबा मजरुआ आराजी के रकबे को देखते हुए ज्यादा हो तो गवर्नमेंट उस रकबे में से कुछ अपने पास रख सकती है और बाकी गांव समाज को दे सकती है। मसलन बुन्देलखंड में जहां कल्टिवेटेड लैन्ड का रकबा दो सौ बीघा हो और ६ सौ बीघा गैर मजरुआ हो तो फर्स्ट प्रोविजो के मुताबिक गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि मजरुआ जमीन के मुकाबले में वह गैर मजरुआ जमीन को अपने पास रख सकती है। वहां पर जो ऐसी गैर मजरुआ जमीन थी उसमें से कुछ तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और बाकी जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी।

दूसरे प्राविजो में यह है कि जब जरूरत पड़े तो बिना कम्पेनसेशन दिये हुए जमीन वापस ले ली जाय। मसलन इस समय हमारे सामने चार केसेज हैं जिनको कि हमें तय करना है कि वे पब्लिक बाडीज हैं या नहीं। अब माननीय गेंदा सिंह जी और नारायण दत्त जी तय करें कि ये पब्लिक बाडीज हैं या नहीं। गोशाला पिंजरापोल पडरौना, कानपुर गोशाला सोसाइटी कानपुर, गोशाला बेलनगंज आगरा और डाइरेक्टर नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ। मसलन कानपुर गोशाला की जमीन थी जो बंजर थी और चरागाह के काम आती थी। जमींदारी एबालिशन के बाद गांव समाज ने कहा कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा पहुंचता है और उस पर कब्जा कर लिया। जब मैं कानपुर गया तो वहां गोशाला वालों ने कहा जमींदारी एबालिशन क्या हुआ मेरी जमीन छिन गयी, अतः मेरी गोशाला वाली जमीन दिलवा दीजिये। मैंने कहा

[श्री चरणसिंह]

कि मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जमीन वापस हो जाय। तो क्या फिर उसके लिये एक लम्बी प्रोसीडिंग हो ? इसी तरह से डाइरेक्टर नेशनल बोटेनिकल गार्डन हैं। वे रिक्लेमेशन सम्बन्धी कुछ कार्य दिखलाना चाहते हैं ऊसर जमीनों के बारे में। लखनऊ से उन्नाव तक सड़क के दोनों ओर ऊसर जमीनें खाली पड़ी हैं। वे गांव समाज में वेस्ट हो गयी हैं और गांव समाज उनके एक्सपेरिमेंट के लिये जमीन देती नहीं है तो फिर क्या उसके लिये कोई प्रोसीडिंग हो ? इस तरह से तो साल दो साल उसी में लग जायगा, इस तरह के केसेज हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि केवल प्रोसीजर का फर्क किया जा सकता है। अब रहा यह कि कुछ लोग यह समझते हैं कि गांव समाज तो पब्लिक बाडी है लेकिन गवर्नमेंट जो है वह अन्याय करने वाली बाडी है। यह गांव को या गांव समाज को रेप्रेजेन्ट नहीं करती, बल्कि यह अत्याचार करती है। लेकिन हरगिज ऐसी बात नहीं है। कल अगर आप आ जायं तो आप भी पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे और आज भी देखते हैं। तो केवल बहस के खातिर बातें यहां कही जाती हैं, जो नहीं कही जानी चाहिये अब एक बात यह कही गयी कि देवरिया में ऐसा हुआ। मैं माननीय त्रिपाठी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि यह भ्रम था। मैं आपको बतलाऊं कि एक केस में ११ जनवरी, सन् ५२ को तो उसका पट्टा तमकुही में एक पब्लिक वर्कर को हुआ लेकिन उसकी रजिस्ट्री हुई १४ जून को जब कि कानून बन गया था कि २१ मई के बाद कोई रजिस्ट्री न होगी। अब वह शख्स यह क्लेम करता है कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, यह गांव समाज को क्यों दी गई है ? श्री राम सुभग वर्मा जी इसका अर्थ कुछ दूसरा ही समझ रहे हैं। वह तो केवल क्लेम कर रहे हैं, लीगल दावे जैसे अदालतों में होते हैं। उसने गवर्नमेंट से कहा कि मुझको जमीन दिला दी जाय, उसमें झगड़े हुये। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा यह बिल्कुल साफ चीज है। मैं कहना चाहता हूं श्री गेंदा सिंह जी से और दूसरे दोस्तों से जैसी बात नारायणदत्त जी ने कही थी उस पर मुझे आवेश आ गया, उन्होंने कहा था कि मुझे दर्जनों केसेज मालूम हैं कि सरकार की तरफ से लोगों को जमीनें दी गई हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह एक केस भी ऐसा बता नहीं सकते कि गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को जमीन दी हो। इसलिये अन्त में मैं आपके द्वारा इस संशोधन की मुखालफत करता हूं। मैं एक प्रिंटिंग एरर है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें दूसरी लाइन में धारा की जगह उपधारा छप गया है, असल में उपधारा इसमें कोई है ही नहीं। यानी सेक्शन की जगह सब-सेक्शन छप गया है, वह सेक्शन होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसको आप जरा स्पष्ट कर दें।

श्री चरणसिंह--यह जो है कि "और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार उपर्युक्त किसी भूमि अथवा वस्तु के विषय में इस उपधारा के अधीन की गई" तो यह जो "उपधारा" है उसकी जगह "धारा" होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसी प्रकार नीचे भी गलत है।

श्री चरणसिंह--अगर है भी तो वह भी ठीक हो जायगी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि वह इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। मैं इस बात का दावा नहीं करता सरकार से कि उसके सहयोगी या राज कर्मचारियों से गलती नहीं होती। यह दावा तो वही कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन पहले स्थगित हो चुके हैं वह ले लिये जायं।

श्री चरणसिंह—जो धारा ४ है उसकी सफाई कुछ नहीं हुई थी, उसे मैं अब करने की कोशिश करूंगा। धारा ४ को पोस्पोन इसीलिये किया गया था कि उसमें कुछ नुक्स पाये गये। रात कुछ लोग जमा हुये और उसको देखा गया। हमारे ड्राफ़्टिंग आफिसर कई दिन से बाहर थे, इसलिये देर हो गई और इसीलिये उस वक्त डिबेट धारा ५ पर पोस्पोन करा दिया गया था। उसके ऊपर नारायणदत्त जी न जाने कनवेन्शन या ट्रेडीशन क्या-क्या हांक गये। यह जो क्लाज ४ है...

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्लाज ४ दोबारा छप कर आये तभी तो विचार उस पर हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो संशोधन १८ नम्बर पर है वह उसी पर बोल रहे हैं। वह क्लाज ४ में ही है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला अमेंडमेंट है जो आज के एजेंडा पर है। मैं बहुत मोटे शब्दों में अपना मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। यह अधिवासी कौन-कौन होंगे इसका जिक्र आज के अधिनियम की धारा २० में है। इस धारा २० में कुछ तो सबटेनेंट्स का जिक्र है और कुछ अध्यासी (आकूपेंट्स) का जिक्र है। सबटेनेंट्स का जिक्र धारा २० की उपधारा (१) में है और अध्यासी का जिक्र उपधारा (२) में है। उपधारा (२) में वह जमीनें गिनाई गई हैं जिन पर काबिज लोग यानी अध्यासी (आकूपेंट्स) अधिवासी हो जायंगे। तो इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं। सन् १९४७ में जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू था एक अमेंडिंग ऐक्ट (संशोधन अधिनियम) पास हुआ था। ४० में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट बना था उसकी धारा १७१ थी जिसमें कुछ कानूनी नुक्स रह गया। जनप्रिय सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लड़ाई आ गई और १७१ का जो नुक्स था क्योंकि लेजिस्लेचर नहीं था वह नुक्स दूर नहीं हो सका। उस नुक्स की वजह से हजारों किसान बेदखल ४० से लेकर ४५ तक हो गये। तो उन किसानों को जमीन वापस दिलाने के लिये एक अमेंडिंग ऐक्ट आया। उस अमेंडिंग ऐक्ट की धारा २७ की मंशा यह थी कि जमींदारों ने पुराने काश्तकारों को बेदखल करके जो जमीन हासिल की थी और नजराना ले करके जिन लोगों को जमीनें दे दीं, नये लोगों को और क्योंकि अब वह नजराना साबित नहीं हो सकता और जमीन वापस नहीं हो सकती इसलिये तीन साल का मौका दिया गया था कि वह तीन साल तक शिकमी माने जायेंगे और तीन साल के बाद बेदखल वाले काश्तकारान को सबको जमीन वापस मिल जायगी। तो अब जब यह कानून बना और जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था का ऐक्ट बना और लागू हुआ तो बहुत से लोगों और खास कर फैजाबाद से शिकायतें हमारी नोटिस में आयीं और हमने यह बात सोची कि मुमकिन है कि और जगह भी ऐसे केसेज हों, कुछ लोगों ने अपने आपको इन शिकमियों की जमीन पर अध्यासी दर्ज करा लिया, आकूपेंट दर्ज करा लिया, खानये कैफियत में बिला तसफिया लगान या दरशिकमी दिखा दिया और वह अध्यासी हो गये।

एक सदस्य—वह कब लिखाया?

श्री चरणसिंह—वह लिखाया तो होगा बाद में इसका मतलब तो है कि सन् १३५६ फसली में जो आकूपेंट दर्ज है, यह नहीं कि कब कराया लेकिन जो अध्यासी दर्ज है १३५६ फसली में या जिन्होंने अपने को बिला तसफिया लगान लिखा लिया है या किसी तरह से कब्जा लिखा लिया उसमें तो लफ्ज आकूपेंट है। मंशा आकूपेंट्स को हक देने से यह था कि जो लोग बिला तसफिया लगान ट्रेसपासर्स हैं दर असल वह काश्तकार हैं उनको हक मिले। लाखों काश्तकार थे। इसलिये आकूपेंट्स कायम किया गया था, लेकिन कोई भी कानून हो, लेकिन लाखों आदमियों को फायदा होता हो तो कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो जो जमीन तीन साल शिकमी मान कर छोड़ दी थी और पुराने काश्तकारान को वापस हो सकती थी उनकी जमीन में कुछ लोगों ने अपने आपको आकूपेंट दर्ज करा लिया और जो मंशा कानून सन् १९४७ का जो अमेंडिंग ऐक्ट था वह फ्रस्ट्रेट हो गया, इंटेंशन डिफीट हो गया, उन पुराने काश्तकारान को जमीन वापस नहीं दी जा रही है तो इसलिये यह अब जो संशोधन ला रहे हैं उसकी मंशा यह है कि धारा २० की उपधारा (२) में जहां मद जमीन गिनाई गई है कि किस तरह के जमीन के अध्यासी अधिवासी माने जायंगे उसमें कुछ ऐसी भी है अपवाद के तौर पर जो इसमें नहीं मानी जायेंगी। मसलन ग्रोव लैंड को नहीं माना जायगा। तो मैं यह कह रहा था कि तीन साल तक शिकमी के तौर पर जमीन जिनके पास थी, उसमें भी अधिवासी नहीं माने जायेंगे कि अधिवासी हो गये। यह मंशा है। मंशा तो यह है लेकिन अब यह चाहे तो ड्राफ्टिंग एरर समझिये या हमारे दिमाग की गलती समझिये उसमें लिखा है कि "on the date prior to the vesting" तो इससे अधिवासी से कोई मतलब ही नहीं है। तो आबियसली सेल्फ कंट्राडिक्शन है और इसको दूर करने के लिये माननीय मौर्य जी ने यह संशोधन पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सरल सी है।

दूसरी तरफ यह कहा गया कि जिस तरह का क्लाज है क्या यह जैसा का तैसा रख दिया जायगा। नहीं, जो इसका मंशा है वही रखा जायगा। इसमें यह लिखा है कि फलां लफ्ज की जगह फलां समझा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्र ने सेलेक्ट कमेटी में यह एतराज उठाया था और वहां हमारे लीगल एडवाइजर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह कोई ड्राफ्टिंग के उसूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब तो इस तरह की ड्राफ्टिंग करने की परिपाटी चल पड़ी है। और उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस इंडिया ऐक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ उसमें भी यह है कि "it is hereby declared." वगैरह वगैरह। और मैं अर्ज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि दो कानून जनाबवाला भी पास कर चुके हैं और उनमें भी यह है:—एक है "The Jaunsar Bawar Security and Tenure and land Records Act, 1952" और दूसरा है "Sri Har Prasad Shiksha Nidhi, Banaras (Confirmation of compromise, (Transfer of property) Act, 1954." इसमें भी उन्होंने यही लफ्ज इस्तेमाल किये हैं कि "It is hereby declared वगैरह वगैरह और इसी तरह से इसमें है। एक सेक्शन है जौनसार बावर सेक्योरिटी एण्ड टैन्योर एण्ड लैंड रिकार्ड्स ऐक्ट में वैलिडेशन की। मैंने तो ऐसी सेक्शन पहले देखी नहीं थी, उसमें यह है कि—

"Whereas with a view to stablizing and reforming the land tenure system in Jaunsar Bawar Pargana the State Government directed the preparation and revision of land records in the said area in accordance with the principles laid down in the U. P. Land Revenue Act. 1901, and whereas".

अब तो इस तरह की ड्राफ्टिंग होने लगी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, अभी लोग पुराने जमाने को भूल नहीं पाते हैं। पुरानी किताबें पढ़ लीं और उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। १८५० में एक आदमी गया लंदन और उसने एक किताब लिखी तो वह आज के हिन्दुस्तान में लगती है या नहीं लगती है इसको आप देखना ही नहीं चाहते।

मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जमाना बदलता है ड्राफ्टिंग का तरीका भी बदल रहा है तो लेटेस्ट तरीका जो ड्राफ्टिंग का है वह इसमें लिया गया है । इसमें ड्राफ्टिंग का कोई नुक्स हरगिज-हरगिज नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--इस संशोधन का कोई असर संशोधन जो नम्बर १९ पर दिया हुआ है उस पर तो नहीं पड़ता है ?

श्री चरणसिंह--उसकी कोई जरूरत नहीं है । केशभान राय जी ने जरा सीधा सा इसको रख दिया और हमारा जरा ढंग के साथ है ।

श्री गेंदासिंह--मैं एक सवाल आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि १३५६ में ऐसे जो काश्तकार थे उनके लिये यह इलाज किया जा रहा है, लेकिन अगर १३५६ फसली के बाद अगर किसी का नाम ट्रेसपासर करके लिख गया हो तो उनके लिये तो कोई रास्ता नहीं है कि वह मुकदमा दायर कर सकें । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों के लिये क्या इलाज है ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं ।

श्री शिवनारायण--श्रीमन्, यह तो पास हो चुका है । अब क्या बहस कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--यदि यह बात सही है कि यह उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके तो मैं समझता हूं कि डिबेट खत्म हो चुका ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, अभी पास कहां हुआ । यह तो रोक दिया गया था ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह तो माननीय मंत्री जी ने माननीय मौर्य जी का समर्थन किया है ।

श्री शिवनारायण-- जी नहीं, जवाब दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मुझे विरोध में यह कहना है कि मैं माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा । जहां तक ड्राफ्टिंग का प्रश्न है मैं उनसे अब भी सहमत हूं और इसके पूर्व भी सहमत था । परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब कि १३५६ फसली में कोई जमींदार जो कि अपने शिकमी पर के कैफियत के खाने में अपना नाम काबिज की हैसियत से....

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, जिस समय पिछले पहर माननीय अध्यक्ष चेयरमैन थे उस समय मौर्य जी ने अपना संशोधन उपस्थित किया था, उसके बाद अन्य सदस्यों ने भाषण दिया था, उसके बाद मौर्य जी ने उसका जवाब दिया था और मौर्य जी के जवाब के बाद स्थगित हो गया था । फिर माननीय मंत्री जी का जवाब बाकी रह गया था और वह इस समय हो गया । तो अब किस रूल के हिसाब से यह.....

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, यह थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है । उस स्टेज पर यह वादविवाद के लिए अधिकार था और यह स्थगित कर दिया गया था । यह प्रश्न नहीं था कि समाप्त हो गया था ? इसके कारण समाप्त हो गया होता तो इस पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या बाकी रहती । इतनी मोटी सी बात है वह किन्तु नहीं समझने की कोशिश की जाती ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बुला लिया गया था और मैं जवाब दे चुका था।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--अगर माननीय द्वारका प्रसाद जी को कोई आपत्ति हो तो वह पहले ध्यानपूर्वक सुन लें उसके बाद वह कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--विधान का प्रश्न जब उठ गया है और मैंने यहां पूछा तो मालूम हुआ कि सिर्फ यह माननीय मंत्री जी को ही उत्तर देने का मौका था और पूरी बहस इस मामले में हो चुकी थी। इसलिये मैं समझता हूं कि अब मजबूरी है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन् यह सोलहो आने गलत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने उस समय एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था कि क्या कोई ऐसा शब्दों का समूह जो न तो स्पष्टीकरण है, न मूल अधिनियम का हिस्सा हो सकता है, न विधेयक में कहीं फिट इन होता है, वह क्या किसी धारा का अंग हो सकता है? तो उस पर स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग पेंडिंग रखी थी। तो जब तक स्पीकर साहब नहीं आते हैं, तब तक मैं समझता हूं इसको स्थगित रखा जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय अध्यक्ष महोदय ने कोई रूलिंग नहीं दी थी कि ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने कहा था कि मैं अभी विचार कर रहा हूं। तो जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रूलिंग दी थी अध्यक्ष महोदय ने वैसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि जो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे चुके हैं उसके बाद अब स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर था.....

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बैठे हुए हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग उनसे पूछ लीजिए। नारायण दत्त जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था, उसी तरह का विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के मस्तिष्क में घूम रहा था। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि नारायण दत्त जी का कहना ठीक है, मैं खुद ही समझ रहा था कि माननीय मौर्य जी कह क्या रहे हैं और क्या जोड़ना चाहते हैं और उसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इसको ठीक से कहिये। तो उनकी तरफ से विचार आया कि इसको स्थगित कर दिया जाय और बाद में ले लिया जाय। तो इसमें क्या बेजा बात है कि माननीय अध्यक्ष आ जायं और उन्होंने किस बात के लिए अपनी रूलिंग नहीं दी, माननीय नारायण दत्त जी के प्वाइंट आफ आर्डर पर, वह बात साफ हो जाय।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मोटी सी बात है कि माननीय मौर्य जी जवाब दे चुके थे। इसके बाद माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि मालूम होता है कि कुछ बहुत सफाई नहीं हुई इस धारा की, इसलिये इसको इस समय मुल्तवी कर दिया जाय। वह मुझसे कुछ चाहते थे, लेकिन मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाया और मैंने कहा कि बाद में बोल दूंगा। इस तरह से कुछ बात हुई। लेकिन और बात तो छोड़ दीजिये, मैं अर्ज कर चुका हूं। अब आप रूलिंग दे चुके हैं और इसको डिसकस किया जा रहा है। माननीय खेर साहब की मंशा यह थी या नहीं, इसको अब क्वैश्चन किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, बात यह है कि जब द्वारका प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तो उनके बीच में मैं उठा और मैंने कहा प्वाइंट आफ आर्डर और वह यही जिसको मैंने अभी दोहराया था और उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग चाही। उन्होंने कहा कि यही मैं

भी सोच रहा था और इसकी बारीकी को देख रहा था। इस पर यह प्रस्ताव हुआ कि इस समय इस पर विचार स्थगित कर दिया जाय और मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर रूलिंग होना अभी बाकी है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---श्रीमन्, मैं आपके समक्ष यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं कि अभी आप रूलिंग दे चुके हैं तो उसके सम्बन्ध में किसी एक्सप्लेनेशन या वैरीफिकेशन वगैरह का प्रश्न नहीं उठता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो रूलिंग दे चुके हैं तो क्या उस पर पुनर्विचार हो रहा है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक बहुत साधारण सी बात मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं कि जब मौर्य जी जवाब दे चुके थे तो अब राजस्व मंत्री जी ने किस चीज का जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, आप यहां अपने स्टाफ से पूछ लें कि अध्यक्ष महोदय ने इसको रूलिंग के लिए रखा था और नारायण दत्त तिवारी जी के प्वाइंट आफ आर्डर पर रूलिंग नहीं दी थी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर काफी वादविवाद हो चुका है और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ की बात हो चुकी है। अब रहा प्रश्न इस बात का कि जो प्वाइंट आफ आर्डर श्री नारायण दत्त जी ने उठाया है उस पर कोई रूलिंग अध्यक्ष महोदय देना चाहते थे। इसलिये मैं समझता हूं कि वादविवाद की मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। अगर आप चाहें कि रूलिंग की कोई आवश्यकता है तो मैं माननीय अध्यक्ष पर इसको छोड़ देता हूं।

श्री अब्दुल मुईज खां---इस समय श्रीमन्, आप चेयर में हैं और आपको वही अधिकार है, जो अध्यक्ष महोदय को है। अगर किसी रूलिंग का पिछले समय इंतजार था और अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी थी तो प्वाइंट आफ आर्डर अब उठाया जा सकता है। इस पर बहस समाप्त हो चुकी थी इसलिये अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं रूलिंग दे चुका हूं अब इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

खंड ५

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ का संशोधन।

५---मूल अधिनियम की धारा २१ में :---

(१) उपधारा (१) के वर्तमान खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ज) यदि क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर तथा ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों, तो धारा १६ के स्पष्टीकरण के खंड (१) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट भूमि का सीर का काश्तकार धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) या खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति।"

(२) उपधारा (१) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (झ) के रूप में रख दिया जाय :---

"(झ) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा पट्टे (lease) के अधीन पट्टेदार (lessee)"।

(३) उपधारा (२) में शब्द "भूमि पर" और "कब्जा" के बीच में शब्द "वर्षानुक्रम से असामी के रूप में" रख दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ में उपखंड (१) से पूर्व निम्नलिखित उपखंड (क-१) के रूप में रख दिया जाय :--

"(क-१) उपधारा (१) के खंड (घ) में शब्द, "बंधकी (mortgagee)" के स्थान पर शब्द "बन्धकी जो वास्तविक कब्जे में हो (mortgagee in actual possession)" रख दिये जायं।"

उपाध्यक्ष महोदय, मारगेजी जो एक्चुअल मारगेजी है ऐसे व्यक्ति को जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक में असामी बनाया गया है। मंशा यह है कि जो एक्चुअल मारगेजी के कब्जे में है वह असामी होगा। इसलिये मारगेजी के साथ यह जरूरी था मारगेजी इन एक्चुअल पोजेस्शन रखा जाय। वह बात रह गई थी और यह एक भ्रम था...

श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। खंड ५ जो है वह स्थगित कर दिया है, माननीय अध्यक्ष की राय पर। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको लिया जा सकता है। अच्छा होता अगर माननीय मौर्य जी खंड १० के संशोधन को पेश करते।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय गेंदासिंह जी पर भी सोहबत का असर होता जा रहा है। यह जो खंड ५ पर बहस थी तो उसको यह नहीं कि हमेशा के लिए पोस्पोन कर दिया था। उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी। जब मुनासिब समझा गया तो उसको ले लिया गया। इसमें फर्क क्या पड़ता है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। माननीय गेंदा सिंह जी और दूसरे मित्र इसको समझ सकते हैं कि जो मागजी अगर पजेस्शन में नहीं हो तो असामी नहीं होगा। तो मार्गेजी को हमने जो पजेस्शन में हो, उसको रखा, वही ठीक रहेगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह जो मौर्य जी का संशोधन है कि "मागजी" के स्थान पर "मार्गेजी इन ऐक्चुअल पजेस्शन" रख दिया जाय, उसका मतलब यह है कि हमने अपनी जमीन रेहन की। अब जो रेहनदार है, रेहन कराने वाला है, अगर उसके पजेस्शन में जमीन है, ऐसा अमेंडमेंट द्वारका प्रसाद जी मौर्य रखना चाहते हैं, तो उनके कहने का मतलब यह है कि सरकार के दिमाग में अभी इस बात की सफाई नहीं थी कि "मार्गेजी" शब्द रहने से मार्गेजी के पजेस्शन में भी जमीन समझी जाती। सीधे-सीधे इतनी बात है अगर वह रेहन कराने वाला स्वतः उस जमीन को जोतता है, तो अब इससे दोनों में क्या फर्क पड़ जाता है? मैं जानना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से और मौर्य जी से, जिन्होंने कि संशोधन रखा। मैं समझता हूं कि पहले शब्द भी इसी तरीके के शब्द थे।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनारायण सिंह के प्रश्न का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार के संशोधन का मतलब यह है कि जो जमींदार थे उन्होंने जमीन एक आदमी से रेहन करा कर दूसरे आदमी को दे दी, तो हम उनको अधिकार दे रहे हैं, जिनके कब्जे में इस समय जमीन है और जिनके हल के नीचे खेती है, ऐक्चुअली जो खेती जोतते हैं। जो लोग पैसा देकर किसी से सौ बीघे खेत को ले लें, किसी गरीब काश्तकार का तो जो वास्तव में उस पर काम करते हैं उन्हीं को राइट दिया जा रहा है। इसीलिये यह अमेंडमेंट रखा गया है। यह नहीं है कि आप लखनऊ में फिरते हैं और उस खेत के मालिक भी हैं, जिसको आपने पैसा देकर एक से ले लिया और फिर दूसरे को दे दिया और इस प्रकार की डबल जमींदारी को हम खत्म करना चाहते हैं। और कोई विशेष बात इसमें नहीं है, बहुत सुन्दर चीज है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि कुछ ग्रह आज अच्छे हैं कि माननीय नेता जी विरोधी दल कह रहे हैं कि रहने दीजिये, ठीक है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सदन का। थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मौजूदा अधिनियम में शब्द यह हैं कि जो शख्स कब्जे में हो, तो मान लो कि मुर्तहिन दखली ने अपने कब्जे में वाक़ई न रख कर किसी दूसरे शख्स को उठा दी है, शिकमी को दे दी या कोई अधिवासी उसकी जगह पर काबिज हो गया तो अगर हम इन पजेशन ही रहने दें तो यह होल्ड नहीं किया जा सकता है कि यह शख्स कांस्ट्रक्टिव पजेशन में है और अगर 'ऐक्चुअल जेशन' रखते हैं तो ऐक्चुअल पजेशन में यह खुद नहीं है, वह हो जायगा फिर अधिवासी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में उपखंड (१) से पूर्व निम्नलिखित उपखंड (क–१) के रूप में रख दिया जाय :—

(क–१) उपधारा (१) के खंड (घ) में शब्द, "बन्धकी (mortgagee)" के स्थान पर शब्द "बन्धकी जो वास्तविक कब्जे में हो (mortgagee in actual possession)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में शब्द 'रख दिया जाय' के स्थान पर शब्द 'रख दिया जाय और मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय' रख दिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह कहां पर होगा इसको जरा समझाइये।

श्री चरण सिंह—संशोधन बिल का पृष्ठ ३ निकाल लें आप।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पृष्ठ ३ पर धारा ५ की उपधारा (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "जाय" के बाद इतना और बढ़ जायगा "और मूल अधिनियम के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय"। तो इसका केवल इतना अर्थ है कि (ज) में हमने बताया है कि ये असामी हैं और ये असामी जो हमारा शुरू का जमींदारी विनाश अधिनियम है उसी के दिनांक से समझे जायं। मतलब यह कि आज से नहीं, बल्कि जमींदारी विनाश की धारा २१ की उपधारा (ज) में जिन लोगों को हमने गिनाया है और जिसकी धारा १० की उपधारा (२) को हमने निकाल दिया है और केवल १५७ धारा रखी है तो ऐसे ही व्यक्ति असामी होंगे। तो जो हम यह संशोधन कर रहे हैं वह जमींदारी विनाश के मूल अधिनियम के समय से ही माने जायंगे। अब शायद माननीय गेंदा सिंह जी की समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि उनको अब कोई आपत्ति नहीं होगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख है कि आज यहां ड्राफ्टमैन न होने की वजह से हमारे माननीय मंत्री जी और सरकार बड़ी परेशानी में पड़ गयी है, क्योंकि वह बार-बार दोहरा रहे हैं जिसको वह न दोहराते तो ज्यादा अच्छा होता। और इसीलिए मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा यह विरोध नहीं है कि मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से रखा न समझा जाय। बल्कि मेरा विरोध दो प्रकार से है। पहला तो मेरा शाब्दिक विरोध है। आप देखेंगे कि रख दिया जाय के स्थान पर फिर उसको दोहरा दिया है रख दिया जाय। होना तो चाहिए यह था कि खंड ५ में उपखंड (१) में शब्द "रख दिया जाय" के बाद शब्द "और मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय" जोड़ दिये जायं। लेकिन जिसको ही डिलीट करना चाहते हैं उसी को जोड़ दिया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी गलती इसमें यह है कि मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय, यह जो बात है यह धारा के मुख्य अंग में आनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने रखा है मालूम होता है कि डिक्लेरेटरी क्लाज उसमें है। जैसा कि गेंदा सिंह जी ने बाद को संशोधन में रखा है यह धारा के बीच में होना चाहिए। धारा का अंग न बना कर शुरू में रख दिया है तो इतनी बड़ी बुनियादी गल्ती ड्राफ्टिंग की सरकार की तरफ से अगर आने लगे, और अगर किसी माननीय सदस्य की तरफ से ऐसी गलती हो तो कहा जा सकता है कि कम समझते हैं, लेकिन सरकार ऐसी गलती करे, मैं समझता हूं कि यह अक्षम्य है। श्रीमन्, आप इसको स्वयं ग़लत करार दे दें, क्योंकि जो बात यह रखना चाहते हैं वह ऊपर के क्लाज में रखना चाहते हैं जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। धारा के मुख्य अंग में आना चाहिए। मैं इसके फार्म का विरोध करता हूं कंटेंट का विरोध नहीं करता हूं। जहां तक कंटेंट का प्रश्न है उसके लिए श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन आया हुआ है और उस पर बाद में बहस होगी ही।

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। माननीय मौर्य जी ने मुझे समझाने की बड़ी कृपा की। मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन असल में मैं समझता हूं कि इसका जो अर्थ होगा वह कुछ जोतने वाले किसानों की जमीन को छीनने का है। इसलिये मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इसको पास होना चाहिये माननीय मौर्य जी ने जो यह संशोधन रखा है वह इसलिए रखा है कि जिन अक्षम लोगों को यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई थी कि वह डेट आफ वेस्टिंग के पहले अपने असामी को, अपने किसानों को बेदखल कर पायें जिनको कि अब इस संशोधन के द्वारा अख्तियार दिया जा रहा है। इसमें खतरा इस बात का है कि जो लोग कब्जा किये हुए हैं जमीन पर, बल्कि पहले से जमीन पाये हुये हैं, उनको अपने को अक्षम्य साबित करना होगा। ऐसे लोग भी अपने को अक्षम्य मानते हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके पुरुष भी हैं, बालिग बच्चे भी हैं। आगे इसी खंड में इस बात की भी गुंजायश की गई है कि बजाय डेट आफ वेस्टिंग के ९ अप्रैल सन् ४६ को अगर वे अक्षम्य थे तो ९ अप्रैल, सन् ४६ के बाद उनको यह अधिकार मिल रहा है कि इस बीच में जो उनके काश्तकार थे उनको बेदखल कर दिया जाय। इसमें यह दिक्कत पड़ेगी कि उनके ऊपर मालगुजारी का बोझ पड़ेगा या कोई हर्जाने का दावा करे तो भी कुछ दिक्कत का सामना उन्हें करना होगा जो जोते हुए थे। अगर यह बेदखली का विधेयक पास हो गया तो बेदखल तो वे हो ही जायंगे मगर जितना कम दिन का बोझ पड़ सके हर्जाने या लगान का उतना ही अच्छा क्योंकि लगान तो उन्होंने वसूल कर ही लिया होगा इसीलिये मैं मौर्य जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय मौर्य जी को मैं शायद न समझा सकूं, लेकिन मौर्य जी ने जो मुझे समझाने की कोशिश की मैं भी उसे समझने से मजबूर हूं और मैं समझता हूं कि मेरे जैसे नासमझ लोग और भी होंगे, इसलिये जरा उन लोगों को भी वे समझा लें और अगर वह इस परिवर्तन को न करें और जो मूल अधिनियम में है वही रह जाय तो मैं समझता हूं कि उनका काम गड़बड़ न होगा। यह अलबत्ता है कि बड़ा दबाव उनके ऊपर पड़ा है इस वजह से उन्हें ऐसा काम करना पड़ा है तो देश के नाम पर जो बहुत से काम किये जा रहे हैं उसी तरह से इस काम को करके अगर १०० या १,००० किसानों को बेदखल होने से वह बचा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वह मान जायंगे तो यह जो बढ़ाने की बात वह कह रहे हैं इसकी आवश्यकता न रहेगी, अगर मौर्य जी मान जायंगे तो जो लोग पहले से असामी थे उनके लिये तो लिखा हुआ है और बेदखली का मुकदमा दायर करना है तो वह कानून में पहले से ही लिखा हुआ है। हां, उसे समझने की जरूरत पड़ती है और जिनको बेदखल करने के लिये मौर्य जी यह नया

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रास्ता खोल रहे हैं अगर वह बन्द कर दें तो शायद उनको कष्ट न होगा और न फिर हमें विरोध करने की ही जरूरत पड़ेगी। इस तरह से सोच कर वह तै कर लें, ताकि ९ अप्रैल और डेट आफ वेस्टिंग का झगड़ा ही खत्म हो जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे काबिल सदस्य की तरफ से एक ऐसी आपत्ति उठायी जाय जो इससे पहले कई विधेयकों में उन्होंने देखी होगी कि एक ही शब्दावली रखी गई है जिसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। खण्ड ५२, ५३ और ५५ को अगर इस विधेयक के वह देखेंगे तो उसमें भी वह यही शब्दावली पायेंगे, वह उसी रूप में जैसा विधेयक है पास होने के बाद भी वही शब्दावली रहेगी लेकिन मूल ऐक्ट में उसको जोड़ा नहीं जायगा। तो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के उस हिस्से को उस शब्दावली में जुड़ा समझा जायगा। इसकी मैं एक मिसाल भी दे सकता हूं। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, १९५० का जो अमेंडमेंट १९५३ में पास हुआ था उसकी धारा (२) में यह है कि :

"It shall be deemed to have come into force from 1st day of July, 1952."

यह सन् १९५३ में पास हुआ लेकिन पहले के लिये भी इसको एफेक्ट दिया गया। हालांकि यह जुमला मूल अधिनियम में नहीं जोड़ा जायगा। तो फिर समझ में नहीं आता कि इस संशोधन से कौन सी कानूनी कठिनाई पैदा हो गयी।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह ने केवल एक बात अपने संशोधन के जरिये से रखी है और हमारे मित्र ने रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट की बात कही। यह सही है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में पीछे से लागू होने का हक कई बार दिया गया। अगर तारीख के पीछे बढ़ने से जमीन के जोतने वाले का हक बनता है तब तो हम पीछे वाले के साथ हैं और अगर तारीख के पीछे बढ़ाने से जमीन के जो जोतने वाले हैं उनका हक छिन जाता है तो वहां पर हम पीछे बढ़ने के हक में नहीं हैं। हमारा मकसद आप समझें कि हर हालत में हमारी कोशिश यह होगी कि जमीन के जो जोतने वाले हैं उससे वह किसी तरह से बेदखल न हों। आप इस बात को समझ लें कि हमारा यह मकसद किस तरह से कामयाब होता है। अगर रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से उनको फायदा होता है तो हम उसकी बात कहेंगे और अगर उससे नुकसान होता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। गेंदासिंह जी ने यह बात रखी है कि अगर सन् १९४६ में जाते हैं तो जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है और जो अक्षम्य माने गये हैं यानी निहित होने के दिनांक पर वह अक्षम माने गये हैं अब भी वे माने जायं। आप अगर सन् ४६ में जायंगे तो यह ६ वर्ष का फर्क पड़ जाता है वेस्टिंग की तारीख तक जो कि जुलाई सन् १९५२ है। अब माननीय मौर्य जी चाहते हैं कि यह जो ६ वर्ष का अन्तर है उसको मिटा दिया जाय और ४६ से ही उस पर अमल हो। तो इससे कितने लोग बेदखल होंगे और कितने लोगों का गला कटेगा और कितने किसानों की जमीन छिन जायगी, इसके लिये क्या सरकार कोई आंकड़े यहां पर प्रस्तुत कर सकती है? और आप यह भी समझ लें कि आज जो जमीन जोतने वाले हैं अगर उनकी जमीन छीनने की गुंजायश किसी तरह से नहीं है तो हमारा संशोधन फिर उसके लिये नहीं हो सकता और न हमारा विरोध ही हो सकता है। अगर कोई संशोधन इस प्रकार की परिस्थिति को पैदा करता है कि ६ वर्ष के अन्तर से भी लोगों की जमीन को बेदखल करने का अधिकार सरकार को देता हो और जो क्षम्य नहीं रहे हैं उनको क्षम्य बना कर बेदखली का अधिकार देता हो उसका हम विरोध करेंगे। हम चाहते नहीं हैं कि क्षम्य बनाकर उनको बेदखल करने का अधिकार दें। यदि माननीय मौर्य जी चाहें तो मेरी इस बात को साफ कर सकते हैं। मैं समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

हूं कि आप ६ वर्ष का टाइम और बढ़ा कर अक्षम लोगों को क्षम बना कर गरीब लोगों का नुकसान करना चाहते हैं। जो जमीन जोतने वाले हैं उनको आप उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। हमारा संशोधन साफ है और हम इस टाइम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिससे सन् १९४६ में जाकर अक्षम लोगों पर उसका असर पड़े। जिस प्रकार की यह समस्या है इसको सरकारी पक्ष के लोग समझ लें और अब राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं वह भी इसको समझने की कृपा करें। यह कोई नई सरकार नहीं है, कम से कम वह तो ७ साल पुराने हैं, नाबालिगी की अवस्था है तो क्या। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से स्वतः कई बार कह चुका हूं कि "बुजुर्गी व अम्ल न बसाल, तवगरी बदिल्रस्त न बनाल।"

यानी बुजुर्गी अक्ल के साथ होती है। मगर मुझे अफसोस है कि वे माननीय नारायणदत्त जी पर अक्सर नुक्ता कस दिया करते हैं। उसके वे आदी बन गये हैं, ऐसा कहते हो रहते हैं। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरमीम के करने से जमीन जोतने वाले को फायदा होता है तब तो इसको बढ़ाइये, लेकिन अगर १ जुलाई सन् १९५२ के बजाय सन् ४६ कर देने से बेदखलियों की गुंजाइश होती है तो इसको न किया जाय।

*श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर धारा २१ को पढ़ा जाय तो उसमें यह लिखा हुआ है कि "प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास या दखल में निहित दिनांक से ठीक पहले दिनांक तक कोई भूमि रही हो तो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी..... 'यानी इसमें निहित दिनांक से ठीक पहले दिनांक तक" यह शब्द आये हैं। लेकिन जैसा कि संशोधन मौर्य जी का आया है वह उसके विपरीत पड़ता है। दुबारा उसी चीज को रिपीट करने से ठीक नहीं होगा। संशोधन जैसा कि यह ड्राफ्ट किया गया है वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसमें यह और जोड़ दिया जाता है कि "रख दिया जाय और मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय" इससे अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यह 'ला' के बिल्कुल विपरीत जाता है। मैं मौर्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वे धारा २१ के अंग्रेजी के अनुवाद को भी देख लें। अंग्रेजी में भी वे शब्द आये हैं --

"Not withstanding any thing contained in this Act who on the date immediately preceding the date of vesting, occupied or held land as —"

इसलिये जैसा क्लाज रक्खा गया है वही ठीक होगा। आशा है इसके बाद मौर्य जी उसको करेक्ट कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी का यह विरोध कि "रख दिया जाय" यह दो बार आ जायगा यह बात नहीं है। हमारा संशोधन यह है कि शब्द "रख दिया जाय" के स्थान पर शब्द "रख दिया जाय और मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय" रख दिये जायं।" मैं समझता हूं कि उनको पढ़ने में कुछ भ्रम हो गया है। इससे मानी कुछ गलत हो जाते हैं यह बात नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि उपखंड में जब हम यह जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ही उल्टा हो जाता है, यह बात भी नहीं है। इसे माननीय अब्दुल मुईज खां ने साफ कर दिया था कि और भी जगह ऐसा आया है। जब स्वयं धारा के अन्दर ही यह कह दिया गया कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होगा तो उसमें यह कहना कि वह अपनी

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जगह नहीं है, यह बात नहीं है। वह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट माना जायगा। अब सवाल यह है कि होना चाहिये या नहीं। २ बातों की शंका प्रकट की गई। एक तो यह कि जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसके रखने से जो बेदखली होने वाली नहीं थी वह भी हो जायंगी। अगर वह देखें तो उन्हीं के नाम से आगे संशोधन है जिसमें उन्होंने स्वयं ही ९ अगस्त, सन् ४६ वालों को निकालने की बात कही है। उसका विचार तो अपनी जगह पर होगा और इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अब रह गया यह कि अगर हम इसको रिट्रास्पेक्टिव न रखें तो मेरे मित्रों का जो शुब्हा है कि बेदखली होगी या नहीं और अगर मगर के साथ माननीय विरोधी दल के नेता ने जो कहा कि यह बात है और वह बात है, यह तो उन्हें ही समझना चाहिये कि इसका क्या असर पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ९ अगस्त, सन् ४६ वगैरा वगैरा से "ज" में जो नियम दिये हैं उसमें असामी के लिये कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, हर एक बेदखल हो सकता है। इसलिये यह शंका गलत है कि इसकी वजह से बेदखली हो जायगी। अगर कोई लिमिटेशन इसमें दी होती और मूल अधिनियम से उनकी बेदखली न होती तब तो दलील हो सकती थी। मैं गेंदासिंह जी का ध्यान धारा १० (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर औरतें भी थीं जिन्होंने शिकमी पर जब उठाया तो वह भी असामी हुये और अगर हम मूल अधिनियम से लागू करते हैं और उसके बाद जिन औरतों ने उठाया है वह उस केटिगरी में नहीं आतीं तो गेंदासिंह देखें कि कोई इससे बेदखल होता है या नहीं। यानी १० (२) को निकाल देते हैं और मूल अधिनियम के दिनांक से लागू करते हैं तो वह असामी न रहे। तो यह तो ऐसे लोगों को नुकसान की जगह और फायदा पहुंचाता है जिन्होंने १० (२) में दिया है। ऐसी शंका से कोई लाभ नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि मेरे मित्रों ने इसको अब समझ लिया होगा और सदन इसकी उपयोगिता को देख कर इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में शब्द "रख दिया जाय" के स्थान पर शब्द "रख दिया जाय और मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही रखा हुआ समझा जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन ले लिया जाय तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) में शब्द "यदि क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर तथा ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"जब क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब.....

(क) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ से पहले उठाई गई थी या कब्जे में थी तो यथास्थिति भूमि उठाने या कब्जे में आने के दिनांक पर और ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर, और

(ख) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ के पश्चात् उठाई गई थी या कब्जे में आई थी तो भूमि उठाने या कब्जा करने के दिनांक पर,

धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों।"

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ११२ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके अनुसार कोई भी संशोधन जब पेश किया जाय तो उसके

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लिये ३६ घंटे का नोटिस देना आवश्यक है और चूंकि यह किसी को मालूम भी नहीं है, न एजेंडे पर है और न किसी सदस्य के पास उसकी कापी ही है इसलिये नियम ११२ के अनुसार इस पर विचार नहीं हो सकता। इस पर कल विचार किया जाय जब यह एजेंडे पर छप कर आये।

श्री बेचनराम गुप्त---श्रीमन्, जो प्वाइंट आफ आर्डर श्री नारायणदत्त जी ने उठाया है मैं उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह सदन की परिपाटी रही है और स्वयं विरोधी दल के लोगों ने एक एक घंटा और दो दो घंटे पहले संशोधन भेजे हैं और उन पर यहां विवाद हुआ है। जो माननीय नारायणदत्त जी ने एक नयी बात उठायी है मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं उस चेयर पर बैठा हूं और माननीय नारायण दत्त जी ने स्वयं संशोधन दिया है तो मैंने उसे स्वीकृत किया है और मैं आपसे आशा करूंगा कि इस संशोधन को आप एलाउ करने की कृपा करेंगे।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है अगर माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहें तो मैं उनको सुन कर कह दूंगा।

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय बेचनराम गुप्त ने जो फरमाया मैं उनका समर्थन करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है हमारे यहां की यह परिपाटी रही है कि जिस वक्त हम बहस कर रहे हों किसी चीज पर तो उसमें जो संशोधन से संबंधित छोटी मोटी बातें उसी में से निकलती हों तो नोटिस के लिये आब्जेक्शन न किया जाय। मैं आपके जरिये माननीय नारायणदत्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त कुमायूं के सिलसिले में कानून आया था उस वक्त मैंने यह कह दिया था कि चाहे जितने भी संशोधन जो देना चाहें दे सकते हैं और लोगों ने दिया था। उसी कंवेंशन के मुताबिक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसकी इजाजत दे देंगे। फिर आप इस संशोधन को कोई ऐसा बड़ा संशोधन न समझें, यह तो उसी में कुछ थोड़ा सा संशोधन करना है। इसमें कोई सबस्टेंस या कोई पालिसी की बात हरगिज नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी इस पर विचार करेंगे और इस बात को समझेंगे कि इस बिल को पास करने की जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि जितने यहां पर बैठे हुये हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि यह जल्दी से जल्दी पास हो जाय।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत उदारता दिखलायी है श्री बेचन राम गुप्त जी के संशोधन के सिलसिले में, जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। क्योंकि मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कभी उम्मीद नहीं करता था कि वे इतने उदार होकर किसी वस्तुस्थिति पर विचार कर सकते हैं। चूंकि उनका दिमाग तो पहले से ही बना बनाया रहता है और उनकी हठवादिता में कोई चीज प्रवेश नहीं कर पाती। अब हमें केवल निवेदन यह करना है कि ठीक कहते हैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इससे पहले भी इस सदन में कभी कभी ऐसा हुआ है कि संशोधन दिये गये और वे चेयर द्वारा स्वीकृत भी हुए, लेकिन यह भी ठीक है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने उस पर आपत्ति भी की है और उनकी आपत्ति मानी भी नहीं गयी। श्रीमन्, एक नहीं, ऐसे पचासों उदाहरण मैं दिखला सकता हूं और सेक्रेटेरियट के लोग भी बतला सकते हैं कि मेरे द्वारा संशोधन पेश किये गये और माननीय राजस्व मंत्री जी ने टाइम लिमिट की बात उठा कर खुद उसका विरोध किया। अब श्रीमन्, चेयर ने उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, इसलिये नहीं ध्यान दिया कि किसी विधेयक को बिना तीन दिन की नोटिस दिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए सरकार की ओर से ला दिया गया और सरकार की ओर से यह कहा गया कि इस पर तो आज ही बहस हो जानी चाहिये और इसको पास कर देना चाहिये। ऐसी हालत में माननीय अध्यक्ष ने हम लोगों को संशोधन देने की इजाजत दी, मगर जो नियमित रूप से बाकायदा विधेयक चल रहा है और जिसकी नोटिस बाकायदा है सदन में उसी पर विवाद हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक टाइम लिमिट की बात है इस रूल के मुताबिक ही होनी चाहिये। इसके लिये कोई आसान तो है नहीं। नियम के अनुसार ही हमको चलना होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की जो नियमावली है, उसी के मुताबिक हमको काम करना चाहिये।

श्री अब्दुल मुईज खां--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने जो नियम रेज किया है मैं समझता हूं कि अगर उसका अन्तिम पैरा पढ़ें तो उसमें यह होता है "ऐंड सच...

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--प्वाइंट आफ आर्डर एक रेज हो चुका है, बीच में आप नहीं उठ सकते।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमन्, नियम ११२ के अन्त में स्पीकर को अधिकार है कि वह इजाजत दे सकता है और इसके साथ-साथ हमेशा एक परिपाटी सी रही है कि अगर गवर्नमेंट किसी संशोधन को स्वीकार करती है तो उसके लिये अगर ३६ घंटे की नोटिस नहीं दी गई फिर भी स्पीकर महोदय उसको खड़े होकर इजाजत दे देते हैं।

(श्री सीताराम शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--श्री सीताराम शुक्ल एक प्वाइंट आफ आर्डर उठा चुके हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह भी एक व्यवस्था का प्रश्न है जो माननीय तिवारी जी ने उठाया था और उस पर विवाद हो रहा था और एक माननीय सदस्य की हैसियत से माननीय खां साहब उस पर विवाद कर रहे थे। इसी बीच में माननीय सीताराम जी शुक्ल उठे और वह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सीताराम जी के खड़े होने पर वह बैठे नहीं। ऐसी स्थिति में कोई प्वाइंट आफ आर्डर वह उठा नहीं रहे थे विवाद में हिस्सा ले रहे थे। जब कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठावे तो माननीय सदस्य को बैठना चाहिये था और खां साहब नहीं बैठे, इसलिये यह एक अनियमितता हो गयी। लिहाजा आगे के लिये सावधान कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरा अभिप्राय यह है कि इस राज्य की भाषा हिन्दी हो गयी है और नियमावली हिन्दी में छपी हुई है। हमारे माननीय मेम्बर साहब हिन्दी जानते भी हैं तो फिर क्या वजह है कि हिन्दी जानते हुये भी वह हिन्दी में नियमावली नहीं पढ़ते।

श्री उपाध्यक्ष--नियमावली हिन्दी में अभी शायद छपी नहीं है।

अनेक सदस्य--हिन्दी में नियमावली है, हिन्दी में नियमावली छपी हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक स्पष्टीकरण है। श्रीमन्, हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी परिपाटी की हमें याद दिलाई। तो परिपाटी हमारे सदन की यह रही है कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो वह सर्वसम्मति से आता है। दूसरी बात यह है कि जो संशोधन सरकार या उस तरफ के मेम्बर प्रस्तुत करते हैं या हम प्रस्तुत करते हैं तो उसकी एक कापी सरकार के पास भेज देते हैं और हमेशा भेज देते हैं। सेक्रेटेरियट की तरफ से दो नकलें उसकी बनाई जाती हैं। एक नकल सरकार के पास पहले दे दी जाती है। लेकिन इसकी कोई भी सूचना हमें नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे बतलाया गया है कि लीडर आफ दि अपोजीशन को कापी दे दी गई है।

श्री राजनारायण--मुझे अभी कापी मिली है।

श्री गेंदासिंह--मैं एक मिनट चाहता हूं। माननीय बेचनराम जी का जो संशोधन है वह बड़ा भयानक है। मालूम नहीं कि माननीय राजस्व मंत्री जी से उनकी कैसे पटरी बैठ गई। कल बेचनराम जी कुछ नाराज हो गये थे। इसलिये मनाने में इतनी बड़ी कीमत राजस्व मंत्री जी दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उससे यह पटरी बैठना मुनासिब नहीं है। अच्छा होता कि अगर इस संशोधन को कम से कम आप कल ले लेते। यह बड़ा फार रीचिंग ऐक्ट का संशोधन है और मैं सोचता हूं कि या तो वापस ही ले लें, ताकि आपको प्वाइंट आफ आर्डर का फैसला न देना पड़े और न हो तो कल लिया जाय।

श्री चरणसिंह--मैं अब व्यवस्था नहीं चाहता हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको जो अख्तियार रूल ११२ में हैं वह डिस्क्रीशन आप पब्लिक इंटेरेस्ट को देखते हुये इस अमेंडमेंट को एलाउ करने के हक में दें। ऐसी मेरी आपसे दरख्वास्त है और मैंने जो परिपाटी और दयायाचना की थी वह वापस लेता हूं और केवल आपसे यह अपील करता हूं।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्,.....

श्री उपाध्यक्ष--क्या आपको इसी सम्बन्ध में कुछ कहना है?

राजा वीरेंद्र शाह-- जी हां, इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह परिपाटी रही है मैं यह मानता हूं लेकिन हमारे दल वालों को कापी मिलनी चाहिये, लेकिन कापी आयी नहीं। हमारे पास भी कापी आजाय तो हमें कोई विरोध नहीं है कि संशोधन पेश न हो, लेकिन कापी मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जैसी परिपाटी इस सदन में रही है उसको देखते हुये और यह देखते हुये कि इसमें कुछ चेयर को भी थोड़ा बहुत विवेक का अधिकार मिला हुआ है और यह देखते हुये कि इसकी एक प्रति नेता विरोधी दल को भी दी जा चुकी है। मैं अपने विवेक के अधिकार का उपयोग करता हूं और इस अमेंडमेंट को पेश करने की इजाजत देता हूं।

श्री बेचनराम गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो संशोधन पेश करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है--

"खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) में शब्द "यदि क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर तथा ६ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित

वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों, के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"जब क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब—

(क) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ से पहले उठाई गई थी या कब्जे में थी तो यथास्थिति भूमि उठाने या कब्जे में आने के दिनांक पर और ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर,

(ख) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ के पश्चात् उठाई गई थी या कब्जे में आई थी तो भूमि उठाने या कब्जा करने के दिनांक पर,

धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत स्पष्ट सा है। जो प्रस्तुत संशोधन है उसके अन्तर्गत केवल वही अक्षम व्यक्ति फायदा उठा सकते हैं कि जो ९ अप्रैल, १९४६ के पहले अक्षम रहे हों या जिस दिन उन्होंने भूमि को उठाया हो उस दिन वह अक्षम रहे हों। उदाहरण के लिये मान लें कि कोई स्त्री १९४६ के बाद विडो हो जाती है तो इस संशोधन के अनुसार जब उसके कब्जे में जमीन आती है तो वह उसे लेट आउट कर सकती है अगर वह ऐसा करना चाहती है और जब उसे जरूरत हो तो, बेदखल करा सकती है। इस संशोधन के अनुसार जो मैं पेश कर रहा हूं उन अक्षम लोगों को भी यही फायदा मिलेगा जो १९४६ के बाद अक्षम हुए हैं। जैसे कोई अंधा हो जाय या विडो हो जाय तो वे भी फायदा उठा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यह एक भयंकर संशोधन है जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा, यह तो बहुत साफ है और इसका फायदा बहुत लोग उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बेचनराम गुप्त के संशोधन में मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं.—

संशोधन के खंड (क) में शब्द तथा अंक "९ अप्रैल १९४६ को" के स्थान पर "निहित होने के दिनांक पर" रख दिये जायं और उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जल्दी-जल्दी में मैं इसे समझा हूं उससे माननीय बेचनराम जी ने माननीय मंत्री जी के संशोधन की एक बड़ी कमी तो जरूर पूरी कर दी। यह प्रश्न मेरे दिमाग में भी था कि अगर कोई १० अप्रैल को अक्षम हो तो उसका लाभ नहीं हो सकता जिसको कि सरकार लाभ देना चाहती थी। इस बीच के समय में अगर कोई अक्षम हो गया तो उसको माननीय बेचन राम जी के संशोधन से लाभ पहुंच सकता है, लेकिन मैं इस संशोधन का भी विरोध कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि यह बैंक नेटेड प्रोविजन रख कर ६ साल पहले के लोगों को भी फायदा न पहुंचाया जाय। मैं चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम की धारा इस सम्बन्ध में थी वह जैसी की तैसी रख दी जाय। यदि माननीय मौर्य जी का संशोधन भी रहता तो मैं उसका भी विरोध करता। तो इस तरह से यह संशोधन प्रस्तुत होना चाहिये था कि मूल अधिनियम में "निहित होने के दिनांक पर" या कब्जा करने के दिनांक पर यह दो बातें थीं। अब माननीय बेचनराम गुप्त जी ने अपने संशोधन द्वारा एक तो कमी पूरी की लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह--आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। आप उसको लैकुना मानते हैं, तो पूरा किया, तो उसको आप स्वीकार कहां करते हैं? आप यह डबुल टाक कैसे कर रहे हैं?

श्री राम नारायण त्रिपाठी--मेरा डबुल टाक तो बिल्कुल साफ है। माननीय मंत्री जी भी १ जुलाई, १९५२ के पहले लोगों को अक्षम होने की सुविधा देना चाहते हैं कि वह अपने असामियों को बेदखल कर सकें और उनकी कुछ त्रुटि रह गई थी तो उसे माननीय बेवनराम जी ने पूरा किया। लेकिन मेरा विरोध इसलिए है कि १ जुलाई सन् १९५२ के पहले अक्षम हो तो उसके असामियों को बेदखल होने की सुविधा नहीं देनी चाहिए। माननीय बेवनराम जी का भी संशोधन मान लिया जाय तो माननीय राजस्व मंत्री जी के ध्यान में मैं एक बात और लाना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान लिया कि एक व्यक्ति सन् १९०१ की जुलाई में अक्षम रहा हो और ९ अप्रैल सन् १९४६ को भी अक्षम रहा हो तो क्या उसको भी अधिकार नहीं होगा कि वह अपने असामी को बेदखल करे। माननीय राजस्व मंत्री जी गौर कर लीजिए। जल्दी जवाब न दीजिए। १९०१ की पहली जुलाई को अक्षम रहा हो और ९ अप्रैल सन् १९४६ को अक्षम रहा हो तो क्या उसके असामी बेदखल कर दिये जायेंगे? यह माननीय राजस्व मंत्री जी की मंशा नहीं है लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक लैकुना पूरा किया उसी तरह से क्या यह भी नहीं है। मैं तो इस बात का विरोध करना चाहता हूं कि ९ अप्रैल सन् १९४६ या १० अप्रैल सन् १९४६ रखा जाय। ओरिजिनल ऐक्ट में यह था कि पहली जुलाई सन् १९५२, जिस दिन से जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ था या जिस दिन से काबिज हुआ था उस वक्त कोई अक्षम रहा हो तो उसका असामी बेदखल किया जा सकता है। तो इस तरह से इस संशोधन द्वारा माननीय बेवनराम गुप्त ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि ६ साल पहले ९ अप्रैल सन् ४६ से लेकर १ जुलाई सन् १९५२ तक जितने अक्षम लोग रहे हों और इस समय समर्थ भी हो गये हों उनके भी असामियों की बेदखली हो सकेगी। इस तरह से असामियों के ऊपर काफी भार पड़ रहा है जो कि मैं समझता हूं कि सरकार को नहीं करनी चाहिए और जो ओरिजिनल ऐक्ट में था कि पहली जुलाई, १९५२, निहित होने के दिनांक पर या कब्जा करने के दिनांक पर वही रहना चाहिए। अगर हमारा संशोधन मान लिया जाता है तो माननीय राजस्व मंत्री के मूल अधिनियम में जो व्यवस्था उसकी की गई है, वही रह जाती है। जो कि आफिशियल रिजोल्यूशन माननीय बेवनराम गुप्त जी का है उसमें वह ६ वर्ष पहले के लोगों को भी करना चाहते हैं। लेकिन उनके संशोधन में भी यह लैकुना है कि १९०१ में कोई अक्षम रहा हो और १९४६ में भी रहा हो तो उसको भी वह रोक नहीं सकते। तो वह भी एक त्रुटि रह जाती है, जिसको कि उन्हें दूर करना चाहिए।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, मौजूदा कानून यह कहता था कि ३० जून सन् ५२ को जिस रोज जमींदारी खत्म की उस रोज कोई असमर्थ रहा हो, मैं असमर्थ लफ्ज ही इस्तेमाल करूंगा, तो वह अपने शिकमी को बेदखल करा सकता है। यह आज का कानून है। यह तो रहा डिसएबिल्ड, स्त्री या डिसएबिल्ड जो हो उनके लिए। लेकिन कौन सी जमीन का डिसएबिल्ड प्रोप्राइटर, अध्यक्ष महोदय, यह और समझने की जरूरत है, क्योंकि हमको डर है कि बहुत लम्बी चौड़ी दूर तक सन् १९०१ तक की बात माननीय त्रिपाठी जी ने रखी है। वे तो समझते होंगे कि सब बेदखल हो जायेंगे नहीं। पहली बात तो यह समझना चाहिये कि २५० रुपये से ऊपर जो मालगुजारी देने वाले थे चाहे वह डिसएबिल्ड हों या न हों उनके टेनेन्ट का सवाल नहीं है नान सीर लैंड के भी बेदखली का कोई सवाल नहीं है, चाहे बड़े जमींदार का काश्तकार हो या छोटे जमींदार का काश्तकार हो।

अब दूसरी बात यह है कि बड़े जमींदारों 'के सीर' के शिकमी या गैर दखीलकार काश्तकार बेदखल नहीं हो सकते हैं, चाहे उसके प्रोपरायटर्स डिसएबिल्ड रहे हों या न रहे हों। लिहाजा २५० रुपये से ऊपर वालों का सवाल तो उठता नहीं है। इससे नीचे वालों की भी जो गैर सीर की जमीन है उसके काश्तकारों के भी बेदखली का सवाल नहीं है। दूसरे काश्तकार से हटा कर या नई जमीन तोड़ कर दे दी। छोटा जमींदार डिसएबिल्ड है तो बेदखल नहीं करा सकता है। छोटा जमींदार है और उसका सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड है, वह डिसएबिल्ड है, अर्थात् किसी स्त्री का पति मर जाय और वह विधवा रह जाय, पागल हो जाय या जेलखाने चला जाय और जो हमने १५७ में गिनाये हैं वह सीर की जमीन को उस असमर्थता के पीरियड में उठा देते हैं और जिस रोज हमने बेदखली बंद की है उस रोज भी वह अगर डिसएबिल्ड है। ९ अप्रैल, १९४६ को हमने बेदखली बन्द की है। अगर कोई ९ मार्च, १९४६ को बालिग हो गया था तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ९ अप्रैल, १९४६ को डिसएबिल्ड है और हमने बेदखली बन्द कर दी है तो मौजूदा कानून यह कहता है कि ३० जून, १९५२ को भी अगर डिसएबिल्ड है तो बेदखली करा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, कानून में यह एक बहुत बड़ा अन्याय और नुक्स था और जिसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं था नुक्स यह है कि कोई नाबालिग जमीन उठाने के बाद बालिग हो गया। १९४८ में बेदखली कराना चाहता था सीर के काश्तकार को और २५० रुपये से छोटा जमींदार है, बेदखली बन्द थी और वह ३० जून, १९५२ को बालिग हो गया। अब हम कह रहे हैं कि उस दिन तुम नाबालिग नहीं थे तो वह बेदखली नहीं करा सकता है क्योंकि वह नाबालिग नहीं रहा और वह नाबालिग रहेगा कैसे। इसमें उसका क्या कसूर है। उसकी मजबूरी थी जब वह बालिग हुआ था, खेती करने के लायक हुआ और अपनी जमीन को छुड़ाना चाहता था लेकिन तब भी नहीं छुड़ा सकता था क्योंकि बेदखली बन्द थी, तो ३० जून, १९५२ से पहले वह छुड़ा नहीं सकता था और जब वह बालिग हो गया कानून यह कहता है कि जब तुमने जमीन उठाई थी उस समय तुम नाबालिग थे और अब यदि तुम ३० जून, १९५२ को भी नाबालिग हो तब भी अपनी जमीन छुड़ा सकते हो। मैं इसका क्या जवाब दूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ७ जुलाई को बनारस गया था वहां मीटिंग में मुझ से यही सवाल पूंछा गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैंने कहा कि यह कानून में एक नुक्स है। इससे पहले कुछ खतूत भी आये थे। अब जैसे ही हमें मौका मिला हमने अमेंडमेंट किया है कि जिस रोज जमीन उठाई थी उस रोज डिसएबिल्ड हो, जिस रोज बेदखली बन्द की है उस रोज डिसएबिल्ड हो तो बेदखली करा सकता है।

मैटीरियली डिसएबिल्ड हो उस दिन जब हमने बेदखली बन्द की है और ३० जून, १९५२ को अगर वह एबिल हो गया और जमीन वापस लेना चाहता था तो नहीं ले सकता था। अब वह ३० जून को डिसएबिल्ड हो तो कैसे। अब डिस्एबिलिटी कैसी है? नाबालिग से बालिग होता जा रहा है। २१ साल का था, उसके बाद ४ वर्ष गुजर गये। तो जब स्टे आर्डर्स हो गये थे, जिसके बाद वह बेदखली करा ही नहीं सकता था तो इसमें उसका क्या कसूर है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, कुछ लोग बेदखल हुए, लेकिन उनकी बहुत थोड़ी तादाद है। लेकिन बेदखल जो होंगे उनको तकलीफ तो होगी और जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं और वे, सब यह नहीं चाहते कि कोई आदमी बेदखल हो। यह अध्यक्ष महोदय, सारे सूबे में हमारी नीति सबको विख्यात है, सर्वविदित है, लेकिन आखिर कुछ उसूल हैं, जिनके मातहत हमको चलना है। अगर किसी आदमी ने शोषण करने के हेतु जमीन उठायी थी, तो उसको नहीं वापस दिलायी जायगी, लेकिन जो डिसएबिल्ड प्रोप्राइटर्स थे, उनकी तो एक्सप्लायट करने की मंशा नहीं थी, वह तो खुद मजबूर थे, इसलिए उठायी थी। और वह हैं जो ढाई सौ रुपये से कम मालगुजारी

[श्री चरणसिंह]

देते हैं और वह जमीन है जो उनके बाप या पति की सेल्फ कल्टीवेटेड थी। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं और मुनासिब है कि उनको बेदखली का हक दिया जाय। यह एक डिफेक्ट और लैक्युना था और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि क्या जवाब दूं। खाली सेंटीमेंट्स से काम नहीं चल सकता। सेंटीमेंट्स और रीजंस, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिये। तो माननीय बेचनराम जी कोई दूसरा अमेंडमेंट इस किस्म का पेश करें और हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ९ अप्रैल, १९४६ के बाद और कोई नाबालिग औरत थी, विवाहित थी। सन् १९४८ में वह विधवा हो गयी, उसका पति मर गया। उसने जमीन लगान पर उठायी। उसको क्यों हक न दिया जाय बेदखली का? जो जमींदार की विधवा स्त्री, या सेपेरेटेड वीमैन या अनमैरीड वीमैन या नाबालिग रहेगी। अब ऐसे लोग कौन से होंगे जो शिकमी हैं, वह तो काश्तकार के उपकाश्तकार हैं या टिनेंट आफ सीर आफ स्माल प्रोप्राइटर्स। तो इन दोनों के लिए यह चीज लागू होती है। जो शिकमी हैं वह असामी हो जायंगे लायेबिल टु इजेक्टमेंट। तो एक बात जो मुनासिब थी वह की गयी।

अध्यक्ष महोदय, यह कानून जो हमने रखा है उसमें कुछ उसूल रखे गये हैं, कुछ पैमाने हैं। शुरू से आखिर तक हमने उस पैमाने और कसौटी पर इस कानून को घटाने की कोशिश की है। चाहे कोई अमेंडमेंट इधर के मित्र लायें या उधर के दोस्त संशोधन लायें, मेरी तरफ से या मौर्य जी की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि अगर यह फलां उसूल या कायदे के खिलाफ पड़ता है तो हम उसको नामंजूर कर देते हैं। अगर उसूल के मुताबिक होता है तो मंजूर कर लेते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि यह मंजूर, वह नामंजूर, आर्बिट्रेरिली ऐसा नहीं किया जाता। उसूल का तकाजा यह है कि हम उन लोगों को अख्तियार दे रहे हैं जो कि डिसएबिल्ड प्रोप्राइटर्स थे, जिन्होंने शोषण के लिये जमीन नहीं दी, बल्कि मजबूर थे इसलिये उनको उठानी पड़ी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था और वह भी ऐसे लोग जो छोटे प्रोप्राइटर्स थे जिनको मुआविजा भी ज्यादा नहीं मिला था, वह जिनके पास कि अपने हस्बैंड या बाप के सेल्फ कल्टीवेशन में जमीन चली आ रही थी। तो अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक में जो क्लाज ५ में प्रावीजन था वह बहुत मुख्तलिफ था। उसमें जरा सा नुक्स रह गया, वह माननीय बेचनराम जी ने पूरा कर दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की तरह से कानून का जाननेवाला तो नहीं हूं लेकिन जो उन्होंने यह कहा कि ढाई सौ रुपये से ऊपर की मालगुजारी वालों के किसानों की बेदखली होने का कोई सवाल ही नहीं है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धारा १० में तो कहीं इस बात की गुंजायश है नहीं, क्योंकि उसमें तो यह लिखा है:

"ऐसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी हो और यदि मालगुजारी नहीं लगी है, तो इतना स्थानिक कर लगा हो जो २५० रु० से अधिक की वार्षिक मालगुजारी पर देय हो, उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा।"

इसका दूसरा भाग यह है :--

"(२) यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षेत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर--

(१) स्त्री,

(२) अवयस्क,

(३) पागल,

(४) जड़,

(५) अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ,

अथवा

(६) भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो

तो उपधारा (१) की कोई बात उसे लागू न होगी।"

इसका यह अर्थ तो होता नहीं है कि ढाई सौ रुपये से ऊपर वाले के जो शिकमी काश्तकार होंगे वे बेदखल नहीं हो सकेंगे।

श्री चरणसिंह--आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जो मौर्य जी कहने वाले थे, वह यह कि ये शख्स अधिवासी हो गये धारा २०, उपधारा (१), खंड १ के अन्दर। उनकी बेदखली का सवाल ही नहीं उठता, सब सीरदार होने जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि अगर माननीय बेचनराम जी गुप्त ने यह समझा होता तो इतना जोर डाला ही न होता। फिर बाकी क्या रह जाता है? फिर इस तरह के प्राविजन को बनाने की जरूरत मैं नहीं समझता।

श्री चरणसिंह--पूंछ लो तो मैं समझा दूंगा।

श्री गेंदासिंह--मैं तो समझना चाहता ही हूं, लेकिन जिन लोगों ने माननीय मंत्री जी के ऊपर जोर डाला कि ९ अप्रैल, १९४६ रखा जाय, उनको माननीय मंत्री जी जरूर समझा दें। फिर यह सारा झंझट छूट जाय और हमारा और आपका दोनों का वक्त बच जाय। ९ अप्रैल, १९४६ के रख देने से जिन लोगों ने यह समझ रखा था कि हमारी बेदखली होने की कोई गुंजायश नहीं है, और मैं ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन सम्भवतः शुरू में ऐसी बात नहीं थी तो फिर दोबारा संशोधन लाकर इस तरह का प्रबन्ध किया कि जिससे वे लोग बेदखल न होने पायें और डेट आफ वेस्टिंग की तारीख नियत कर दी कि जब जमीन उठायी जाय उस वक्त भी और जब यह कानून लागू हो उस वक्त भी दोनों वक्त अक्षम हों तो बेदखल हों, वे भी अब बेदखल हो जायंगे। इसमें सैकड़ों और हजारों आदमियों के बेदखल हो जाने का सवाल है। खासतौर से मैं बनारस की कहता हूं कि उन औरतों ने--मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं--बड़ा जुल्म किया और उन्होंने कानून का बड़ा लाभ उठाया। इस वक्त उन्होंने सैकड़ों काश्तकारों को बेदखल करने के मुकदमे दायर कर रखे हैं।

दूसरी बात यह है कि उठाये जाने और कब्जा करने ये दोनों बातें वह कहते हैं। पहले तो कानून में यह था कि जिस दिन से उठायी गयी उस दिन से यह बात रखी जाय। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, जब से कब्जा किया तब से यह बात रखी जाय। तो कानून में उलझन क्यों पैदा की जाती है। इस उलझन को न माननीय बेचनराम जी गुप्त समझा रहे हैं और न माननीय राजस्व मंत्री जी समझा रहे हैं। भीतर की बात तो समझा दी कि उठाया जायगा और कब्जा करने में कौन-सा लाभ है बतायें इसमें, जो उस तबके को

[श्री गेंदा सिंह]

दिलाना चाहते हैं जो तबका आज किसानों को बेदखल करना चाहता है। अगर वह लाभ मालूम हो जाय तो हम भी थोड़ा बहुत समर्थन करते माननीय राजस्व मंत्री जी का। आखिर जब कोई राजकुमार नाराज होता है और जब उनकी तलवार गिरती है तो जमीन पर तो गिरती नहीं है, शरीर पर ही गिरती है, तो अगर हम समझें कि कानी उंगली कट रही है तो कटवा लें। लेकिन अगर पांचों उंगलियां कट रही हैं तो हम कटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कानी उंगली ही कटती होती तो हम माननीय राजस्व मंत्री जी को, माननीय बेचनराम गुप्त जी को भी मनाने के लिये तैयार हो जाते, क्योंकि हिन्दुओं में बालकों और बुजुर्गों दोनों का ही हठ मानना पड़ता है। माननीय राजस्व मंत्री जी राजकुमार हैं और माननीय बेचनराम गुप्त बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर कानी उंगली ही कट रही होती तो हम उनको जरूर मना लेते। राजनारायण जी तो कहते थे कि बैठ कर विचार कर लें। लेकिन आपने मौका नहीं दिया। मैं समझता हूं कि पहले जो कानून में रहा है वह बड़ा मुनासिब रहा है। अगर थोड़ा सा लाभ भी हो जाय तो बरदाश्त करना चाहिए। बनारस के वह लोग नुकसान उठाने वाले हैं, जिन्होंने देश के नाम पर बड़ी कुर्बानी की है। और माननीय राजस्व मंत्री जी उस बदनामी से भी बच जायंगे जो मैं कहा करता हूं कि उनकी पटरी बैठी हुई है और हमारी उंगलियां भी कटने से बच जायंगी।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि माननीय गेंदा सिंह इस भूमि व्यवस्था ऐक्ट से बहुत काफी वाकिफ हैं और उसकी जानकारी अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन जो इस वक्त में उन्होंने भाषण दिया उसको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। भूमि व्यवस्था अधिनियम में तो असल में यह व्यवस्था की गयी है कि जो असमर्थ लोग हैं अगर उनकी मालगुजारी ढ़ाई सौ से ऊपर है तो उनकी सीर के जो शिकमी होंगे वह अधिवासी होंगे। लेकिन जो ढ़ाई सौ से कम के जमींदार थे और वह असमर्थ हैं तो फिर उनके लिए जो तारीखें रखी गयी हैं उन तारीखों पर अगर वह असमर्थ हैं तो उनके असामी जो उनकी तरफ से शिकमी जोते हुए हैं वह असामी की श्रेणी में आते हैं और वह बेदखल हो सकते हैं। माननीय गेंदा सिंह का यह ख्याल कि सभी तो अधिवासी हो जाते हैं इसलिए यह प्रश्न क्यों उठाया जाय, यह थोड़ा सा उनका भ्रम है। असल में वह असामी होता है और वह बेदखल किया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन लाया गया है। अब उनका यह कहना कि जो ९ अप्रैल रखा जा रहा है वह भी बेकार है वही चीज रहनी चाहिए थी कि निहित होने के ठीक एक दिन पहले जो असमर्थ हो उसी पर यह चीज लागू होनी चाहिए थी। वही शिकमियों को बेदखल कर सकता है वर्ना नहीं और जो बेचनराम जी ने संशोधन रखा है वह बेकार है, यह बात माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझा दी थी। लेकिन अगर कोई भ्रम है तो मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि ९ अप्रैल सन् ४६ और निहित दिनांक के ठीक पहले का जो समय है उस बीच में अगर कोई शख्स असमर्थ होता है और अपनी जमीन को उठाता है या कोई शख्स काबिज हो जाता है तो उसके लिए क्या चारा हमारे पास है? जो बातें माननीय मंत्री जी ने बतायीं कि असमर्थ कोई है और उसी की वजह से चूंकि वह असमर्थ है और अपनी जमीन पर काश्त नहीं कर सकता है, इसीलिये यह उसूल बनाया गया है और इसीलिये यह धारा कायम की गई और उसी को सुरक्षित करने के लिये ये बातें की जा रही हैं। अगर हमको यह उसूल एक मर्तबा स्वीकार है तो बीच में यह बहस क्यों की जाती है कि निहित होने से एक दिन पहले की तारीख रक्खी जाय और कोई तारीख न रक्खी जाय। वह चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साफ कर दी गई है, मजबूरन वह बेदखली रोक दी गई। इसलिये ९ अप्रैल, सन् ४६ रक्खी जा रही है, लेकिन ९ अप्रैल के बाद वह दशा पैदा होती है तो हमने इस उसूल को मान लिया है अगर कोई शख्स असमर्थ है तो हमें उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। उसने शोषण के लिये अपनी जमीन नहीं उठाई थी, बल्कि असमर्थ होने के कारण उठाई थी। इसलिये उसकी भी रक्षा होनी चाहिये और उसको बेदखली का अख्तियार होना चाहिये । ऐसी दशा में साफ है कि ऐसे लोगों को भी यह अधिकार मिलना चाहिये और ऐसी कोई बात मालूम नहीं पड़ती कि वे अपने इस अधिकार से वंचित किये जायं।

दूसरी चीज जो गेंदा सिंह ने पूछी, अगर कानून वह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो चीजें हैं जमीन उठाई हो या काबिज हो। जो शख्स बजाब्ता शिकमी था या जिस शख्स का कब्जा होगा दोनों चीजों के लिये शब्द आया हुआ है उठाने के दिनांक से। तो कब्जा करने वाले के लिये कोई शब्द इसमें नहीं आता और जब तक वह शब्द न आ जाय तब फिर अदालत में जब चीज जायगी उसका भिन्न-भिन्न अर्थ लोग लगायेंगे। ऐसी दशा में यह आवश्यकीय होता है कि दोनों हालतों के लिये इसमें शब्द लिखे जायं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं राजस्व मंत्री का आभारी हूं।

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि राजस्व मंत्री विरोधी दल के साथ बैठ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--वे उपाध्यक्ष की जगह बैठे हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह बेचनराम जी गुप्त का जो संशोधन है यह सही है कि राजस्व मंत्री जी ने इसकी बहुत सी गुत्थियों को अपने भाषण द्वारा सुलझा दिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्होंने दिल से कुछ कोशिश की है गुत्थियों को सुलझाने की, लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री ने जस्टिस की बड़ी दुहाई दी है और यह कहा कि मैं बनारस गया ७ तारीख को और लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमारा क्या दोष है। मैं जहां तक याद करता हूं कि मैं राजस्व मंत्री को एक दो खत भी इस सम्बन्ध में लिख चुका हूं कि वह किसान जिसका बाप मर चुका हो और कोई साधन उसके पास न हो और एक बीघा खेत शिकमी लेकर वह जोतता था किसी ऐसी स्त्री की जिसके बेटे बड़े हट्टे-कट्टे हों, जिसका पति जिन्दा हो और जो २५० रु० से कम की मालगुजार भी रही हो, श्रीमन्, ऐसे केस में माननीय राजस्व मंत्री कृपा करके बतलायें कि जस्टिस किसके पक्ष में जाता है। क्या वह लड़का जो बिना बाप का है, गरीब है और खेत जोत रहा था शिकमी लेकर जिसका पिता जिन्दा है और बेटा भी है और स्त्री के नाम केवल जमीन हो गयी है तो स्त्री के नाम जमीन होने की वजह से वह अपनी जमीन से बेदखल कर सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि जस्टिस न्याय और समानता का पलड़ा भारी होता है तो उसके लिये भी न्याय करें जो शिकमीदार है और जिसके पास जीवन निर्वाह का दूसरा साधन नहीं है। माननीय बेचनराम जी के संशोधन को माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया और वह केवल जस्टिस के नाम पर उन्होंने स्वीकार किया इस पर मुझे आपत्ति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर हमारे तर्क को भी सुनें।

श्रीमन्, मुझे याद है कि बनारस में चन्दौली तहसील है तो वहां पर ऐसी औरतें हैं जिनके पास जमीन भी काफी है, रुपया भी काफी है और महाजनी का पेशा भी है, अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह करती हैं। बेटे भी अच्छी सर्विस में हैं उसने उस लड़के की जमीन को बेदखल कर लिया जिसके न भाई है और न दूसरा जीवन का साधन है।

[श्री राजनारायण]

सलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक उनके कानून का सम्बन्ध है उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझा दिया। यह मैं जरूर मानता हूं मगर उसमें न्याय नहीं है, समानता नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री का यह कहना सही है कि वे १० (२) को निकाल रहे हैं तो उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मगर मैं यह कहता हूं और एक न्याय की बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि यदि माननीय राजस्व मंत्री ने हमारी बात को मान लिया होता तो कोई विधवा के लिये परेशानी नहीं थी और न लूले-लंगड़ों के लिये परेशानी थी और अपाहिज वगैरा के लिये सब परेशानी दूर हो गयी होती और कोई परेशानी न होती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ जमीन का सब के लिये प्रबन्ध कर देते या जितना भी कर सकते हैं उतना कर देते तो यह परेशानी जो आज हो रही है जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं, राजस्व मंत्री जी परेशान हैं और मौर्य जी भी परेशान हैं, और बेचनराम जी भी परेशान हैं इन सब की परेशानी दूर हो गयी होती। आपने जो बात जस्टिस की कही वह न कहते। जस्टिस उनके लिये ही नहीं बल्कि सब के लिये होनी चाहिये या सरकार की तरफ से कोई आंकड़े दे दिये गये होते तब मालूम होता कि इससे जमीन बेदखल नहीं होंगे तब हम समझते कि ठीक है। बेचनराम जी के संशोधन को उन्होंने मान लिया कि वह न्याय के नाम पर उसको स्वीकार करते हैं। मगर हमारी परेशानी वही बढ़ती जाती है और वह इस वजह से कि जो ९९ फीसदी सम्पन्न हैं उनके लिये तो कुछ हो जाय और अगर एक दरिद्र है उसकी और दरिद्रता न बढ़े और उसका निर्वाह हो जाय ऐसा उपाय न करें। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा न्याय का चश्मा लगाये हुये हैं तो सम्पन्न लोगों के लिये ही न्याय करना चाहते हैं। कृपया उनके लिये प्रयत्नशील न हों। जो पीड़ित हैं, जो बेघरबार के हैं, जिनके पास निर्वाह का अन्य साधन नहीं है उनके लिये भी सरकार न्याय का पलड़ा भारी करे तो हम उसमें उनके साथी हो सकते हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेचनराम गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि बगैर संशोधन पेश किये ही माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि एक बड़ा भयंकर संशोधन आ रहा है। मैं माननीय गेंदासिंह जी से इस प्रकार सुनना नहीं चाहता था। उनके साथी माननीय रामनारायण त्रिपाठी से मैंने इस बात को सुना कि जो दफा २१ में एक कमी रह गयी थी वह आज इस संशोधन के द्वारा पूरी की जा रही है फिर भी मैं देखता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया है, इसको मैं अपना दुर्भाग्य ही समझता हूं और मैं क्या कहूं माननीय मंत्री जी ने उसको काफी स्पष्ट कर दिया है उसके अतिरिक्त मैं कोई विशेष नहीं कहना चाहता।

श्री कमलासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गुप्ता जी का यह संशोधन पेश हुआ तो इससे पहले धारा ४ का स्पष्टीकरण ४ पेश होना चाहिये था वह इस प्रकार है--

"स्पष्टीकरण ४--इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के सम्बन्ध में 'अध्यासी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो १३५६ फसली में उक्त भूमि या उसके किसी अंश का, मध्यवर्ती के रूप में अधिकारी रहा हो।"

श्री अध्यक्ष--अभी खंड ४ स्वीकृत नहीं हुआ है, वह स्थगित कर दिया गया है।

(कुछ ठहर कर)

मैं पहले श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन लूंगा फिर बेचनराम जी का संशोधन रखूंगा। सहूलियत के लिये मैं श्री बेचनराम जी के संशोधन को पहले पढ़े देता हूं वह इस प्रकार है--

खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) में शब्द "यदि क्षेत्रपति या एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि को उठाने के दिनांक पर तथा ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"जब क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब--

(क) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ से पहले उठाई गयी थी या कब्जे में थी तो यथास्थिति भूमि उठाने या कब्जे में आने के दिनांक पर और ९ अप्रैल, १९४६ को दोनों ही दिनांकों पर, और

(ख) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ के पश्चात् उठाई गयी थी या कब्जे में आयी थी तो भूमि उठाने या कब्जा करने के दिनांक पर,

धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों।"

अब मैं इस पर माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन को लेता हूं--

प्रश्न यह है कि उपखंड (क) में अंक तथा शब्द "९ अप्रैल, १९४६" के स्थान पर "निहित होने के दिनांक पर" रख दिये जायं तथा उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब इसके बाद बेचन राम जी का संशोधन लेता हूं--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) में शब्द "यदि क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर तथा ९ अप्रैल, १९४६ को, दोनों ही दिनांकों पर धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों," के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"जब क्षेत्रपति या यदि एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब--

(क) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ से पहले उठाई गई थी या कब्जे में थी तो यथास्थिति भूमि उठाने या कब्जे में आने के दिनांक पर और ९ अप्रैल, १९४६ को दोनों ही दिनांकों पर, और

(ख) यदि भूमि ९ अप्रैल, १९४६ के पश्चात् उठाई गई थी या कब्जे में आयी थी तो भूमि उठाने या कब्जा करने के दिनांक पर,

धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--९७

विपक्ष में--१७।)

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन प्रस्तुत करती हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "रहे हों" और शब्द "तो" के बीच में निम्नलिखित शब्द दाखिल किये जांय--

"या, यदि क्षेत्रपति स्त्री हो और उस को खाता उत्तराधिकार में मिला हो"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा ५ की उपधारा (१) में प्रस्तावित खंड (ज) के विषय में श्री बेचन राम जी गुप्त का संशोधन स्वीकृत हो चुका है और उसी संशोधन में जिस प्रकार से राम नारायण जी ने अपना संशोधन रखा था, कोई संशोधन आ सकता था। इसी तरह से यह संशोधन भी उसी संशोधन में आ सकता था और जो संशोधन उपस्थित किया जा रहा है पहले की (ज) में, उसकी जगह दूसरी धारा स्वीकार हो चुकी है। इसलिये अब उस में कोई दूसरा संशोधन नहीं आ सकता। अतः यह संशोधन आउट आफ आर्डर है। मेरा यही निवेदन है कि जो संशोधन स्वीकार हो चुका है अब उस में कोई संशोधन नहीं हो सकता है।

श्रीमती चन्द्रवती---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूं?

श्री अध्यक्ष---मैं जरा देख लूं। आप कृपा करके अभी बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

आप जरा यह स्पष्ट कर दें कि क्या बेचनराम जी गुप्त के संशोधन के साथ आपका संशोधन हो सकता है या नहीं?

श्रीमती चन्द्रवती---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। यह संशोधन जो बेचनराम जी गुप्त ने पेश कर दिया उसके पहले मैं इंतिजार करती रही क्योंकि आपने जो सबेरे संशोधन पोस्टपोन कर दिये थे इसलिये मेरा नाम पहले आनेवाला था और उनका नम्बर मुझसे पीछे आना चाहिये था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे यह चीज हुई कि माननीय बेचनराम जी गुप्त ने यहां पर संशोधन पेश कर दिया। मैं सोचती हूं कि इसमें मेरा पहला हक था और उसमें जो संशोधन माननीय बेचनराम जी का है सही मानों में मैं नहीं समझती कि उसमें मेरे संशोधन का सारांश आता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---पांचवीं पंक्ति में शब्द "रहे हों" और "तो" के बीच में आप संशोधन चाहती हैं। बेचनराम जी का जो संशोधन था उसके अन्तर्गत शब्द रहे हों तक ही संशोधन था। वहां तक के शब्दों के एवज में उन्होंने एक हिस्सा परिवर्तित किया है। माननीय चन्द्रवती जी "रहे हों" के बाद संशोधन चाहती हैं तो इसलिये बाद जब चाहने का सवाल है तो यह श्री बेचन राम जी के संशोधन में संशोधन करके उसी के साथ आ सकता था यह एक तरीका हो सकता था परन्तु दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जैसा श्रीमती जी ने अख्तियार किया है कि उसे वे बाद में ले आई हैं। मेरी राय में तो यह संशोधन वैधानिक है और (श्रीमती चन्द्रवती से) आप कृपा करके भाषण जारी रखें।

श्रीमती चन्द्रवती---अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन को पेश करने से मतलब यह है कि इसमें जो हमारा जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास हुआ था उसमें भी यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत २९वीं धारा के अधीन औरतों को हक दिया गया था और उसके बाद जब अपनी सरकार हुई तो यह बिल पास कर दिया और जो हक औरतों को यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत दिये गये थे वह अधिकार उनको वैसे ही रहेंगे और उसके बाद फिर एक दफा १५७ है उसमें औरत शब्द की परि-

भाषा की गई। दफा १० के मातहत जो एक सब-सेक्शन २ है उसी में सिर्फ एक औरत शब्द आता था और उसके लिये परिभाषा १५७वीं धारा में रखी गयी। उसकी परिभाषा को बदल दिया गया। उसमे विडो, मैरिड, सेपरेटेड, परित्यक्ता और अविवाहिता ये चीजें रखी गई हैं। इसके मातहत यह हक दिया गया था कि मैरिड हो या अनमैरिड हो या डाईवोर्स्ड हो या विडो हो उसके नाम में अगर जमीन है तो वह किसी को सबलेट कर सकती है और उसको काश्तकार से एजेक्ट कराने का अधिकार था। मैं नहीं सोचती कि यह जो धारा २७वीं है, उसमें से उपधारा (२) सेक्शन १० को हटाकर कौन सा फायदा वह स्त्रियों के प्रति करने जा रहे हैं। जहां इस बिल को रखकर वह काफी फायदा जनता को पहुंचाना चाहते हैं वहां जो यह धारा संशोधित की जा रही है, उससे थोड़े से वर्ग का मतलब नहीं है। बाहर की जनता की आधी संख्या स्त्रियों की है। यह धारा उससे संबंधित है और मैं सोचती हूं कि यह महान् अन्याय का काम होगा कि ऐसी मैजारिटी को इस तरह से कुचल दिया जाय। जब हमने उनको पहले एक अधिकार दिया है तो हम उनका हक छीनकर आज कौन सा उनके साथ न्याय कर रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे केसेज हुये होंगे जिनमें एजेक्टमेंट हो इसके लिये लड़ाई हुई होगी और अब साल भर के बाद में एजेक्टमेंट न हो इसके लिये बाहर की जनता बहुत सा रुपया बरबाद करके पुनःऐसे मुकदमें लड़ेगी तो इतनी जल्दी ऐसा कानून बदल कर पास करने से क्या फायदा है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह जो दफा १५७ के मातहत आपने औरतों की परिभाषा की है उसमें आपने सब से पहले मैरिड औरतों के हक को काटा है, क्या मैं यह सोचने में संकोच करूं कि इसी तरह से आप अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो आदि के हक पर भी, उनके गले पर भी छुरा नहीं चलावेंगे मैं इसके विरोध में केवल इतना कह सकती हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस चीज पर दुबारा शांतचित्त से, न्याय के तराजू में रख कर फिर से सोचें कि इसका बाहर के बहुत बड़े स्त्री समाज पर क्या असर होगा। आज जिस समय आप एलेक्शन में खड़े होते हैं तो उस समय स्त्रियों के वोट भी उतने ही मूल्य रखते हैं जितने कि पुरुषों के, तो जिस समय उनके हकों का प्रश्न आता है तो उनके साथ अन्याय क्यों किया जाता है? क्या हमारा संविधान यह नहीं कहता कि स्त्रियां भी समानता की अधिकारी हैं और उनकी समानता का भंग होना भी उतना ही खतरनाक है। जितना कि किसी और वर्ग की समानता का भंग होना। आज देश में सब तरफ तरक्की की जा रही है और सब को तरक्की का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन एक औरत जात है जिसके ऊपर सदा ही अन्याय होता चला आया है और आज मैं देख रही हूं कि उसी परिपाटी को यहां भी निभाया जा रहा है। हमारे हाथों द्वारा आप लोग पोषण पाकर और फिर इस प्रकार बड़े होकर हमारे ही गले पर छुरी चलाने के लिये तैयार हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह चाहती हूं कि यह धारा २१ संशोधित न हो और उसमें से यह १०वीं धारा की सब-सेक्शन २ न निकाली जाय वरन् इसको जैसी कि यह मौजूदा थी जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में भी और पहले से जो मौजूद है वैसे ही रखी जाय। बस, मेरा इतना ही नम्र निवेदन है और मैं चाहती हूं कि माननीय राजस्व मंत्री दुबारा इसके ऊपर फिर सोच कर अपनी कोई राय कायम करें।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जब कोई माननीया महिला तकरीर करें तो वैसे ही जवाब देना मुश्किल होता है और फिर वकालत पढ़ रही हों तो और मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब बिगड़ कर बोलें तो जवाब देना बिलकुल ही मुश्किल हो जाता है।

वैसे श्रीमन्, माननीया चन्द्रवती जी ने काफी भावनाओं से काम लिया, जजबात से काम लिया। और इसमें भी कोई शिकायत उन से नहीं है क्योंकि उनसे यह उम्मीद भी की जाती है लेकिन अगर जरा वह गौर करेंगी तो मैं समझता हूं कि उन्हें यह संशोधन वापस ले लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भेद की बात नहीं कह रहा हूं जब मैं यह कहूं कि माननीया चन्द्रवती जी काफी, कई रोज से मुझको यह समझाने की कोशिश में रहीं लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया। आप यह चाहती हैं कि जिस स्त्री को उत्तराधिकार में खाता मिला हो उसके

[श्री चरण सिंह]

काश्तकारान जो हैं वह भी बेदखल हों। लायबिल टु एजेक्टमेंट हों, उनकी भी बेदखली हो जाय। अब स्त्रियों को जो उत्तर अधिकार में हमारे यहां खाता मिलता है वह हैं विधवा मां, बेटी, पुत्रबधू और बहिन। यह हैं पांच जिनको उत्तराधिकार में खेत मिलता है। अब जो विधवा है, वह तो पहले ही १५७ (१) में जो असमर्थ गिनाये हुये हैं उनमें आ गई। यानी मृतक की विधवा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मां को जो मिलता है वह बाप के बाद मिलता है। अर्थात् मां को जब मिलेगा तो वह विधवा होगी, वह भी उसमें आ गई। तीसरी है बेटी, चौथी है पुत्रवधू। पुत्रबधू भी जो है उसको भी तभी मिलेगा जब कि पुत्र नहीं रहेगा। वह भी विधवा होगी। अब रही बेटी और बहन। तो यह हैं कि जिनको उत्तराधिकार में खेत मिल सकता है और विधवा न हों। परमात्मा न करे, मां, बाप के सामने तो सधवा ही रहे। तो देखना यह है कि बेटी को या बहन को अगर जमीन मिली हो और इस प्रकार जमीन लगान पर उठा दी हो तो आया उसको शिकमी को बेदखल करने का अधिकार होना चाहिये या न होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमने यह रखा है कि ऐसा आदमी जो खेती न कर सकता हो वह अपनी जमीन बेदखल करा ले। लड़की पैदा हुई, अनमैरीड हुई मैं कह रहा हूं चाहे बेटी हो चाहे सिस्टर हो, अगर अनमैरिड होने की सूरत में उसको जमीन मिल गई तो अपनी जमीन लगान पर वह उठा सकती है, तो वह तो बेदखल कर ही सकती है क्योंकि १५७ में आती है अनमैरिड। अब हो गई मैरिज। आप यह चाहती हैं कि मैरिज हो गई हो और सधवा हो, वह अपनी जमीन बेदखल करा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं बात को जरा दुहरा देना चाहता हूं कि १५७ की उपधारा (१) में पहले आचुका है। बेचन राम जी के संशोधन में जिक्र आ चुका है। विवाहिता स्त्री जो पृथक हो गई हो, खटपट हो गई हो मियां बीबी में, तब वह भी अपनी जमीन लगान पर दे सकती है तो विधवा हो गईं, अनमैरिड हो गईं और जो पृथक हो गई हों वह हो गई। अब सवाल रह जाता है बेटी और बहन जो सधवा हैं वह अपनी जमीन अगर लगान पर देती हैं तो वह अपने काश्तकार को बेदखल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें चन्द्रवती जी से मतभेद है। जिन लोगों को हमने अपनी जमीन बेदखल करने का अधिकार दिया है वह है जिनके पास साधन नहीं थे, जो खेती खुद नहीं कर सकते थे। नाबालिग को, अपाहिज को, अन्धे को, जेलखाने गये हुए को या अगर बरेली या आगरे के मेंटल हास्पिटल में हों, जड़ हो या बिल्कुल गायब हो, उनके साथ में स्त्रियों को हमने रखा। हम उनको रखना चाहते हैं, यानी असमर्थ लोगों की एक सूची है। हम सबको मान लेते हैं विधवाओं को भी और उनको भी जिनकी खटपट हो गई हो अपने पति से या जो अकेली हों यानी जिसकी शादी नहीं हुई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि वह पति निकम्मा होगा जो अपनी स्त्री की मिली जमीन पर खेती नहीं कर सकता है। इसलिये कोई स्त्री जिसका पति जिन्दा है उसको इस तरीके से अधिकार देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इस तरीके से कुछ लोग बेदखल हो सकते हैं और अगर हम यह हक उनको नहीं देते हैं तो इसमें कोई अन्याय नहीं है। यदि पति के पास जमीन थोड़ी है और उसकी पत्नी जमीन लाई है तो वह काश्त करेगा या कोई और करेगा यानी पत्नी पहले अपने पति को काश्त करने के लिये जमीन देगी या किसी और को दे देगी।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये श्रीमती चन्द्रवती जी से यह पूछना चाहता हूं कि यदि पति के पास भूमि है तो उसको पहले पति जोतेगा या गैर। गैर को तो जमीन जब दी जायगी जब कि दोनों के काबू के बाहर जमीन होगी यानी ज्यादा जमीन होगी तो ऐसे लोगों के शिकमियों को बेदखल करने का हक देना अन्याय होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिये जैसा कि मैंने अर्ज किया मेरी टक्कर भावनाओं से है। अगर उन्होंने फिर से गोद वगैरा का जिक्र कर दिया तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है और सभी अपनी मां-बहिनों की गोद में खेले हैं। जो जमीन ननहाल से आई वह पति या बेटे के जोतने के लिये है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, व्याख्यान देने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं उस संबंध में जो आपने अपनी विद्वता पूर्वक रूलिंग श्री द्वारिका

प्रसाद जी मौर्य के व्यवस्था के प्रश्न पर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि माननीय राजस्व मंत्री जी और हम लोग श्रीमती चन्द्रवती का विरोध करने में एक साथ हो रहे हैं। श्रीमती चन्द्रवती जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा वह भावनाओं से संबंध रखता है। उसकी उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। लेकिन मुझे उनकी तकरीर को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह कैसे उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं और आश्चर्य मुझे क्यों हुआ यह मैं आपको बतला देना चाहता हूं यहां दो प्रकार की स्त्रियां हैं जिनका इस विधेयक से संबंध है। एक तो सीरदार की स्त्रियां हैं और दूसरी पुराने जमींदारों की स्त्रियां हैं। २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले या कम देने वाले जहां तक सीरदार की स्त्रियों का सवाल है उसके लिये तो माननीय राजस्व मंत्री जी का व्याख्यान लागू होता है, लेकिन पहले जमाने के जो जमींदार थे वह अब भूमिधर हो गये हैं जो २५० रुपये या कम लगान देते हैं उनकी स्त्रियों के लिये उल्टा पड़ता है। राजस्व मंत्री पहले के जमींदारों की स्त्रियों को उनके पति के जिन्दा होते हुये इस बात का अधिकार दे रहे हैं कि बेदखली हो।

श्री चरणसिंह--नहीं दे रहे हैं। यही मेरी बदकिस्मती है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप जरा समझा दें।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि श्री बेचनराम जी का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसी में बेदखली के अधिकार मिले हैं उन असमर्थता वाले छोटे जमींदार या काश्तकारों को जिनकी असमर्थता का जिक्र १५७(१) में किया गया है। उसमें विधवा या अविवाहिता आजाती हैं, उन्होंने यदि अपनी जमीन काश्त पर उठाई है तो उसकी बेदखली हो जायगी। लेकिन आप चाहती हैं कि जिनके पति जिन्दा हैं उनकी भी बेदखली हो जाय अगर उन्होंने बहंसित लड़की, या बहिन के जमीन दी तो मेरा विरोध उसमें बिलकुल नहीं है। इसी में माननीया चन्द्रवती चाहती हैं कि १५७(१) वाले में पति वाली पत्नियां और जोड़ दी जायं। मैं कहता हूं कि कमाने वाला और हल जोतने वाला उनका पति मौजूद है तो उनको जमीन देने की क्या जरूरत थी?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शंका मेरे मन में थी कि जहां तक धारा १० की (२)का सवाल था उसमें जो असमर्थतायें वर्णित की गयीं वह २५० के ऊपर की थीं और चूंकि वह संशोधन जल्दी जल्दी में आया और माननीय राजस्व मंत्री की बात मान लेता हूं, अगर वह सही है तब तो मैंने गलत बात कही। अब फिर मुझे वही दलीलें दोहरानी पड़ेंगी जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहीं और मैं उनको दोहराना मुनासिब नहीं समझता। मैं यह कहूंगा कि माननीया चन्द्रवती के संशोधन मान लेने से एक गलत बात हो जायगी, क्योंकि जिन स्त्रियों के पति जिन्दा हों अगर उनको जमीन विरासत में मिलती है और खुद खेती नहीं करतीं तो उनको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। अगर यह संशोधन होता कि वह ल्यूनैटिक हैं या किसी असमर्थता की श्रेणी में हैं तब भी इस पर गौर किया जा सकता था। तो उनको शिकमी पर उठाने का सवाल पैदा नहीं होता। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि स्त्री के लिये इनको तो जरा दया आ जाती है कि पति जिन्दा हो तब भी उनको हक दिया जाय कि शिकमी पर दे सकें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जिसमें स्त्री नहीं होती है, न्याय की दृष्टि से ऐसे लोग होते हैं जो बेजमीन के हैं या जिनके पास जमीन कम है, उनके साथ भी रियायत करने का प्रश्न है। मैं तो माननीया चन्द्रवती से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस कर लें और सबके साथ न्याय हो।

श्री कमलासिंह--मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। यह जो संशोधन श्रीमती चन्द्रवती ने पेश किया है उसमें यह दिया हुआ है कि यदि क्षेत्रपति स्त्री हो और उसको खाता उत्तराधिकार में मिला हो "उत्तराधिकार" शब्द यहां दिया हुआ है। तो १५७ में तो वही

[श्री कमला सिंह]

लोग आते हैं जो मेंटिनेंस एलाउन्स के लिये जमीन पाते हैं, उत्तराधिकार के लोग उसमें नहीं आने चाहिये और जब उत्तराधिकार का संशोधन है तो मेरा खयाल है कि यह १५७ के अन्दर नहीं आ सकता।

श्री चरणसिंह--मैं संशोधन के खिलाफ ही हूं, लेकिन जो कमला सिंह जी ने कहा है वह बिलकुल ही इर्रेलेवेंट है, उससे इसका वास्ता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--आप बतलाइये कि क्यों इर्रेलेवेंट है ?

श्री चरण सिंह--१५७ में जो असमर्थतायें गिनायी गयी हैं उनमें यह मेंटिनेंस वाली बात आपने कहां से भर दी। उसमें यह है ही नहीं। उसमें यह शब्द है कि "ऐसा भूमिधर सीरदार या धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (क) (५) में उल्लिखित भरण-पोषण के बदले भूमि रखने वाला असामी"।

श्री अध्यक्ष--यह तो १५७(१) में स्पष्ट है कि "ऐसा भूमिधर, सीरदार या इत्यादि।' मैं इसको अवैध नहीं करार देता हूं। वह वैध है।

श्री चरणसिंह--इनका प्वाइन्ट यह था कि केवल १५७ (१) ट्रांस्फजेशन के लिये लागू हो, लेकिन यह तो सीरदार और भूमिधर के लिये भी लागू है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीया चन्द्रवती जी ने अमेंडमेंट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने जो भाषण दिया उसको सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि वह तो सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर हैं और मैं समझता था कि वह इस बात के बड़े हामी हैं कि स्त्रियों को कुछ इंडिपेंडेंस होनी चाहिये चाहे वे शादी शुदा हों तब भी। दूसरी बात यह है कि जिन स्त्रियों की शादी हो गयी है उनमें से जो अपने पति से अलग हो गयी हैं उनको तो यह अधिकार होगा कि वे अपनी जमीनें उठा दें। तब इसके माने यह हुये कि एक तरह से हम इस बात को इनकरेजमेंट देंगे कि यदि स्त्री चाहती है कि वह जमीन काश्त पर उठा सके तो अपने पति से झगड़ा करे और उससे अलग हो जाये यह फेमिली लाइफ के लिये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये अगर यह अधिकार विवाहित स्त्रियों को भी दे दिया जाय दो बड़ा अच्छा होगा । तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जहां स्त्री अपने पति के साथ रहती हो मगर वह पति बेकार हो और वह स्त्री उससे अलग न होना चाहती हो। तो उसके लिये इस तरह का कोई प्राविजन आपके ऐक्ट में नहीं है कि वह अपनी जमीन को उठा सके। चौथी चीज यह है कि पहली मर्तबा श्रीमती चन्द्रवती जी ने एक अमेंडमेंट पेश किया है इस हाउस के अन्दर। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी एक नाते से कि एक बहिन ने उचित मांग की है इस हाउस को थोड़ा उदार होना चाहिये । अन्त में श्रीमती चन्द्रवती जी ने कहा कि स्त्रियों के आधे वोट हैं और अगर अगले आम चुनावों में हम लोग आना चाहते हैं तो इस तरह के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिये सो श्रीमन्, यह धमकी भी अपनी जगह एक माने रखती है ।

श्री अध्यक्ष--यह विवाद में नहीं आ सकता ।

श्री नवल किशोर--मैं इसको वापस लेता हूं। अन्त में मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कहीं उनको ध्यान में रखते हुये यह सदन इस अमेंडमेंट को अवश्य मंजूर कर लेगा ।

श्री राजनारायण--माननीय नवल किशोर जी को सुना और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। माननीय राजस्व मंत्री जी को सुनने के बाद, श्रीमन्, हमको रहीम याद आ गये। "फूल्यो अनफूल्यो भयो गंवई गांव गुलाब।" मालूम होने लगा कि चन्द्रवती जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और जब नवल किशोर जी

उसके समर्थन में खड़े हुये तब मेरी बड़ी परेशानी बढ़ी और फिर रहीम ही याद आये। "चले जाव यहं को करे हाथिन को व्यापार।" दूसरा मैं नहीं कहूंगा। और चन्द्रवती जी का भाषण जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लगता था मानो कोई अपने अधिकार को सचेत होकर देख ही नहीं रहा है। तो तीनों बुद्धि विभ्रम जन भ्रान्ति में एक न एक प्रकार से विचरित होते दिखायी पड़े। माननीय राजस्व मंत्री का जवाब सुनते हुये मुझे सचमुच बड़ा दुःख हुआ मानो कोई स्त्रैण पुरुष कोई सफ़ाई देता हो कि वह पुरुष निकम्मा हो गया जो अपनी स्त्री की जमीन को पाकर उसमें खेती न करे। यही उनकी शब्दावली थी। सीधी सादी बात इसमें यह देखनी चाहिए कि स्त्री को स्वतः अपने को अपने रक्षार्थ तैयार रहना चाहिए। कानून के अन्दर स्त्री के लिए कोई गुंजायश हो या न हो, उससे उसे समकक्ष हक मिलता है या नहीं। माननीया चन्द्रवती जी इस कानून को जिस तरह से लागू करवाना चाहती हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके हक की रक्षा इस संशोधन से नहीं होगी। इसीलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। क्योंकि स्त्रियों को परमुखापेक्षी बनाने के लिए माननीया चन्द्रवती जी हमेशा प्रस्तुत हैं, और इस समय वह जिस पार्टी से सम्बन्धित हैं उसमें भी यही परिपाटी है कि आज तक उसकी ओर से स्त्री और पुरुष को समकक्ष समझ कर कोई विधेयक प्रस्तुत ही नहीं हुआ। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से और माननीया चन्द्रवती जी से निवेदन करूंगा और जरा मैं नवलकिशोर जी को बता दूं कि इस सम्बन्ध में सोशलिस्ट कंसेप्शन क्या है। आज अगर अपने मुल्क में देखा जाय तो स्त्रियों का बड़ा शोषण है। जो गरीब घर हैं उसमें भी जो पुरुष हैं उस घर में जो भी साधन हैं वह ऊंचा हिस्सा उसका ले लेता है और स्त्री को उसका नीचा हिस्सा मिलता है।

श्री अध्यक्ष--आप जरा असंगत हो रहे हैं।

श्री राजनारायण--मैं इसी पर आ रहा हूं। अगर माननीया चन्द्रवती जी अपने संशोधन द्वारा स्त्रियों के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती हैं तो इस संशोधन द्वारा उनके अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार होगी। माननीय राजस्व मंत्री कहेंगे कि जिस तरह से पुराना ढांचा चला आ रहा है और स्त्रियों को पुरुषों की गुलाम रखने की जो मनोवृत्ति इस सरकार की है उसके अनुसार माननीय राजस्व मंत्री जी का कहना सही है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि हमने विधवा को भी, लड़की को भी, सुरक्षित कर दिया। वह सुरक्षा तो विधेयक के अन्दर है ही। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर माननीया चन्द्रवती जी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये लालायित और दत्तचित्त हैं तो चन्द्रवती जी को कोई दूसरा विधेयक लाना चाहिए। इस संशोधन से जो किसानों के हक में, जमीन जोतने वालों के हक में जो कुछ बातें की जा रही हैं उस पर भी इस संशोधन द्वारा कुठाराघात न करें। इसलिये मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं। मैं माननीया चन्द्रवती जी के संशोधन का विरोध करूं यह मैं नहीं चाहता था। खैर, जाने दीजिये। नाम तो पुरुषों के भी हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए वह जो भी कदम उठाएंगी मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर समय पग-पग लड़ने के लिये तैयार हैं।

*__श्री अवधेश प्रताप सिंह__--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय को सुनता रहा और माननीया चन्द्रवती के सामने उनको बहुत सी बातों में कठिनाइयां दिखाई दीं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि माननीया चन्द्रवती से बहुत कुछ अलग होते हुए भी मुझे कुछ कठिनाइयां उनसे अधिक दिखाई दीं जब कि मैं उनकी बातों का जवाब देने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

के लिए खड़ा होता हूं। मैं माननीय राजनारायण जी को सुनता रहा। मैं समझा कि बिहारी या रत्नाकर की जगह वह इस सदन में ले रहे हैं और इस संशोधन के साथ उनका क्या कहना था उसको समझने का प्रयत्न करने के उपरान्त भी असमर्थ ही रहा। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत कुछ शिक्षा और दीक्षा दी, परन्तु फिर भी वह अग्रसर न हो सके और अन्त में उन्हें अपना स्थान ग्रहण करना पड़ा। श्रीमान्, जो मुझे इस समय कठिनाई हो रही है माननीय मंत्री जी को समझाने में वह यह है कि जहां पर आज प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता कांग्रेस के साथ खड़े होकर चन्द्रवती जी का विरोध कर रहे हैं वहां मैं यह समझता हूं कि मैं उनके इस बाहुबल की सराहना नहीं कर सकता। अगर स्त्रियों के मुकाबले में ये दोनों इकट्ठा होते हैं तो इस भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं हो सकता। स्त्रियों के लिये हर जगह यह सोच लेना कि चूंकि उनके पति हैं इसलिये उनको कोई विशेषाधिकार न होना चाहिये यह मैं समझता हूं कि अनुचित है। दफा २ में देखा जाय, दफा १० की उपधारा (२) में शब्द केवल "औरत" है। १५७-ए में अवश्य यह व्याख्या की है। अब विधवा हो या सधवा माननीया चन्द्रवती जी अपने संशोधन द्वारा यह चाहती हैं कि उनको इस बात का अधिकार रहे कि वह बेदखल कर सकें या अपनी भूमि सबलेट कर सकें या शिकमी उठा सकें तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें सरकार को क्या विशेष आपत्ति हो सकती है। किसी स्त्री को कोई जायदाद उत्तराधिकार में मिलती है, अक्सर देखने में आया है कि उसका पति उसका प्रबन्ध करने के लिये तत्पर नहीं होता, उसे कोई इच्छा या लगन नहीं होती उनको फिर यह अधिकार क्यों न दिया जाय। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को हिन्दू कोड बिल के अनुसार डाईवोर्स का अधिकार मिल रहा है जो कि भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, जिसे कि आप भी, श्रीमन् जानते होंगे। उस अवस्था में उत्तराधिकार में जो सम्पत्ति मिली है उसका क्या होगा। बहुत सी स्त्रियां सधवा होते हुए भी उनके पति जो जायदाद उनको उत्तराधिकार में मिली होती है उसके लिये इच्छुक नहीं होते और उसका प्रबन्ध करने को तैयार नहीं होते। ऐसी अवस्था में माननीया चन्द्रवती जी ने जो यह संशोधन इस माननीय सदन के सम्मुख उपस्थित किया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस दल या उस दल से इसका विरोध क्यों होता है और माननीय मंत्री जी को उलझन और परेशानी क्यों है जो इस कोने से उस कोने तक दौड़ते नजर आ रहे हैं। यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है और इसे स्वीकार करके दुनिया को दिखाना चाहिये कि स्त्रियों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिये यह सरकार तैयार है और उनके प्रति सहृदय है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी में भी कुछ स्त्रियों के गुण आ गये हैं और उनमें वह गुण प्रबल हैं, नहीं तो वह कभी इस प्रकार से न कहते और न करते।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९२ पर।)

सूची

१—विनायक-चांफी मोटर रोड,
२—भल्ला रामगढ़ से तल्ला रामगढ़ तक मोटर रोड।
३—सरगखेत-पहाड़ पानी मोटर रोड।
४—मानाधेर-ओखाल खंडा मोटर रोड।
५—डुंगरी-दुरगापी पाल-कुंडल-चोर गलिया मोटर रोड।
६—बीजापुर-ओखाल दुगां मोटर रोड।
७—हल्द्वानी-टांडा पत्थर चट्टा मोटर रोड।
८—किच्चा-सितारगंज मोटर रोड।
९—दोरहा-बाजपुर-कालाधुन्गी-मंगोली हिस्सा दोराहा से नैनीताल सड़क का।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित bridle path के लिये भी सहायता दी जा रही है:—

१—भुवाली-बच्चीखेत रोड।
२—विटलघाट-खेरना रोड।
३—चरा-पटकोट रोड।
४—भोरसा-पिनराऊ रोड।
५—चौरलेक-जोशयूरा-महाटोली रोड।
६—मुक्तेश्वर-दारीमा रोड
७—जोशयूरा-कछला कोट रोड।
८—गलनी-खान सुइन रोड।
९—कालागार-खान सुइन रोड।
१०—चामा-धर्मगढ़ रोड।
११—कुन्टा-पटलोट रोड।
१२—दालकन्या-अमझर रोड।
१३—कोन्टा-लुगार रोड।
१४—अनुथी-घहना रोड।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

घोसी सामुदायिक विकास केन्द्र, आजमगढ़ में बनाये जाने वाले भवनों की सूची

	संख्या	लागत रु०
अ--कर्मचारियों के लिये मकान--		
१--डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जिक्यूटिव आफिसर का क्वार्टर ..	१	५,०००
२--डिप्टी ग्रुप लेविल वर्कर्स के लिये क्वार्टर्स	७	४,००० फी क्वार्टर
३--गाड़ियों के लिये गराज ..	१	२,०००
४--कारखाने की इमारत ..	१	५,०००
ब--चिकित्सालय का प्रसार--		
१--आपरेशन थियेटर ..	१	२,४७५
२--लेबोरेटरी और स्वास्थ्य केन्द्र के लिये चिकित्सालय के मुख्य भवन का प्रसार	१	६,१२५
३--सेनिटरी इन्सपेक्टर और हेल्थ विजिटर के लिये क्वार्टर	२	४,००० फी क्वार्टर
४--मरीजों के लिये १२ पलंगों का वार्ड	१	६,८५०
स--पशु-अस्पताल--		
१--अस्पताल की मुख्य इमारत ..	१	६,५२५
२--सांडों के लिये शेड ..	४	२,५००
३--स्टड रैम सेन्टर ..	१	१,४५०
४--बीमार पशुओं के लिये वार्ड ..	१	१,४७५
५--वेटेरिनरी अफसर के लिये क्वार्टर ..	१	४,०००
६--चौकीदार के लिये क्वार्टर ..	१	१,०००

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर)

सूची

भुवाली नगर विकास के लिये जिला नियोजन समिति के पास निम्नांकित सुझाव नगरपालिका द्वारा प्राप्त हुये हैं :—

(अ) भुवाली में एक पशु चिकित्सालय तथा एक जन चिकित्सालय स्थापित किया जाय ।

(ब) नगर में जल तथा ड्रेनेज की व्यवस्था की जावे ।

(स) भुवाली में स्थित फौजी पड़ाव नगरपालिका को हस्तान्तरित किया जावे जिससे इस स्थान पर बच्चों का पार्क, खेल का मैदान तथा स्कूल आदि स्थापित किया जा सके ।

(द) नगर तथा ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश से भुवाली के सभी पर्वतीय बन-विहीन की गई भूमि में आदर्श मकान, सड़क तथा ड्रेनेज आदि निर्मित करने के लिये प्लान तैयार कराया जावे ।

(क) भुवाली में कोई उपयुक्त गृह उद्योग-धंधा स्थापित किया जाय ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

३१ जुलाई, सन् १९५४ तक गोरखपुर जिले के निचलौल राष्ट्रीय प्रसार सेना केन्द्र में किये गये कामों की सूची

१—कच्ची सड़क बनाई गई	..	१२० गज
२—कच्ची सड़क की मरम्मत	..	२ मील ६ फ० १६० ग०
३—नई पुलियां बनाई गईं	..	४
४—सिंचाई के पक्के कुएं बनाये गये	..	८
५—पुराने कुओं की मरम्मत	..	९
६—बंधियां	..	२
७—नये तालाब खोदे गये	..	१
८—पुराने तालाब गहरे किये गये	..	११४
९—सामुदायिक उद्यान	..	१
१०—नये पौधघर खोले गये	..	१
११—बीच भंडार खोले गये	..	२
१२—पानी पीने के नये कुएं बनाये गये	..	१३
१३—हाथ से चलाये जाने वाले पानी के नल	..	६
१४—निर्धारित पैमाने के अनुसार बनाये गये सोख्ते (sokagepits)	..	११
१५—सड़क की लालटेनें	..	३
१६—खाद के गड्ढे खोदे गये	..	११४
१७—अखाड़े बनाये गये	..	१६
१८—हरिजनों के लिये हाथ से चलाने वाले नल लगाये गये	..	१
१९—पानी पीने के कुएं बनाये गये	..	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर।)

जिला गोरखपुर में भटहट कम्युनिटी प्रोजैक्ट में ३१ जुलाई सन् १९५४ तक होने वालों कामों की सूची।

१—अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गई	..	४,३०१	एकड़
२—अच्छे किस्म के बीज जो बांटे गये	..	१७,६२५	मन
३—डिमान्स्ट्रेशनों की संख्या	..	२,०१५	
४—बांटी गई रासायनिक खाद	..	३,७२३	मन
५—हरी खाद के बीज जो बांटे गये	..	८३७	मन
६—नए बागीचों का अतिरिक्त क्षेत्रफल	..	३७	एकड़
७—लगाये गए फल के दरख्तों की संख्या	..	६,५६०	
८—लगाये गए ईंधन के पेड़ों की संख्या	..	११,२८५	
९—फल और तरकारियों की पौधशालायें जो खोली गईं	..	३	
१०—तरकारियों के बीज बांटे गये	..	१३३	पौंड
११—बांटे गये आलुओं की मात्रा	..	३१९	मन
१२—अतिरिक्त क्षेत्र जहां तरकारियां बोई गईं	..	१६१	एकड़
१३—नया क्षेत्र जिसे कृषि योग्य बनाया गया	..	६	एकड़
१४—अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या जो बांटे गए			
(अ) गायें और भैंस	..	४६	
(ब) सांड	..	१	
(स) दूसरे मवेशी	..	३९	
१५—इलाज किये गये पशुओं की संख्या	..	९,२०३	
१६—मवेशी जिनके सुई और टीके लगाये गए	..	४८,७५८	
१७—बालिग जिन्हें साक्षर बनाया गया	..	१,५७३	
१८—पुस्तकालय और वाचनालय जो खोले गए	..	३	
१९—सामुदायिक और मनोरंजन केन्द्र जो खोले गये	..	७४	
२०—बनाई गई इमारतों की संख्या	..	३३	
२१—कच्ची सड़कें जो बनाई गईं	..	१३ मील १	फर्लांग
२२—कच्ची सड़कों की मरम्मत	..	१४ मील	
२३—सैनिटरी कुओं का निर्माण (हाथ पम्प को सम्मिलित करते हुये)	..	५०	
२४—व्यक्तियों की संख्या जिनके सुइयां और टीके लगाये गये	..	९,४६०	
२५—उन गांवों की संख्या जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई		४६	
२६—ईंटों के भट्ठे	..	६	
२७—बनाई गई ईंटों की संख्या	..	६० लाख	
२८—जनता की सहायता का कुल मूल्य (रुपयों में)	..	३८,६०६ रु०	
२९—नकद और दूसरे चन्दे	..	४१,०५१	रुपये

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

जिला आजमगढ़ के घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक में ३१ जुलाई, १९५४ तक होने वाले मुख्य कार्यों की सूची--

१--अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गई ..	७,६५३	एकड़
२--अच्छे किस्म के बीज जो बांटे गये	७,१३६	मन
३--डेमन्स्ट्रशनों की संख्या	३,०९२	
४--बांटी गई रासायनिक खाद	२,७८३	मन
५--हरी खाद के बीज जो बांटे गये	४५९	मन
६--नए बागीचों का अतिरिक्त क्षेत्रफल	१८	एकड़
७--उगाये गये फल के पेड़ों की संख्या	१२,०१०	
८--लगाये गये ईंधन के पेड़ों की संख्या	१,५२७	
९--फल और तरकारियों की पौधशालाएं जो खोली गईं ..	५	
१०--तरकारियों के बीज जो बांटे गये	६०	पौंड
११--अतिरिक्त क्षेत्र जहां तरकारियां बोई गईं ..	३९	एकड़
१२--नया क्षेत्र जिसे कृषि योग्य बनाया गया ..	४	एकड़
१३--अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या जो बांटे गए--		
(अ) गायें और भैंस	१२	
(ब) सांड	१५	
(त) दूसरे पशु	४	
१४--इलाज किये गये पशुओं की संख्या	१८,२९२	
१५--मवेशी जिनके सुई और टीका लगाया गया ..	६,८९२	
१६--बालिग जिन्हें साक्षर बनाया गया	२,०१८	
१७--पुस्तकालय और वाचनालय जो खोले गये ..	४६	
१८--सामुदायिक और मनोरंजन केन्द्र जो खोले गये ..	२०	
१९--बनाई गई इमारतों की संख्या	२८०	
२०--कच्ची सड़कें जो बनाई गईं	२८ मील ४ फर्लांग	
२१--कच्ची सड़कें जिनकी मरम्मत की गई ..	३३ मील	
२२--सैनिटरी कुओं का निर्माण (हाथ पम्प को सम्मिलित करते हुये)	४५	
२३--व्यक्तियों की संख्या जिनके सुइयां और टीके लगाये गये	२५,८६७	
२४--उन गांवों की संख्या जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	२८	
२५--ईंटों के भट्ठे	५	
२६--बनाई गई ईंटों की संख्या	७४	लाख
२७--जनता की सहायता कुल मूल्य (रुपयों में) ..	१,७०,२६८	रुपये
२८--नकद और दूसरे चन्दे	१,०६,६२६	रुपये

अध्यक्ष सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

सामूहिक विकास केन्द्रों की विवरण सूची

जिले का नाम	सामूहिक विकास योजना तथा केन्द्र का नाम	केन्द्र खोले जाने की तारीख
१—देहरादून	चकराता	अक्टूबर, १९५३
२—सहारनपुर	देवबन्द	अक्टूबर, १९५३
३—मुजफ्फरनगर	..	..
४—मेरठ	..	..
५—बुलन्दशहर	..	..
६—अलीगढ़	..	..
७—मथुरा	..	..
८—आगरा	अकौला	अक्टूबर, १९५३
९—मैनपुरी	सुल्तानगंज	अक्टूबर, १९५२
१०—एटा	अलीगंज	अप्रैल-मई, १९५३
११—बरेली	..	..
१२—बिजनौर	..	..
१३—बदायूं	उसांवां	अक्टूबर, १९५३
१४—शाहजहांपुर	(उसांवा सम्मिलित)	,, ,,
१५—मुरादाबाद	..	..
१६—पीलीभीत	..	..
१७—रामपुर	..	..
१८—फर्रुखाबाद	मुहम्मदाबाद	अप्रैल-मई, १९५३
१९—कानपुर	..	..
२०—फतेहपुर	..	..
२१—इलाहाबाद	फूलपुर	अक्टूबर, १९५३
२२—बांदा	..	..
२३—हमीरपुर	..	..
२४—झांसी	१—मोठ	अक्टूबर, १९५२
	२—गुरसराय	अप्रैल-मई, १९५३
	३—मौरानीपुर	अप्रैल-मई, १९५३
२५—जालौन	..	..
२६—बनारस	..	..
२७—मिर्जापुर	दुद्धी	अक्टूबर, १९५३
२८—जौनपुर	..	..
२९—गाजीपुर	कासिमाबाद	अक्टूबर, १९५२
३०—बलिया	रतनपुर	अक्टूबर, १९५२
३१—गोरखपुर	भठाट	अक्टूबर, १९५२
३२—बस्ती	नागर	अक्टूबर, १९५३
३३—देवरिया	१—कसिया	अक्टूबर, १९५२
	२—सलीमपुर	अप्रैल-मई, १९५३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम		सामूहिक विकास योजना तथा केन्द्र का नाम	केन्द्र खोले जाने की तारीख
३४—नैनीताल	..	..	..
३५—अल्मोड़ा ..	..	१—गरुड़ बैजनाथ	अक्टूबर, १९५२
		२—कपकोट	अप्रैल-मई, १९५३
३६—आजमगढ़ ..	..	घोसी	अक्टूबर, १९५२
३७—पौड़ी गढ़वाल	..	धराली	अप्रैल-मई, १९५३
३८—टेहरी गढ़वाल	..	भिलंगाना	अक्टूबर, १९५३
३९—लखनऊ ..	..	..	..
४०—उन्नाव ..	..	..	..
४१—रायबरेली ..	..	..	..
४२—सीतापुर ..	..	..	..
४३—फैजाबाद	..	भीकापुर	अक्टूबर, १९५२
४४—गोंडा ..	..	..	..
४५—बहराइच ..	..	.	..
४६—सुल्तानपुर	..	१—कूरेभार	अप्रैल-मई, १९५३
		२—जैसिंहपुर	अप्रैल-मई, १९५३
४७—प्रतापगढ़ ..	..	..	..
४८—बाराबंकी ..	..	..	..
४९—हरदोई ..	..	..	..
५०—खीरी ..	..	..	..
५१—इटावा* ..	..	..	..

उत्तर प्रदेश में खोले गये राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों की विवरण सूची

जिले का नाम		राष्ट्रीय प्रसार योजना तथा केन्द्र का नाम	केन्द्र खोले जाने की तारीख
१—देहरादून ..	..	..	..
२—सहारनपुर	..	..	..
३—मुजफ्फरनगर	..	पूरकाजी	जनवरी, १९५४
४—मेरठ ..	..	चिरौरी	अक्टूबर, १९५३
५—बुलन्दशहर	..	ऊंचागांव	जनवरी, १९५४
६—अलीगढ़ ..	..	टप्पल	जनवरी, १९५४
७—मथुरा ..	..	गोबर्धन	जनवरी, १९५४
८—आगरा ..	..	१—बाह	अक्टूबर, १९५३
		२—खेरागढ़	जनवरी, १९५४
९—मैनपुरी ..	..	..	..
१०—एटा ..	..	..	..
११—बरेली ..	..	भोजीपुरा	जनवरी, १९५४
१२—बिजनौर ..	..	अफजलगढ़	जनवरी, १९५४
१३—बदायूं ..	..	..	..
१४—शाहजहांपुर	..	..	..

* इटावा में पाइलेट प्रोजेक्ट खोला गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम		राष्ट्रीय प्रसार योजना तथा केन्द्र का नाम	केन्द्र खोले जाने की तारीख
१५—मुरादाबाद	..	जोया	जनवरी, १९५४
१६—पीलीभीत	..	पीलीभीत	जनवरी, १९५४
१७—रामपुर ..	..	सैदनगर	जनवरी, १९५४
१८—फर्रुखाबाद	..	..	..
१९—कानपुर ..	..	घाटमपुर	जनवरी, १९५४
२०—फतेहपुर ..	..	बहुआ	जनवरी, १९५४
२१—इलाहाबाद..	..	१—कुराऊं	अक्टूबर, १९५३
		२—कड़ा	जनवरी, १९५४
		३—चाइल खास	मार्च, १९५४
२२—बांदा ..	..	खुरन्द	अक्टूबर, १९५३
२३—हमीरपुर	..	मौदहा	जनवरी, १९५४
२४—झांसी ..	..	..	..
२५—जालौन ..	..	ऐट	जनवरी, १९५४
२६—बनारस ..	..	१—आराजी लाईन्स	जनवरी, १९५४
		२—औराई	जनवरी, १९५४
२७—मिर्जापुर ..	..	..	..
२८—जौनपुर ..	..	बादशाहपुर	अक्टूबर, १९५३
२९—गाजीपुर ..	..	..	..
३०—बलिया ..	..	..	..
३१—गोरखपुर ..	..	निचलौल	अक्टूबर, १९५३
३२—बस्ती ..	..	भनवापुर	अक्टूबर, १९५३
३३—देवरिया ..	..	कैप्टनगंज	अक्टूबर, १९५३
३४—नैनीताल	..	१—खतीमा	अक्टूबर, १९५३
		२—सरगा खेत	जनवरी, १९५४
३५—अल्मोड़ा ..	..	ताड़ीखेत	अक्टूबर, १९५३
३६—आजमगढ़ ..	..	..	..
३७—पौड़ी गढ़वाल	..	दादामंडी	जनवरी, १९५४
३८—टेहरी गढ़वाल	..	..	..
३९—लखनऊ ..	..	१—सरोजिनी नगर	जनवरी, १९५४
		२—गोसाईंगंज	जनवरी, १९५४
४०—उन्नाव ..	..	नवाबगंज	जनवरी, १९५४
४१—रायबरेली ..	..	सलौन	जनवरी, १९५४
४२—सीतापुर ..	..	हरगांव	जनवरी, १९५४
४३—हरदोई ..	..	बिलग्राम	जनवरी, १९५४
४४—खीरी ..	..	बेहजाम	जनवरी, १९५४
४५—फैजाबाद	..	..	..
४६—गोंडा ..	..	इंटिया ठोक	जनवरी, १९५४
४७—बहराइच ..	..	कैसरगंज	जनवरी, १९५४
४८—सुल्तानपुर	..	..	..
४९—प्रतापगढ़ ...	..	लक्ष्मनपुर	जनवरी, १९५४
५०—बाराबंकी	..	रामनगर	जनवरी, १९५४
५१—इटावा ..	..	..	..

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

खंड २

१—विधेयक के वर्तमान खंड नं० २ को खंड २ के उपखंड (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को उक्त खंड के एक नये उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय :—

"(२) मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (२) में "अपवाद" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

स्पष्टीकरण—इस खंड में शब्द "जोत" में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लाई जाती हो या काम में लाई जाने के लिये अभिप्रेत (Intended) हो, किन्तु उसमें ऐसी भूमि का अन्तर्भाव नहीं है जो अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के दिनांक को बाग थी या जिसे १९५० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ लागू होती है।"

नया खंड ३-क

२—खंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये खंड ३-क के रूप में बढ़ा या जाय :—

"३-क—मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की परताल करके" के स्थान पर शब्द "नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल करके" रख दिये जायं और दुबारा प्रयोग हुये शब्द "करेगा" और शब्द "जिसमें" के बीच में शब्द "या करायेगा" रख दिये जायं।"

खंड ४

३—खंड ४ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"उपधारा (४) में संख्या ३० के स्थान पर संख्या २१ रख दी जाय।

नया खंड ४-क

४—खंड ४ के पश्चात् निम्नलिखित को नये खंड ४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"४-क—मूल अधिनियम की धारा ९ में से शब्द "और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी" निकाल दिये जायं।"

नया खंड ४-ख

५—खंड ४-क के पश्चात्, जो इससे पूर्व बढ़ाया गया है, निम्नलिखित नये खंड ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"४-ख—मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द "प्राप्त होने" और शब्द "पर" के बीच में शब्द "और उनकी जांच कर लेने" रख दिये जायं।"

खंड ६

६—निम्नलिखित खंड ६ (१) के रूप में रख दिया जाय और वर्तमान खंड ६ को ६ (२) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय।

"६ (१)—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द "तैयार करेगा" के पश्चात् शब्द "या तैयार करायेगा" बढ़ा दिये जायं।"

खंड ९

७—खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "केवल उन्हीं" के पूर्व शब्द "जहां तक सम्भव हो" रख दिये जायं।

विधान सभा प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५६ एल० ए०—१९५४—८५०।